



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072022-237759
CG-DL-E-30072022-237759

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188]
No. 188]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2022/श्रावण 7, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2022/SHRAVANA 7, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2022

अंतिम जांच परिणाम

[मामला सं. एडीडी (एसएसआर) 25/2021]

विषय: यूरोपीय यूनियन कोरिया गणराज्य और थाईलैण्ड के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये "स्टाइरिन बूटाडाइन रबड़" के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच।

फा. सं. 7/31/2021 – डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) तथा समय समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

1. मैसर्स लायंस इंडस्ट्रीज लिमि. (जिसे आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने यूरोपीय यूनियन, कोरिया गणराज्य और थाईलैण्ड (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये "स्टाइरिन बूटाडाइन रबड़" जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच के लिए अधिनियम और नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है।

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच की शुरुआत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 14 जनवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या 14/10/2015 – डी जी ए डी के माध्यम से की गई थी, उसी मामले में अंतिम जांच परिणाम संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की लगाये जाने की पुष्टि करते हुए दिनांक 12 जुलाई, 2017 की अधिसूचना सं. 14/10/2015 – डी जी ए डी के माध्यम से जारी किया गया था, जिसे दिनांक 30 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. 43/2017 – सीमाशुल्क (ए डी डी) के माध्यम से लागू किया गया था। उक्त शुल्क 5 वर्षों की अवधि के लिए लगाये गये थे।
3. इस अधिनियम की धारा 9क (5) के संदर्भ में लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, यदि पूर्व में उसे निरस्त नहीं किया गया हो, का इस प्रकार के शुल्क लगाये जाने की तिथि से 5 वर्षों के समाप्त होने पर प्रभावी नहीं रहेगा। प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की समीक्षा करें कि क्या पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उसके फिर से उत्पन्न होने की संभावना है।
4. इसके अलावा, इस नियमावली के नियम 23 (1ख) में निम्नलिखित प्रावधान है :

“इस अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क इसके लगाये जाने की तिथि से अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी उस अवधि के समाप्त होने के पूर्व उचित समयावधि के भीतर अपनी स्वयं की पहल पर अथवा घरेलू उद्योग द्वारा किये गये विधिवत प्रमाणित अनुरोध अथवा घरेलू उद्योग की ओर से किये गये अनुरोध पर उस अवधि के पूर्व शुरू की गई समीक्षा पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हों कि उक्त पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।”

5. उपरोक्त के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए एक विधिवत साक्ष्य सहित अनुरोध के आधार पर समीक्षा करने की जरूरत है, कि क्या पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।
6. घरेलू उद्योग की ओर से और नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार दाखिल पाटन और क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ विधिवत साक्ष्य सहित आवेदन को देखते हुए, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू इन शुल्कों को लगातार लगाये रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए और यह जांच करने के लिए कि क्या इस प्रकार के शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है। दिनांक 10 फरवरी, 2022 की अधिसूचना सं. 7/31/2021 – डी जी टी आर के माध्यम एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की।
7. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में दिनांक 12 जुलाई, 2017 की अंतिम जांच परिणाम संख्या 14/10/2015 – डी जी ए डी के माध्यम से जारी संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पूर्व में की गई जांचों के सभी पहलू शामिल हैं, जिसे दिनांक 30 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. 43/2017 – सीमाशुल्क (ए डी डी) के माध्यम से लागू किया गया था।
8. वर्तमान जांच के परिणाम के लंबित रहने तक, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 30 मई, 2022 की अधिसूचना सं. 17/2022 - सीमाशुल्क (ए डी डी) के माध्यम से इन शुल्कों के लिए समय विस्तार 31 अक्टूबर, 2022 तक किया।

ख. प्रक्रिया

9. नीचे वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण इस जांच में किया गया है :
- i. प्राधिकारी इस नियमावली के नियम 5 (5) के अनुसार वर्तमान जांच की शुरुआत करने की कार्यवाही शुरू करने के पूर्व पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में इसके दूतावासों के माध्यम से अधिसूचित किया।

- ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 10 फरवरी, 2022 की अधिसूचना जारी की।
- iii. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराये गये पते के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 10 फरवरी, 2022 की जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और इस नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने अनुरोधों को उन्हें उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
- iv. इन उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गये पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम और पते के साथ भेजी गई थी। भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देशों के निर्यातकों/ उत्पादकों को सलाह दें।
- v. प्राधिकारी ने ऊपर में उल्लिखित नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों तथा दूतावासों को इस आवेदन की अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई।
- vi. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को संगत सूचना प्राप्त करने के लिए निर्यातक की प्रश्नावलियां भेजीं:

- क. वर्सालिस एस पी ए, यूरोपियन यूनियन
- ख. एचआईपी – पेट्रोहेमिजा ए.डी. पनसेवो यूरोपियन यूनियन
- ग. ट्रिनसियो यूरोपी जीएमबीएच, यूरोपियन यूनियन
- घ. सिनथोस एस ए, यूरोपियन यूनियन
- ङ. लानसेस ए जी, यूरोपियन यूनियन
- च. गम बेस कं. एस. पी. ए., यूरोपियन यूनियन
- छ. रवागो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, यूरोपियन यूनियन
- ज. कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं., लिमि., कोरिया गणराज्य
- झ. ए ली केम लिमि., कोरिया गणराज्य
- ञ. वोनकेम, लिमि., कोरिया गणराज्य
- ट. हनसुक केमिकल्स कं. लिमि., कोरिया गणराज्य
- ठ. एवरलाइट कोरिया कं. लिमि., कोरिया गणराज्य
- ड. हेटकेम कॉपो., कोरिया गणराज्य
- ढ. बैकॉक सिंथेटिक्स कं. लिमि., थाईलैण्ड
- ण. जेएसआर बीएसटी इलास्टामर कं. लिमि., थाईलैण्ड

- vii. निम्नलिखित कंपनियों ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों/ निर्यातकों के रूप में निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है :

- क. पोस्को इंटरनेशनल यूरोपियन यूनियन

- ख. पोस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य
- ग. कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं., लिमि., कोरिया गणराज्य
- viii. प्राधिकरण ने नोट किया कि बैंकॉक सिंथेटिक्स कं, लिमिटेड ने उनकी भागीदारी की पुष्टि करने वाली दीक्षा अधिसूचना का जवाब दिया था, हालांकि उन्होंने कोई प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर नहीं की थी।
- ix. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं को इस अधिसूचना की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें सलाह दी कि वे नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत करायें :
- क. जे के टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- ख. बिरला टायर लिमिटेड
- ग. अपोलो टायर्स लिमिटेड
- घ. सिएट लिमिटेड
- ङ. एम आर एफ लिमिटेड
- च. रालसन (इंडिया) लिमिटेड
- छ. पोद्दार टायर्स लिमिटेड
- ज. ओरियंटल रबड़ इंडस्ट्रीज
- झ. हिंदुस्तान रबड़ इंडस्ट्रीज
- ञ. अग्रवाल रबड़ (ए आर एल टायर्स)
- ट. फोनिक्स कॉनवेयर बल्ट इंडिया प्रा. लिमि.
- ठ. टेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- ड. एक्सल रबड़ लिमिटेड
- ढ. फोरेच इंडिया लिमिटेड
- ण. गरवारे फुलफ्लेक्स इंडिया प्रा. लिमि.
- त. पारागन पोलिमर प्रॉडक्ट प्रा. लिमि.
- थ. मिडास रबड़ (प्रा.) लिमि.
- द. सेमपरट्रांस इंडिया प्रा. लिमि.
- ध. मेट्रो टायर्स लिमि.
- न. बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमि.
- प. ए टी सी टायर्स प्रा. लिमि.
- फ. गुडईयर इंडिया लिमि.
- ब. ब्रिजस्टोन इंडिया प्रा. लिमि.
- भ. एर्वी डेनिसन (इंडिया) प्रा. लिमि.
- म. बोस्टिक इंडिया प्रा. लिमि.
- य. ग्लोबस रबकेम प्रा. लिमि.
- कक. हिंद इलास्टोमर्स प्रा. लिमि.

खख. के एल जी पोलिमर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड

गग. एम आर एल टायर्स लिमिटेड

घघ. परफेटी वेन मेले इंडिया प्रा. लिमि.

ङङ. फ्लेक्सलिस प्रा. लिमि.

चच. चौधरी रबड़ एंड केमिकल प्रा. लिमि.

छछ. तुलसीराम हनुमान बेग्स गिल्डा

जज. टी वी एस श्रीचक्रा टायर्स लिमि.

झझ. मेक्किंस रबड़ इंडिया प्रा. लिमि.

x. निम्नलिखित आयातकों/ प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर जवाब दिया है :

क. जे के टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

ख. अपोलो टायर्स लिमिटेड

ग. सिएट लिमिटेड

घ. एम आर एफ लिमिटेड

ङ. ब्रिजस्टोन इंडिया प्रा. लिमि.

च. ऋषिरूप पोलिमर्स प्रा. लिमि.

- xi.** उत्तर देने वाले हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कानूनी अनुरोध प्रस्तुत किये गये हैं। इसके अलावा कानूनी अनुरोध भाग लेने वाले प्रयोक्ताओं की ओर से ऑटोमोटिव टायर मेनिफेक्चर्स एसो. ("ए टी एम ए") और यूरोपीय कमीशन द्वारा भी दायर किया गा है।
- xii.** सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर (एन सी वी) ई-मेल करें क्योंकि सार्वजनिक फाइल चालू वैश्विक महामारी के कारण भौतिक रूप से प्राप्त किये जाने लायक नहीं थी।
- xiii.** प्राधिकारी ने डी जी प्रणाली से यह आग्रह किया कि वे पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के एल संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन-देन वार ब्यौरा उपलब्ध करायें जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए हैं। प्राधिकारी ने लेन-देन की उचित जांच करने के बाद आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना तथा इसके विश्लेषण के लिए डी जी प्रणाली पर विश्वास किया है।
- xiv.** घरेलू उद्योग और उत्तर देने वाले उत्पादक द्वारा प्रस्तुत सूचना और आंकड़े का सत्यापन उस सीमा तक किया गया था जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया। केवल ऐसी सत्यापित सूचना, जहां कहीं भी लागू हो, पर इस अंतिम जांच परिणाम के उद्देश्य से विश्वास किया गया है। अतिरिक्त/ पूरक सूचना घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से उस सीमा तक मांगी गई थी, जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया।
- xv.** क्षति रहित कीमत (जिसे आगे 'एन आई पी') सामान्य रूप से स्वीकार किये गये लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) और इस नियमावली के अनुबंध III के अनुसार और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और उसका निर्माण एवं बिक्री करने की लागत पर आधारित है। इस प्रकार की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण इस तरह से किया गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xvi.** प्राधिकारी ने नियम 6(6) के अनुसार मौखिक रूप से सूचना प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर उपलब्ध कराने हेतु 5 मई, 2022 को मौखिक सुनवाई आयोजित की। मौखिक सुनवाई कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को देखते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित

किया गया था। सभी पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किये से अनुरोध किया गया था कि वे उसके बाद प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के लिए विरोधी हितबद्ध पक्षकारों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें।

- xvii. वर्तमान समीक्षा के उद्देश्य से जांच की अवधि अक्टूबर 2020 से सितंबर 2021 (12 महीने) है। क्षति के विश्लेषण की अवधि में जांच की अवधि और पिछले तीन वर्षों 2018-19, 2019-20, 2020-21 की अवधियां शामिल हैं।
- xviii. जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों पर इस अंतिम जांच परिणाम में उस सीमा तक विचार किया गया है, जिस सीमा तक प्राधिकारी द्वारा उसे संगत माना गया।
- xix. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे को जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना माना गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध करायें।
- xx. इस जांच में आवश्यक तथ्यों वाला एक प्रकटन विवरण जो इस अंतिम जांच परिणाम का आधार बना होता, दिनांक 19/07/2022 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी करने के लिए 25/07/2022 तक समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण संबंधी टिप्पणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना में उस सीमा तक विचार किया गया है, जिस सीमा तक उसे संगत पाया गया।
- xxi. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच दिये जाने से इनकार किया है अथवा अन्य प्रकार से उसे उपलब्ध नहीं कराया है अथवा इस जांच में काफी हद तक बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और 'उपलब्ध तथ्यों' के आधार पर अपने जांच परिणाम को रिकार्ड किया है।
- xxii. प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि के लिए लिया गया विनियम दर 1 यू एस डॉलर = 74.53 रु. है।
- xxiii. इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में ***, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा ऐसी मानी गई सूचना का द्योतक है।

ग. विचाराधीन उत्पाद ("पी यू सी") और समान वस्तु

ग. 1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

- 10. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि सॉल्युशन एस बी आर (एस- एस बी आर) को स्पष्ट रूप से निर्णायक समीक्षा जांच के क्षेत्र से बाहर किया ही जाना चाहिए।

ग. 2 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

- 11. निम्नलिखित अनुरोध घरेलू उद्योग द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान किए गए हैं :

- क. चूंकि वर्तमान आवेदन निर्णायक समीक्षा के लिए एक आवेदन है, अतः विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जिसे प्राधिकारी द्वारा अपनी पूर्व जांच परिणाम में परिभाषित किया गया था।
- ख. मूल जांच में प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला था कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई वस्तु उन वस्तुओं की समान वस्तु है जिसका आयात घरेलू बाजार में किया जाता है।

- ग. प्रौद्योगिकी का कोई विकास नहीं हुआ है और उसके साथ ही घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया गया उत्पाद का समान वस्तु रहना जारी है।

ग. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

12. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से साल्यूशन एस बी आर को बाहर रखे जाने के संबंध में किये गये अनुरोध के बारे में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में कोई अस्पष्टता नहीं है। जांच संबंधी अधिसूचना में यह स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि साल्यूशन एस बी आर ग्रेड इस जांच के क्षेत्र से बाहर हैं।
13. वर्तमान जांच निर्णायक समीक्षा जांच है और विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जिसे मूल जांच में परिभाषित किया गया था। मूल पाटनरोधी जांच में निर्धारित विचाराधीन उत्पाद को पुनः यहां प्रस्तुत किया जाता है -

क) वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद दो मानोमर्स स्टाइरिन और बूटाडाइन से लिये गये सिंथेटिक रबड़ का 1500 और 1700 सीरिज का स्टाइरिन बूटाडाइन रबड़ (एस बी आर) है। इन सामग्रियों में अच्छी मात्रा में घर्षण प्रतिरोध और अधिक समय तक बने रहने के लिए स्थायित्व है जब उसका संरक्षण योग्य द्वारा किया जाता है। साल्यूशन एस बी आर ग्रेड जांच के क्षेत्र से बाहर है।

ख) प्राकृतिक रबड़ की तुलना में एस बी आर की बेहतर प्रक्रिया क्षमता एकरूपता, ताप में बचे रहने और घर्षण प्रतिरोध है लेकिन यह लंबाई, गर्म विच्छेद शक्ति, हिस्टेरेसिस लचीलापन और अनन शक्ति के संदर्भ में कमतर है। एस बी आर की प्रमुख मांग टायरों के निर्माण में ऑटोमेटिव क्षेत्र है।

ग) इस उत्पाद का वर्गीकरण सीमा प्रशुल्क शीर्षक सं. 400219 के अंतर्गत है। हालांकि, उक्त सीमाशुल्क वर्गीकरण संसूचक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

14. इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद वही होगा जो मूल जांच में था।
15. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये गये संबद्ध वस्तु इन वस्तुओं के रसायनिक विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देश, तकनीकी विनिर्देश, निर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देशों से आयात किये गये वस्तुओं से तुलनीय हैं। इन दोनों का तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। तदनुसार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया गया संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से आयात किये गये संबद्ध वस्तुओं का "समान वस्तु" है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और स्थिति

घ. 1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

16. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:
- क. वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के गठन में परिवर्तन हुआ है क्योंकि इंडियन सिंथेटिक्स रबड़ प्रा. लिमि. घरेलू उद्योग के रूप में भाग लेने से अपने आप को दूर रखा है।
- ख. नियम 5 निर्णायक समीक्षा जांच में लागू नहीं है और घरेलू उत्पादकों को इस आवेदन का समर्थन करने के लिए घरेलू उद्योग बनना है।
- ग. इंडियन सिंथेटिक्स रबड़ प्रा. लिमि. को वर्तमान जांच में भाग लेना चाहिए था क्योंकि मूल मामले में क्षति विश्लेषण उनके आंकड़ों के आधार पर किया गया था।
- घ. जनवरी 2010 में शुरू किया गया चीन जन. गण. से सिमलेस ट्यूब्स, पाइप और हॉलो प्रोफाइल के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच समाप्त कर दिया गया था क्योंकि पूरी लागत और क्षति संबंधी सूचना भारत में प्रमुख घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। वर्तमान आवेदन उसी आधारों पर समाप्त किया जाना चाहिए।

- ड. चीन जन. गण. , इण्डोनेशिया, मलेशिया और थाईलैण्ड से पोलिस्टर स्टेपल फाइबर के आयातों के संबंध में जांच समाप्त कर दी गई थी क्योंकि भारत में संबद्ध वस्तुओं के अन्य उत्पादक अच्छा कर रहे थे। वर्तमान मामले को उन्हीं आधारों पर समाप्त किया जाना चाहिए।

घ. 2 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

17. घरेलू उद्योग द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है।
- ख. घरेलू उद्योग न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातक और न ही भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातक से संबंधित है।
- ग. वर्तमान आवेदन नियम 23 के अंतर्गत दायर किया गया है और यह सभी निर्धारित सांविधिक मानदंडों को पूरा करता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमि. का भारत में लगभग 50 प्रतिशत उत्पादन है और इस प्रकार यह नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है।
- घ. ऐसा कोई दायित्व नहीं है कि घरेलू उत्पादक जिसने मूल जांच में भाग लिया, को एस एस आर आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।
- ड. वर्तमान जांच के तथ्य चीन जन. गण. से सिमलेस ट्यूब्स, पाइप एवं हॉलो प्रोफाइल के आयातों की जांच के तथ्यों से पूर्णरूप से अलग है। उस मामले में, घरेलू उद्योग प्रमुख उत्पादक नहीं था और प्रमुख उत्पादक द्वारा प्रस्तुत किया गया आंशिक आंकड़ों ने यह दर्शाया कि इसे क्षति नहीं हो रही थी। वर्तमान जांच में, घरेलू उद्योग प्रमुख उत्पादक है।

घ. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

18. इस नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

“(ख) ‘घरेलू उद्योग’ का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ‘घरेलू उद्योग’ पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

19. वर्तमान आवेदन मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमि. (आर आई एल) द्वारा दायर किया गया है। घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और यह संबद्ध देशों में किसी निर्यातक अथवा भारत में आयातक से संबंधित नहीं है। इस आवेदन का समर्थन मैसर्स इंडियन सिंथेटिक्स रबड़ प्रा. लिमि. द्वारा किया गया है जिसने अपनी क्षमता, उत्पादन और घरेलू बिक्री के संबंध में सूचना भी उपलब्ध कराई है।
20. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि मैसर्स इंडियन सिंथेटिक्स रबड़ प्रा. लिमि. जिसने मूल जांच में भाग लिया है और वर्तमान जांच का समर्थन किया है, को घरेलू उद्योग के रूप में अपने आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह नियमावली यह अधिकार प्रदान नहीं करती है कि मूल जांच में घरेलू उद्योग को समीक्षा जांच में भी भाग लेना चाहिए। किसी भी मामले में यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग कुल घरेलू उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा है। घरेलू उद्योग इस नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से यह पात्र घरेलू उद्योग है और यह आवेदन इस नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थान के मानदंड को पूरा करता है। यद्यपि नियम 5(3) के अभिप्राय से स्थिति को नियम 23 के अंतर्गत शुरू की गई निर्णायक समीक्षा में सिद्ध किया जाना अपेक्षित है।
21. इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक इस नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है।

ड. विविध अनुरोध**ड. 1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध**

22. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- क. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई अद्यतित सूचना अपूर्ण है क्योंकि इसमें घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से, आयातों की मात्रा, मांग, एन आई पी रेंज, अन्य उत्पादकों की बिक्री और कम कीमत पर बिक्री रेंज के संबंध में सूचना निहित नहीं है।
- ख. घरेलू उद्योग ने मौखिक सुनवाई में यह उल्लेख किया था कि हितबद्ध पक्षकारों को आयात की मात्रा में वृद्धि के बारे में जानकारी मिल जायेगी, जब प्रकटन विवरण जारी किया जायेगा। यह दर्शाता है कि इसे आयात की मात्राओं के संबंध में सूचना है लेकिन यह उसे हितबद्ध पक्षकारों से छुपा रहा है।
- ग. महत्वपूर्ण मापदंडों, जैसे कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास/ न्यूनीकरण, आयात संबंधी विवरण, संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमतों के संबंध में संशोधित आंकड़ों का अभाव है।
- घ. व्यापार सूचना सं. 1/2013 के अनुसार, शुल्क के भुगतान के संबंध में उपलब्ध कोई भी सूचना गोपनीय के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, घरेलू उद्योग को आई सी आई एस रिपोर्ट आई आई एस आर रिपोर्ट की सभी विषय वस्तु को अवश्य प्रकट करना चाहिए।
- ड. घरेलू उद्योग ट्रेड मेप की पूर्ण विषय वस्तु और यूरो स्टेप आंकड़ों को प्रकट नहीं किया है जो तर्कसंगत संदेह उत्पन्न करता है कि इसने चयनित रूप में आंकड़े प्रस्तुत किये हैं जो इसकी स्थिति को मजबूत बनाता है।
- च. घरेलू उद्योग ने अपने षड्यंत्रों के बंद होने के कारण क्षति की अवधि के दौरान मात्रा संबंधी हानि के व्यौरों के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है।
- छ. घरेलू उद्योग अधिकारी द्वारा निर्धारित जांच की अवधि के अनुसार संशोधित आवेदन उपलब्ध कराने में असफल रहा है।
- ज. घरेलू उद्योग द्वारा पेशकश किये जा रहे उत्पाद गुणवत्ता संबद्ध देशों से आयातों की तुलना में निम्नतर गुणवत्ता की है और यह अपेक्षित विनिर्देशों के अनुसार निर्माण नहीं करता है।

ड. 2 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

23. घरेलू उद्योग द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क. इस अनुरोध के संबंध में की घरेलू उद्योग आयात संबंधी आंकड़ों के बारे में सूचना नहीं दे रहा है, घरेलू उद्योग का यह अनुरोध है कि इसके पास इसकी बाजार आसूचना के आधार पर बाजार के बारे में पूरी सूचना है। उपभोक्ता बहुत सीमित हैं और घरेलू उद्योग प्रत्येक उपभोक्ता की आवश्यकताओं को ट्रेक करता है और इसे इस तथ्य की पूरी जानकारी है कि किस प्रकार से इन्हें पूरा किया जा रहा है।
- ख. इस अनुरोध के संबंध में कि आई सी आई एस रिपोर्ट और आई आई एस आर रिपोर्ट के सभी विषयवस्तु को अवश्य ही प्रकट किया जाना चाहिए, घरेलू उद्योग यह अनुरोध करता है कि इस सूचना को साझा करने पर प्रत्यक्ष रूप से रोक है। गोपनीयता संबंधी नियमावली में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि यदि तृतीय पक्षकार द्वारा इस स्पष्ट शर्त के साथ सूचना उपलब्ध कराई जाती है कि उसे आगे प्रकट नहीं किया जायेगा, प्राधिकारी उसे गोपनीय के रूप में मानेंगे।
- ग. यह अनुरोध कि ट्रेड मेप और यूरोस्टेट आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, यह अनुरोध किया जाता आंकड़े आवेदन के अगोपनीय रूपांतर में उपलब्ध कराया गया है।

- घ. संयंत्र के बंद होने के कारण उत्पादन की हानि संबंधी सूचना व्यापार संवेदनशील सूचना है जिसे प्रकट नहीं किया जा सकता है।
- ड. जांच की संशोधित अवधि के लिए संशोधित आवेदन प्रस्तुत करने की कोई कानूनी अपेक्षा नहीं है। यह आवेदन डी जी टी आर द्वारा जांच के शुरू किये जाते ही और डी जी टी आर द्वारा विभिन्न पक्षकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर और न कि आवेदन के आधार पर किया गया निर्धारण किये जाते पृष्ठभूमि में चला जाता है।
- च. वे उत्पादक जिन्होंने मूल जांच में भाग लिया था परंतु वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया, को असहयोगी माना जाना चाहिए और शुल्क की शेष श्रेणी की सिफारिश की जानी चाहिए।
- छ. लेन-देन वार आयात आंकड़े डीजीसीआईएंडएस द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे हैं। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे कृपया सार्थक अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए घरेलू उद्योग को सक्षम बनाने हेतु आयातों की मात्रा और मूल्य के बारे में बतायें।

ड. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने प्रथम दृष्ट्या संतुष्ट होने के बाद निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत की है कि घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना का पर्याप्त साक्ष्य है।
25. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने इस आवेदन के साथ जून 2021 तक की अवधि के लिए डी जी सी आई एंड एस लेन-देनवार आयात आंकड़े उपलब्ध कराये थे। उसके बाद, डी जी सी आई एंड एस आंकड़े किसी अधिकृत पक्षकार को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था। घरेलू उद्योग ने दावा किया कि यह जांच की अद्यतित अवधि के लिए आयात आंकड़े और संबंधित सूचना जैसे बाजार हिस्सा, निर्यात कीमत, पहुंच कीमत आदि उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं था। प्राधिकारी ने डी जी प्रणाली से आंकड़े मंगाये हैं और इस विश्लेषण के उद्देश्य से उस पर विचार किया है।
26. यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा पेशकश की जा रही उत्पाद गुणवत्ता निम्नतर है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने अनुरोध के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। घरेलू उद्योग काफी समय से कार्य कर रहा है और इसने भी बहुत अधिक मात्रा में निर्यात किया है। इस कारण से यह तर्क कि आपूर्ति किया गया उत्पाद निम्नतर गुणवत्ता का है, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह तथ्य कि यह गुणवत्ता अलग हो सकती है, का आशय यह नहीं है कि आयात किया गया उत्पाद और घरेलू उत्पाद समान वस्तु नहीं है।
27. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने जांच की संशोधित अवधि के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने प्रारंभिक तौर पर अवधि के रूप में जुलाई 2020 से जून 2021 के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया था। हालांकि, जांच की अवधि के संबंध में दिनांक 1 फरवरी, 2021 की संशोधित वित्तीय अधिसूचना 10/2021 के अनुरूप, प्राधिकारी ने अक्टूबर 2020 से सितंबर, 2021 तक की अवधि को जांच की अवधि के रूप में माना है। यह भी नोट किया जाता है कि उसके बाद घरेलू उद्योग से यह अपेक्षित था कि वे संशोधित अवधि के लिए अपने आंकड़े प्रस्तुत करें जिसे इसने विधिवत उपलब्ध कराया है और उसका अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया था। प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि के संशोधित किये जाने पर जांच की शुरुआत के बाद आवेदन को प्रस्तुत करने की कोई सांविधिक अपेक्षा नहीं है।
28. प्राधिकारी ने व्यापार सूचना 01/2020 के साथ पठित दिनांक 07 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 10/2018 (जिसका समय विस्तार प्राधिकारी द्वारा अगले नोटिस तक किया गया है) और नियम 6(7) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
29. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

30. घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किये गये अनुरोधों की जांच प्राधिकारी द्वारा उस सीमा तक की गई है जिस सीमा तक उसे संगत माना गया है और तदनुसार, उस पर विचार किया गया है। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना माना गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध करायें। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार से संबंधित संवेदनशील को गोपनीय के रूप में दावा किया है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

31. सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 9क (1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा
 - (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत।

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

च. 1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

32. घरेलू उद्योग द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क. संबद्ध देशों से पाटन वर्तमान जांच में बहुत तीव्र गति से हुआ है।
- ख. लगातार और तीव्र पाटन अपने आप में यह सिद्ध करता है कि उत्पादक अपनी वस्तुओं को शुल्क के समाप्त होने के साथ पाटित करेंगे।
- ग. संबद्ध देशों में उत्पादक न केवल भारतीय बाजार में बल्कि अन्य देशों में भी पाटन कर रहे हैं।
- घ. कुम्हो बूटाडाइन की क्षमता विभिन्न उत्पाद के लिए इसकी आवश्यकता की 30 प्रतिशत की सीमा तक ही पर्याप्त है और शेष 70 प्रतिशत बाजार से खरीदा जाता है।
- ङ. कुम्हो द्वारा सूचित किये गये मूल्य की जांच की जानी चाहिए यदि यह उपयुक्त से बाजार मूल्यों को दर्शाता है।
- च. प्राधिकारी द्वारा पूर्व जांचों में निर्धारित पाटन मार्जिन बहुत ही कम था और भारतीय उद्योग निर्यात द्वारा किये गये गोपनीयता के दावों को देखते हुए अपने हित की रक्षा करने में कमजोर रहें।
- छ. पर्याप्त प्रकटन निर्यातक द्वारा खपत कीमतों, मानदंडों और कच्चे माल की लागतों, विद्युत का आधार और स्टीम की लागत और इसकी उपयुक्तता, अनुसंधान और विकास लागत, एस जी ए लागत, परिवर्तन लागत और खर्च का आवंटन और विभक्तिकरण के संबंध में घरेलू उद्योग को अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाने के लिए किया जाना चाहिए।
- ज. कुम्हो द्वारा केवल यह दावा कि सूचित की गई ऐसी लागतें कंपनी द्वारा रखी गई रिकार्डों के अनुसार है पर्याप्त नहीं होता है।
- झ. कुम्हो का एक संबंधित पक्षकार कोरिया एनर्जी विद्युत संयंत्र है जो विद्युत उत्पादन के कार्य में लगा हुआ है जिसे प्रश्नावली के उत्तर में प्रकट नहीं किया गया है।
- ञ. यदि किसी उत्पादक ने संबंधित पक्षकार से कच्चे माल अथवा उपयोगिताओं की खरीद की है तब अंतरण कीमत बाजार कीमत के अनुरूप होनी ही चाहिए। कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स ने इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है और पूर्णरूप से मौन रहने का विकल्प चुना।
- ट. एल जी केमिकल लिमिटेड के लिए एस बी आर की पाटनरोधी जांच में यू एस डी ओ सी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन लगभग 9.6 प्रतिशत था और शेष श्रेणी के लिए 44.30 प्रतिशत था। तुलना करने पर, एल जी केम और कुम्हो तथा शेष श्रेणी के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन भारत में की गई मूल जांच में बहुत कम था।
- ठ. जब भारत को निर्यात कीमत में यू एस ए को निर्यात कीमत की तुलना में वास्तव में अधिक थी, तब मार्जिन में ऐसा इतना अधिक अंतर के लिए कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।
- ड. घरेलू उद्योग ने मूल जांच में यह अनुरोध किया था कि शुल्क वापसी के समायोजन की अनुमति कोरिया के उत्तर देने वाले उत्पादकों के लिए नहीं दी जानी चाहिए लेकिन इसकी अनुमति दी गई थी। यू एस डी ओ सी ने अपने निर्धारण में इस प्रकार के समायोजन की अनुमति नहीं दी थी क्योंकि इसमें पात्रता का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त सूचना का अभाव था।

च. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

33. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- क. घरेलू उद्योग ने निर्यात कीमत में अतिरंजित समायोजनों का दावा किया है।
- ख. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री में शामिल लागत के सभी तत्वों को प्रतिवादी द्वारा अपनी प्रश्नावली के उत्तर में प्रकट नहीं किया गया है।

- ग. खरीदे गये और उत्पादन किये गये बूटाडाइन के बीच कीमत में अंतर लगभग 5 प्रतिशत मात्र है और यह स्पष्ट है कि गुप्त रूप से खपत किये गये बूटाडाइन की लागत बाजार कीमत को दर्शाता है।
- घ. अलसन सिंथेटिक रबड़ संयंत्र में बूटाडाइन की कुल खपत में से केवल 39 प्रतिशत का उपयोग एस बी आर के उत्पादन में किया जाता है।
- ङ. प्रतिवादी ने अपने उत्तर में कोरिया एनर्जी विद्युत संयंत्र के संबंध दर्जे के बारे में बताया है।
- च. जैसा कि प्रतिवादी की वार्षिक रिपोर्ट से देखा जा सकता है, इसने कोरिया एनर्जी विद्युत संयंत्र से खरीद नहीं की है।
- छ. प्रतिवादी ने यू एस डी ओ सी जांच में भाग नहीं लिया था और निर्धारित मार्जिन इसके आंकड़ों के आधार पर नहीं था।
- ज. प्रतिवादी ने वर्तमान जांच में शुल्क वापसी का दावा नहीं किया था और इस कारण से घरेलू उद्योग के शुल्क वापसी संबंधी दावे को अवश्य अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- झ. अपोलो टायर होल्डिंग प्रा. लिमि. का भारत को निर्यात का हिस्सा भारत को निर्यात की कुल मात्रा में बहुत कम है।

च. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

34. धारा 9क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

क. समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

ख. उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत।

35. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना उपलब्ध कराने की उन्हें सलाह देते हुए प्रश्नावलियां भेजीं। संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों और उनके आयातकों ने अपने संबंधित निर्यातकों अथवा आयातकों के साथ निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है :

क. पोस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य

ख. कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं., लिमि., कोरिया गणराज्य

ग. पोस्को इंटरनेशनल यूरोपियन यूनियन

सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

कोरिया गणराज्य

क) कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं. लिमि.

सामान्य मूल्य का निर्धारण

36. कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं. लिमि. ('के के पी सी') कोरिया गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है। प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया है कि के के पी सी ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष तौर पर असंबंधित ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। इसके अलावा प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को किये गये निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री बहुत अधिक मात्रा में हुई हैं। प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की लागत

के संबंध में लाभ अर्जित करने वाली घरेलू बिक्री लेन देन का निर्धारण करने के वास्ते व्यापार जांच की सामान्य प्रक्रिया की। प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच की कि क्या लाभ अर्जित करने वाले लेन देन 80 प्रतिशत से अधिक है अथवा नहीं। वर्तमान मामले में, 80 प्रतिशत से अधिक घरेलू बिक्री लाभप्रद हैं और इस कारण से सभी घरेलू बिक्रियों पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार किया गया है।

37. के के पी सी ने अंतर्देशीय ढुलाई, क्रेडिट लागत और बैंक प्रभार के लिए समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा उसकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, एक्स फैक्ट्री स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है :

निवल निर्यात कीमत का निर्धारण

38. जांच की अवधि के दौरान, के के पी सी ने भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात प्रत्यक्ष तौर पर और असंबंधित व्यापारियों, पोस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और अपोलो टायर होलिंग प्रा. लिमि. के माध्यम से भी किया है। पोस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ने प्रत्यक्ष रूप से असंबंधित भारतीय ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं की फिर से बिक्री की है। पोस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ने अपनी संबंधित कंपनी, पोस्को इंटरनेशनल इटली एस. आर. एल. को भी कुछ मात्रा में बिक्री की है जिसने बाद में इन संबद्ध वस्तुओं को असंबंधित भारतीय ग्राहकों को बिक्री की है। के के पी सी, पोस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और पोस्को इंटरनेशनल इटली एस. आर. एल. ने अपेक्षित निर्यातक प्रश्नावली प्रपत्रों में संगत सूचना उपलब्ध कराई है। अपोलो टायर होलिंग प्रा. लिमि. ने संबद्ध जांच में भाग नहीं लिया है।
39. जांच की अवधि के दौरान, के के पी सी ने प्रत्यक्ष तौर पर भारत को *** मी. ट. संबद्ध वस्तुओं, पोस्को इंटरनेशनल के माध्यम से से *** मी. ट. संबद्ध वस्तुओं और अपोलो टायर्स होलिंग प्रा. लिमि. के माध्यम से *** मी. ट. संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।
40. के के पी सी ने अंतर्देशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, विदेशी बीमा, ग्राहक ब्रोकर इंक, बिक्री कमीशन, फ्यूमिगेशन खर्च, निर्यात बीमा, पैकेजिंग खर्च, क्रेडिट लागत और बैंक प्रभार के कारण समायोजन का दावा किया है और उसकी अनुमति प्राधिकारी द्वारा दी गई है। प्राधिकारी ने पोस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और पोस्को इंटरनेशनल इटली एस. आर. एल. की लाभप्रदता की भी जांच की है और यह नोट किया कि दोनों व्यापारियों ने भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात पर लाभ अर्जित किया है। चूंकि, अपोलो टायर्स होलिंग प्रा. लिमि. ने संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, प्राधिकारी ने अपोलो टायर्स होलिंग प्रा. लिमि. के माध्यम से निर्यात लेन देन के लिए एक्स फैक्ट्री कीमत की गणना के लिए उपलब्ध तथ्यों पर विचार किया है। तदनुसार, के के पी सी के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण भारत को निर्यात के सभी चैनलों अर्थात् कॉर्पोरेटिव और नॉन-कॉर्पोरेटिव की भारत को भारित औसत निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारण किया गया है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ख) कोरिया गणराज्य के अन्य उत्पादक

सामान्य मूल्य का निर्धारण

41. कोरिया गणराज्य के असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के नियम 6(8) के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

निवल निर्यात कीमत का निर्धारण

42. कोरिया गणराज्य के किसी अन्य निर्यातकों/ उत्पादकों से सहयोग नहीं मिलने के कारण, प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6 (8) के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

यूरोपीय यूनियन**सामान्य मूल्य का निर्धारण**

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय यूनियन के किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। इस प्रकार सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एक्स फैक्ट्री स्तर पर किया है। प्राधिकारी ने आई एच एस मार्किट द्वारा यथाप्रकाशित विचाराधीन उत्पाद की कीमतों पर विचार किया है। ये कीमतें सुपुर्द किये गये आधार पर हैं और समुचित समायोजन एक्स फैक्ट्री स्तर पर पहुंचने के उद्देश्य से किया गया है। अलग सामान्य मूल्य की गणना 1500 और 1700 सीरिज के लिए की गई है। इस प्रकार से निर्धारित भारित औसत सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

निवल निर्यात कीमत का निर्धारण

44. यूरोपीय यूनियन के किसी उत्पादक/ निर्यातक से सहयोग प्राप्त नहीं होने के कारण प्राधिकारी ने डी जी प्रणाली आंकड़ों से निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। चूंकि यह आंकड़ा सी आई एफ आधार पर है, अतः समुचित समायोजन एक्स फैक्ट्री स्तर पर पहुंचने के उद्देश्य से किया गया है। अलग सामान्य मूल्य की गणना 1500 और 1700 सीरिज के लिए की गई है। इस प्रकार से निर्धारित भारित औसत सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

थाईलैण्ड**सामान्य मूल्य का निर्धारण**

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाईलैण्ड के किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। इस प्रकार सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एक्स फैक्ट्री स्तर पर किया है। प्राधिकारी ने इंडीपेनडेंट कमोडिटी इंटेलीजेंस सर्विसेस द्वारा यथाप्रकाशित विचाराधीन उत्पाद की कीमतों पर विचार किया है। ये कीमतें सी एफ आर आधार पर हैं और समुचित समायोजन एक्स फैक्ट्री स्तर पर पहुंचने के उद्देश्य से किया गया है। अलग सामान्य मूल्य की गणना 1500 और 1700 सीरिज के लिए की गई है। इस प्रकार से निर्धारित भारित औसत सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

निवल निर्यात कीमत का निर्धारण

46. चूंकि जांच की अवधि में थाईलैण्ड से भारत को कोई निर्यात नहीं किया गया है अतः निवल निर्यात कीमत का निर्धारण नहीं किया गया है।

छ. पाटन मार्जिन

47. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत जिसका उल्लेख ऊपर में किया गया है, पर विचार करते हुए, पाटन मार्जिन की गणना की गई है और उसे नीचे दर्शाया गया है। यह देखा गया है कि डंपिंग मार्जिन कोरिया आरपी से प्रतिक्रिया देने वाले उत्पादक के संबंध में और यूरोपीय संघ से निर्यात के लिए सकारात्मक है।

क्र. सं.	विरण	सामान्य मूल्य	निवल निर्यात मूल्य	पाटन मार्जिन		
		यू एस डॉ/ किग्रा.	यू एस डॉ/ किग्रा.	यू एस डॉ/ किग्रा.	%	रेंज %
क	कोरिया गणराज्य					
1	कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं., लिमि.	***	***	***	***	0-10
2	कोई अन्य उत्पाद	***	***	***	***	0-10

ख	यूरोपीय संघ					
1	अन्य उत्पाद	***	***	***	***	20-30

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

ज. 1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

48. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध नीचे दिये गये अनुसार हैं :

- क. कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव पर ध्यान दिये बिना, घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन की मात्रा, घरेलू बिक्री, औसत बिक्री कीमत और अन्य आर्थिक मापदंडों में सुधार दर्ज किया है।
- ख. स्ट्राट-अप स्थितियों में प्रचालन करने के बावजूद, घरेलू उद्योग ने अधिकांश आर्थिक मानदंडों में बहुत अधिक सुधार किया है।
- ग. जैसा कि 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट में सूचित किया गया है, पूर्व वित्त वर्ष से वित्त वर्ष 2020-21 में एस बी आर के लिए मार्जिन में 77.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- घ. क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी आर आई एल आर एस आर पी एल दोनों के कार्य-निष्पादन और आर्थिक मानदंडों पर विचार करने के लिए विवश हैं क्योंकि दोनों कंपनियां घरेलू उत्पादक हैं।
- ङ. पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी ने सकारात्मक सब्सिडी मार्जिन पाया जो दर्शाता है कि क्षति पाटित आयातों के कारण नहीं बल्कि सब्सिडी के कारण हुई है।
- च. कार्य-निष्पादन संबंधी मापदंडों का विश्लेषण घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति के लिए मामला नहीं बनाता है।
- छ. अन्य गैर-संबद्ध देशों से आयातों के कारण हुई क्षति की जांच की जानी चाहिए।
- ज. भारतीय उद्योग के उत्पादकों के क्षमता उपयोग, उत्पादन और बिक्री में लगातार सुधार हुआ है।
- झ. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग, उत्पादन और घरेलू बिक्री 2015-16 की तुलना में जांच की अवधि में दुगुने से अधिक हो गयी है।
- ञ. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में लाभ अर्जित किया है। कोई भी क्षति जो इसे मूल जांच की अवधि के दौरान हुई होगी, का अब निवारण कर दिया गया है।
- ट. अद्यतित आवेदन में पृथक रूप से 1500 और 1700 सीरिज के लिए क्षति संसूचकों के लिए आंकड़े नहीं हैं।
- ठ. घरेलू उद्योग की विचाराधीन उत्पाद के लिए कीमत निर्धारण नीति है जिसमें यह 'सेवा करने के लिए लागत' संघटक के रूप में उद्धृत कीमतों में लागू पाटनरोधी शुल्क को जोड़ता है। इसका अर्थ यह है कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत (एन एस आर) में शुल्क का संघटक शामिल है जिसके कारण कीमत में कटौती सकारात्मक है।
- ड. आयातों में वृद्धि के घरेलू उद्योग के दावे को किसी साक्ष्य द्वारा समर्थन नहीं किया गया है।
- ढ. घरेलू उद्योग द्वारा लिखित अनुरोध में दावा किया गया पहुंच मूल्य जांच की अवधि के दौरान प्रतिवादी द्वारा किये गये निर्यातों के वास्तविक पहुंच मूल्य से कमतर है।
- ण. आई एस आर पी एल ने जांच में भाग नहीं लिया है जो दर्शाता है कि यह अच्छा कार्य कर रहा है और वे शुल्क को जारी रखना नहीं चाहते हैं।
- त. प्राधिकारी ने मूल मामले में क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से आई एस आर पी एल के आंकड़ों पर विचार किया था और उसे वर्तमान मामले में भी अपने आंकड़ों पर अवश्य विचार करना चाहिए।
- थ. संबद्ध देशों से आयातों में 2 प्रतिशत की केवल मामूली वृद्धि हुई है जबकि गैर संबद्ध देशों से आयातों में 210 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है।
- द. घरेलू उद्योग ने यह माना है कि आयातों का इसकी कीमतों पर कोई न्यूनकारी अथवा हासकारी प्रभाव नहीं पड़ा है।
- ध. घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया है कि यह अधिकांश कारकों में वृद्धि को देखा है।

- न. एन आई पी के लिए लगाई गई पूंजी पर 22 प्रतिशत प्रतिफल पर विचार करना उद्योग के मानदंडों के अनुसार प्रतिलाभों के अनुरूप नहीं है। सिंथेटिक रबड़ जैसे पूंजी गहन उद्योग में प्रतिफल असमान्य रूप से इतना अधिक नहीं हो सकता है।
- प. घरेलू उद्योग मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है और आयात आवश्यक हैं।
- फ. एक अन्य उत्पादक आई एस आर पी एल जिसने फरवरी 2014 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया, ने भी ब्रेक-इवन प्वाइंट प्राप्त करने के लिए कुछ आरंभिक वर्ष लिया और उसके बाद ही इसने लाभ अर्जित करना शुरू किया।
- ब. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद बाजार में 2017-18 से 2018-19 के दौरान अपने आप को स्थापित करने के चरण में था। अब यह बाजार में स्थापित हो गया है और यह 2020-21 से आगे से लाभ अर्जित कर रहा है।
- भ. इन आयातों के कारण 2017-18, 2018-19 और 2019-20 की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं हो रही थी।

ज. 2 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

49. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार हैं :

- क. घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में कोविड के प्रभावों सहित अनेक कारकों से जांच की अवधि में सुधार हुआ है।
- ख. आयातों की पहुंच कीमतें बहुत तेजी से बढ़ गई हैं जिसने घरेलू उद्योग को बाधाओं के समाप्त होते ही अपनी कीमतों में वृद्धि करने की अनुमति दी है। पहुंच कीमत में एक बार फिर गिरावट आने की आशा है जो घरेलू उद्योग की कीमतों को नीचे लायेगा।
- ग. घरेलू उद्योग उत्पादन का लगभग 15-20 प्रतिशत निर्यात कर रहा था क्योंकि यह घरेलू बाजार में ऑर्डर प्राप्त करने में सक्षम नहीं था और न ही लाभप्रद कीमतें प्राप्त करने में सक्षम था।
- घ. घरेलू उद्योग आयात कीमत में वृद्धि के साथ अब घरेलू बाजार में अधिक बिक्री करने में सक्षम नहीं रहा है और इसके फलस्वरूप इसकी घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सा, उत्पादन और क्षमता उपयोग में सुधार हुआ।
- ङ. संबद्ध देशों से आयातों में जांच की अवधि में पूर्णरूप में तथा सापेक्ष रूप में वृद्धि हुई है।
- च. आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।
- छ. आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई ह्रासकारी अथवा न्यूनकारी प्रभाव नहीं पड़ा है।
- ज. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में जांच की अवधि में मामूली गिरावट के साथ क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।
- झ. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- ञ. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में लाभ अर्जित किये हैं जो कोविड के प्रभाव के कारण अस्थायी स्थिति है। कोविड ने जांच की वर्तमान अवधि में अलग अलग अवधियों में अलग अलग तरीके से इस उद्योग को प्रभावित किया है।
- ट. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर सकारात्मक प्रतिफल अर्जित किया है।
- ठ. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में अधिकांश आर्थिक कारकों में वृद्धि देखी है।
- ड. पाटनरोधी शुल्क के बावजूद, संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा गैर-संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा से बहुत अधिक है।
- ढ. इस अनुरोध के संबंध में की घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में शुल्क वसूलता है, प्राधिकारी ने मूल जांच में यह पाया था कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण हानि हुई थी। इस कारण से, यह आवश्यक था कि उद्योग पाटन के प्रतिकूल प्रभावों से उभर सके।
- ण. एन आई पी पर प्रतिफल के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी पूंजी गहन और गैर-पूंजी गहन उद्योगों में भेदभाव नहीं कर सकते हैं और नहीं करना चाहिए। हितबद्ध पक्षकार चाहते हैं कि भारत पूंजीगत माल गहन उद्योगों के नक्शे से बाहर हो जाये।

- त. शुल्कों को लगाये जाने के बाद से घरेलू उद्योग की वार्षिक लाभप्रदता रिकार्ड पर है। यह देखा जा सकता है कि उद्धृत कीमतों में शुल्कों को जोड़ने के बावजूद, घरेलू उद्योग को हानि हुई थी।
- थ. इस अनुरोध के संबंध में की घरेलू उद्योग के संयंत्र को कोविड के कारण बंद करना पड़ा था, घरेलू उद्योग ने उत्पादन में गिरावट के कारण किसी क्षति का दावा नहीं किया है।
- द. वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख करते हुए संदर्भ दिये जाने के संबंध में कि मांग का सीधे तौर पर विचाराधीन उत्पाद से संबंध है, वार्षिक रिपोर्ट में दिये गये विवरण कंपनी के अनुमानों और प्राकलनों की तुलना में है। यह देखा जा सकता है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में निरंतर रूप से वृद्धि हुई है। इसके अलावा, जांच की अवधि में मांग में वृद्धि बहुत तीव्र थी।
- ध. कम आयात कीमत आंशिक रूप से पाटित आयातों के कारण और आंशिक रूप से सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण है।

ज. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

50. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति के संचयी आकलन की जांच पहले ही मूल जांच में की गई थी, जिसमें इस तथ्य की जांच की गई थी कि संचयी आकलन के लिए नियमावली में उल्लिखित शर्तों को पूरा कर लिया गया था। इस कारण से प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण संचयी रूप से क्षति की जांच करने की कार्यवाही की। चूंकि वर्तमान जांच पहले से ही लागू पाटनरोधी शुल्कों के साथ एक निर्णायक समीक्षा जांच है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि संचयी आकलन के लिए अपेक्षित सभी शर्तें पूरी की जा सकती हैं। प्राधिकारी की निरंतर कार्यपद्धति के अनुरूप और इस तथ्य के अनुरूप की संचयी जांच मूल मामले में शुरू की गई थी, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में भी संचयी आकलन किया है।
51. इस नियमावली के अनुबंध - 11 के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ... " घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों पर बहुत अधिक मात्रा में दबाव पड़ता अथवा कीमत में वृद्धि बहुत अधिक मात्रा में रुक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक हद तक हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांकों जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, माल सूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन का आकार और मार्जिन आदि पर इस नियमावली के अनुबंध 11 के अनुसार विचार किया गया है।
52. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में किये गये विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए उसका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति संबंधी विश्लेषण वास्तव में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों पर विचार करता है।
53. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत किये जाने के बाद सभी घरेलू उत्पादकों को पत्र भेजा था जिसमें उनसे यह अपेक्षित था कि वे अपने उत्पादन और बिक्री संबंधी आंकड़े उपलब्ध करायें। मैसर्स आई एस आर पी एल ने अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध कराये थे और यह उल्लेख किया था कि उन्हें लागू पाटनरोधी शुल्क को देखते हुए संबद्ध आयातों से वर्तमान में कोई क्षति नहीं हो रही है।
54. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि आई एस आर पी एल के आंकड़ों की भी जांच की जानी अपेक्षित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस नियमावली के नियम 11(2) के अनुसार, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे घरेलू उद्योग को क्षति, घरेलू उद्योग को क्षति के खतरे, घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक रुकावट का

निर्धारण करें। इस कारण से, क्षति का मूल्यांकन परिभाषित घरेलू उद्योग तक ही सीमित रखा जाना अपेक्षित है और अन्य उत्पादकों का कार्य-निष्पादन संगत नहीं है। यह ईसी-बेड लिनन ने डब्ल्यू टी ओ के पैनल के जांच परिणाम के अनुरूप भी है। घरेलू उद्योग वर्तमान जांच में मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमि. है जो नियम 2(ख) की आवश्यकता हो पूरा करता है। इस कारण से, इस तर्क में कोई दम नहीं है कि आई एस आर पी एल के आंकड़ों की भी जांच की जानी अपेक्षित है।

55. नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर, प्राधिकारी ने अपने लगातार अभ्यास के अनुसार क्षति रहित कीमत पर निर्धारण के प्रयोजन हेतु नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत को आय के रूप में धारित किया है।
56. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच में आगे बढ़ने से पूर्व घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच की है।

ज. 3.1 मांग का आकलन

57. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को एकमात्र भारतीय उत्पादक की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के जोड़ के रूप में निर्धारित किया है। इस प्रकार निर्धारित की गई मांग नीचे तालिका में दी गई है:-

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
1	घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	109	121
2	अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	96	113
3	संबद्ध देशों से आयात	मी.टन	***	***	***	***
4	अन्य देशों से आयात	मी.टन	4,566	2,478	13,829	22,217
5	कुल मांग	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	106	125

58. यह देखा गया है कि वर्ष 2019-20 में संबद्ध वस्तुओं की मांग में गिरावट आई थी किन्तु उसके बाद इसमें वृद्धि हुई है। क्षति अवधि में मांग में वृद्धि हुई है।

ज. 3.2 पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव संबद्ध देशों की आयात मात्रा और हिस्सा

59. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा, साथ ही अन्य देशों से आयातों के प्रभाव की प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार जांच की गई है:-

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
1	संबद्ध देश	मी.टन	69,838	57,910	73,002	85,755
क	यूरोपीय संघ	मी.टन	22,991	15,241	19,518	26,628
ख	कोरिया गणराज्य	मी.टन	45,875	42,651	53,467	59,127
ग	थाइलैंड	मी.टन	972	17	17	-
2	अन्य देश	मी.टन	4,566	2,478	13,829	22,217

3	जोड़	मी.टन	74,404	60,387	86,832	1,07,973
4	के संबंध में संबद्ध देशों के आयात -					
क	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	112	115
ख	मांग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	98	98
ग	कुल आयात	%	93.86%	95.90%	84.07%	79.42%

60. यह देखा गया है कि:-

- क. संबद्ध देशों से आयातों में 2019-20 में गिरावट आई है किन्तु 2020-21 और बाद में जांच की अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई है। आधार वर्ष में, साथ ही पिछले वर्ष से संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है।
- ख. उत्पादन और कुल आयातों के संबंध में भी आयातों में वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में खपत के संबंध में आयातों में मामूली गिरावट आई है किन्तु 2020-21 और जांच की अवधि में यह समान स्तर पर बना रहा है।
- ग. संबद्ध देशों से आयात भारत में कुल आयातों के 79 प्रतिशत को स्थापित करता है।

ज. 3.3. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

61. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किए जाने की जरूरत है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने अन्यथा रूप से कीमतों में हास किया है या कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित किया है, जो अन्यथा सामान्य अवधि में घटित हुआ होता।
62. तदनुसार, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की कीमत कटौती और कीमत हास/न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन हेतु घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत और निवल बिक्री प्राप्तियों की संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत के साथ तुलना की है।
- क. कीमत कटौती
63. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, आयातों की पहुंच कीमत की क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ तुलना के द्वारा कीमत कटौती को तैयार किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित प्रत्येक के ग्रेड लिए और तत्पश्चात् समग्र रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए पृथक रूप से कीमत कटौती को निर्धारित किया गया है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
क	समग्र रूप में संबद्ध देश – कुल –एसबीआर					
1	निवल बिक्री प्राप्तियां	रु./मी.टन	***	***	***	***
2	पहुंच कीमत	रु./मी.टन	1,19,711	98,288	97,914	1,28,132
3	कीमत कटौती	रु./मी.टन	***	***	***	***
4	कीमत कटौती	%	(0-10)%	(0-10)%	0-10%	0-10%
5	एडीडी के साथ पहुंच कीमत	रु./मी.टन	1,26,123	1,03,720	1,03,671	1,34,408
6	एडीडी के साथ कीमत कटौती	रु./मी.टन	***	***	***	***
7	एडीडी के साथ कीमत कटौती	%	(10-20) %	(5-15%)	(5)-5%	0-10%
ख	समग्र रूप में संबद्ध देश – कुल –एसबीआर 1500					

8	निवल बिक्री प्राप्ति	रु./मी.टन	***	***	***	***
9	पहुंच कीमत	रु./मी.टन	1,22,044	98,440	99,968	1,33,407
10	कीमत कटौती	रु./मी.टन	***	***	***	***
11	कीमत कटौती	%	(0-10)%	(0-10)%	0-10%	0-10%
12	एडीडी के साथ पहुंच कीमत	रु./मी.टन	1,28,640	1,03,788	1,04,883	1,39,013
13	एडीडी के साथ कीमत कटौती	रु./मी.टन	***	***	***	***
14	एडीडी के साथ कीमत कटौती	%	(5-15%)	(5-15%)	(0-10)%	0-10%
ग	समग्र रूप में संबद्ध देश – कुल –एसबीआर 1700					
15	निवल बिक्री प्राप्ति	रु./मी.टन	***	***	***	***
16	पहुंच कीमत	रु./मी.टन	1,16,322	98,059	93,266	1,17,241
17	कीमत कटौती	रु./मी.टन	***	***	***	***
18	कीमत कटौती	%	(10-20) %	(5-15%)	10-20 %	15-25%
19	एडीडी के साथ पहुंच कीमत	रु./मी.टन	1,22,466	1,03,618	1,00,929	1,24,900
20	एडीडी के साथ कीमत कटौती	रु./मी.टन	***	***	***	***
21	एडीडी के साथ कीमत कटौती	%	(10-20) %	(10-20) %	0-10%	5-15%

64. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी और कीमत कटौती सकारात्मक है।

ख. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

65. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास या न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव महत्वपूर्ण सीमा तक कीमतों में ह्रास कर रहा है या कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करता है जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण सीमा तक घटित हुआ होता, प्राधिकारी क्षति अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तन को नोट करते हैं।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
1	बिक्रियों की लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	67	84
2	बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	95	129
3	पहुंच कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	82	107

66. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान अपनी कीमतों में लागत से अधिक वृद्धि की है। आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में न तो ह्रास कर रहे हैं न ही उनमें न्यूनीकरण कर रहे हैं।

ज. 3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक पैरामीटरों पर प्रभाव

67. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह जरूरी है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की उद्देश्यपरक जांच शामिल की जाए। पाटनरोधी नियमावली में आगे व्यवस्था की गई है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और आंकड़ों जिसमें बिक्रियों में वास्तविक और संभावित गिरावट, लाभ,

आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेशों पर आय अथवा क्षमता का उपयोग; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह, मालसूचियों पर वास्तविक और संभावित प्रभाव, मालसूचियां, रोजगार, मजदूरियों, वृद्धि, पूंजी निवेशों को जुटाने की क्षमता शामिल है, का एक उद्देश्यपरक मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी पैरामीटरों पर यहां नीचे चर्चा की गई है:

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियां

68. प्राधिकारी ने क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा पर विचार किया है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
1	क्षमता	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
2	उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	100	106
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	100	106
4	घरेलू बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	109	121
5	निर्यात बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	83	22

69. यह देखा गया है कि:

- क. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर बनी रही है।
- ख. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वर्ष 2019-20 में वृद्धि हुई थी, तत्पश्चात् 2019-20 की अवधि में इसमें गिरावट आई किन्तु जांच की अवधि में इसमें वृद्धि हुई है।
- ग. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में वर्ष 2019-20 तक वृद्धि हुई थी वर्ष 2020-21 में इसमें मामूली गिरावट आई है और जांच की अवधि में इसमें वृद्धि हुई है।

ख. बाजार हिस्सा

70. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
1	घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	103	97
2	अन्य उत्पादकों का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	90	91
3	संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	98	98
4	अन्य देशों से आयातों का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	56	285	390

71. यह देखा गया है कि-

- क. वर्ष 2019-20 में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई थी किन्तु उसके बाद इसमें गिरावट आई। अन्य उत्पादकों के बाजार हिस्से ने भी समान प्रवृत्ति का अनुसरण किया है।
 ख. संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में वर्ष 2019-20 में गिरावट आई है किन्तु इसके पश्चात इसमें वृद्धि हुई।
 ग. इस अवधि में अन्य देशों से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।
 घ. भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

ग. निवेशों पर लाभ या हानि, नकद लाभ और आय

72. लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
1	बिक्रियों की लागत	रु./मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	67	84
2	बिक्री कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	95	129
3	लाभ/हानि	रु./मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(66)	48	96
4	लाभ/हानि	लाख रुपए	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(72)	53	117
5	नकद लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(63)	103	192
6	व्याज और कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी)	लाख रुपए	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(61)	109	195
7	निवेश पर आय (आरओआई)	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(58)	103	163

73. यह देखा गया है कि वर्ष 2020-21 के दौरान और इसके बाद लाभप्रदता, लाभों, नकद लाभों और नियोजित पूंजी पर आय के संदर्भ में जांच की अवधि के दौरान घरेलू निष्पादन में सुधार हुआ है।

घ. मालसूची

74. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
1	अथ मालसूची	मी.टन	***	***	***	***
2	अंत मालसूची	मी.टन	***	***	***	***
3	औसत मालसूची	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	124	98	117

75. यह देखा गया है कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

76. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	95	85
2	वेतन और मजदूरी	लाख रुपए	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	69	82
3	दैनिक उत्पादकता	मी.टन/ दैनिक	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	100	106
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.टन/ संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	106	125

77. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग का रोजगार स्तर और अदा की गई मजदूरी में क्षति अवधि में लगातार गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की उत्पादकता में उत्पादन के अनुरूप वृद्धि हुई है।

च. वृद्धि

78. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वृद्धि मापदंड को नीचे दर्शाया गया है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21
1	उत्पादन	वर्ष/वर्ष	6%	-5%	6%
2	विक्रियां	वर्ष/वर्ष	9%	0%	11%
3	लाभ/(हानि) प्रति यूनिट	वर्ष/वर्ष	34%	174%	99%
4	मालसूची	वर्ष/वर्ष	24%	-21%	19%
5	बाजार हिस्सा	वर्ष/वर्ष	12%	-9%	-5%
6	कर पूर्व लाभ	वर्ष/वर्ष	28%	173%	121%
7	नकद लाभ	वर्ष/वर्ष	37%	264%	87%
8	पीबीआईटी	वर्ष/वर्ष	39%	279%	80%
9	आरओआई	वर्ष/वर्ष	42%	279%	58%

79. यह देखा गया है कि पैरामीटरों की प्रचुरता जांच की अवधि में सकारात्मक वृद्धि को दर्शाती है।

छ. नई पूंजी जुटाने की क्षमता

80. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसकी किसी नए पूंजी निवेश को जुटाने की कोई योजना नहीं है।

ज. पाटन की मात्रा

81. यह देखा गया है कि कोरिया गणराज्य और यूरोपीय संघ, दोनों से पाटन मार्जिन सकारात्मक है।

झ. कारणात्मक संबंध

82. एडी नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा अन्य बातों के साथ, पाटित आयातों के अतिरिक्त किसी अन्य ज्ञात कारकों की जांच करना जरूरी है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं या पहुंचाने की संभावना है ताकि इन अन्य कारणों के कारण उत्पन्न हुई क्षति को पाटित आयातों के कारण न माना जाए। चूंकि, वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है और कारणात्मक संबंध की पहले ही मूल जांच में जांच की गई है, प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है या पहुंचाने की संभावना है। इसकी भी

जांच की गई कि क्या एडी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारणों ने घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही क्षति में योगदान दिया है या योगदान देने की संभावना है।

क. तृतीय देश से आयातों की मात्रा और कीमत

83. यह देखा गया है कि रूस से आयात न्यूनतम सीमा से अधिक हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और संबद्ध देशों के दायरे का विस्तार नहीं किया जा सकता। यह भी देखा गया है कि रूस से निर्यातों की मात्रा संबद्ध देशों से निर्यातों की मात्रा की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम है। यदि रूसी आयातों से क्षति का खतरा होता तो संबद्ध देशों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के कारण अब तक इनकी मात्रा में वृद्धि हो गई होती।

ख. मांग में संकुचन और/या खपत के पैटर्न में परिवर्तन

84. वर्ष 2019-20 में विचाराधीन उत्पाद की मांग में गिरावट आई है किन्तु उसके बाद इसमें वृद्धि हुई है। क्षति अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। क्षति अवधि में मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है।

ग. व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां नहीं हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं।

घ. प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद के उत्पादन के लिए अपनाई गई प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस के अलावा, उत्तर प्रस्तुत करने वाले उत्पादक ने भी यह नहीं बताया है कि प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन हुआ है।

ड. निर्यात निष्पादन

87. प्राधिकारी ने उस सीमा तक घरेलू और निर्यात प्रचालनों के लिए पृथक आंकड़ों का आश्रय लिया है कि यह, इसलिए निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग की घरेलू लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। किसी भी स्थिति में, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने निर्यात प्रचालनों में लाभ प्राप्त किया है।

च. अन्य उत्पादों का निष्पादन

88. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और विक्रय किए गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, को क्षति का संभव कारण नहीं है।

झ.1 क्षति और कारणात्मक संबंध जारी रहने के संबंध में समग्र निष्कर्ष

89. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन के संबंध में उनके प्रभाव की जांच यह दर्शाती है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है लेकिन घरेलू उद्योग पर कोई ह्रास/ दबाव का प्रभाव नहीं पड़ा था। आवेदक के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभप्रदता, लाभों, नकदी लाभों और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल के संदर्भ में भी क्षति अवधि के दौरान सुधार आया है। अतः प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को लगातार क्षति का सामना नहीं करना पड़ा है।

ञ. क्षति मार्जिन का परिमाण

90. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का निर्धारण यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमों में निर्धारित किए गए सिद्धांतों के आधार पर किया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए एनआईपी को घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए और जांच की अवधि के लिए अभ्यासरत लेखाकार द्वारा भली भांति प्रमाणीकृत उत्पादन के लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाने के द्वारा निर्धारित किया गया है। क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत पर तुलना करने के लिए विचार किया गया है। एनआईपी का निर्धारण करने के लिए, क्षति अवधि में कच्चे माल और युटिलिटीज के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है।

क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उत्पादन की लागत से असाधारण या गैर-आवर्ती व्ययों को उत्पादन लागत से बाहर रखा गया है। एनआईपी पर पहुंचने के लिए पीयूसी के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थायी परिसंपत्ति औसत कार्यशील पूंजी सहित) पर एक उचित आय (कर पूर्व @ 22 प्रतिशत) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी जैसा कि नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किया गया है और जिसका अनुपालन किया जा रहा है।

91. ऊपर निर्धारित किए गए अनुसार, पहुंच कीमत और एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा यथा-निर्धारित उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्रस्तावित क्षति मार्जिन नीचे तालिका में उपलब्ध कराया गया है:-

क्र.सं.	विवरण	एनआईपी	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन		
		यूएसडॉ./किग्रा.	यूएसडॉ./किग्रा.	यूएसडॉ./किग्रा.	%	रेंज %
क	कोरिया गणराज्य					
1	कुमहो पेट्रोकेमिकल कं. लिमि.	***	***	***	***	0-10
2	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	10-20
ख	यूरोपीय संघ					
1	कोई भी उत्पादक	***	***	***	***	20-30

92. यह देखा गया है कि प्रतिभागी उत्पादक के संबंध में क्षति मार्जिन सकारात्मक है। इसके अतिरिक्त, यूरोपीय संघ से आयातों के संबंध में क्षति मार्जिन सकारात्मक है।

ट. क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

93. जांच की अवधि के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. पाटित और क्षतिकारक कीमत पर तीसरे देशों को निर्यातों, भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता और संबद्ध देशों में उत्पादकों के निर्यात उन्मुखीकरण से संबंधित सूचना को अद्यतित नहीं किया गया है।
- ख. आवेदन में उपलब्ध कराई गई तीसरे देश के निर्यातों पर सूचना कुल रूप में एसबीआर के संबंध में है और केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में नहीं।
- ग. कोरिया गणराज्य से आयातों के संबंध में आवेदन में क्षमता, उत्पादन और मांग के संबंध में उपलब्ध कराई गई सूचना कुल रूप में एसबीआर के लिए है।
- घ. एलजी कैमिकल लिमि. ने मार्च, 2022 में एसबीआर कारोबार से बाहर होने का निर्णय किया है। चूंकि, एलजी कैमिकल लि. निर्यातों को रोक दिया जाएगा, कोरिया गणराज्य से भारत को किए जाने वाले कुल निर्यातों में उल्लेखनीय कमी आएगी।
- ड. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II(vii) के अनुसार संभावना संबंधी विश्लेषण के लिए प्राधिकारी द्वारा किसी भी कारक का आश्रय नहीं लिया गया है।
- च. प्रश्नावली उत्तर में प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई अप्रयुक्त क्षमता नहीं है।
- छ. प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि और जांच के बाद की अवधि के आंकड़ों की जांच करना और यह आकलन करना जरूरी है कि यदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो क्या उससे पाटन और परिणामी क्षति की संभावना/उम्मीद है।

- ज. भारतीय स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय सेस्टेट द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि सिर्फ अत्यधिक क्षमताओं की मौजूदगी ही पाटनरोधी शुल्कों के विस्तार के लिए पर्याप्त नहीं है।
- झ. आयातों के कारण कोई लगातार क्षति नहीं हो रही है और इसलिए, अधिशेष उत्पादन क्षमता की उपस्थिति के बारे में क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना के रूप में विचार नहीं किया जा सकता।
- ञ. कोरिया में क्षमता में महत्वपूर्ण गिरावट आई है जो यह इंगित करता है कि कोरिया से निर्यातों में गिरावट आने की संभावना है।
- ट. कोरियन उत्पादक के पास अतिरिक्त क्षमता, यदि कोई है, का भारत को विपथन नहीं किया जाएगा बल्कि इसका प्रयोग घरेलू मांग को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
- ठ. जांच के पश्चात की अवधि में, रूसी-यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में वैश्विक रूप से वृद्धि हुई है जिसने पूरे विश्व में आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है।
- ड. निर्यातकों के लिए भारत की बजाय उत्तरी अमेरिका कीमत-वार कहीं ज्यादा आकर्षक स्थान है क्योंकि कीमतों में किसी प्रत्याशित अधिमुखी प्रवृत्ति के बिना स्पाइक देखा गया है।
- ढ. संबद्ध देशों से तृतीय देश से निर्यातों पर विश्लेषण को अस्वीकृत किया जाना चाहिए क्योंकि उद्योग ने स्वयं स्वीकार किया है कि इसने गैर-विचाराधीन उत्पादों के निर्यातों को पृथक नहीं किया है।
- ण. घरेलू उद्योग ने तृतीय देश विश्लेषण के लिए प्रत्येक संबद्ध देश में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के परिकलन के लिए कोई क्रियाविधि उपलब्ध नहीं कराई है।
- त. एसबीआर की कीमतों में संबद्ध देशों से कुल मिलाकर 48 प्रतिशत की सीमा तक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इसलिए, जांच अवधि के पश्चात की अवधि के लिए कुछ तर्कधारों के अनुसरण में, पाटन और परिणामी क्षति के जारी रहने की संभावना नहीं बनती।
- थ. किसी पाटनरोधी शुल्क के विस्तार की योग्यता प्राप्त करने के लिए क्षति की पुनरावृत्ति की किसी संभावना की अनुपस्थिति में सिर्फ पाटनका होना पर्याप्त नहीं है।
- द. चाहे तीसरे देशों से निर्यातों के विपथन की संभावना भी हो तो इसके कारण क्षति नहीं होगी क्योंकि वर्तमान कीमतों के कारण क्षति नहीं हुई है।
- ध. प्रतिवादी की कुल बिक्रियों के भारत को निर्यात बहुत निम्न हिस्सा रखते हैं। एलजी केम. लिमिटेड के बाहर हो जाने के साथ, प्रतिवादी को कोरिया की घरेलू मांग में आने वाली शून्यता को पर्याप्त रूप से पूरा करना होगा और इससे भारत को निर्यातों में गिरावट आएगी।
- न. प्रतिवादी के पास कोई महत्वपूर्ण मालसूची नहीं है और भारत को निर्यातों में भी गिरावट आई है।
- प. भारत को निर्यातों में प्रतिवादी द्वारा किए निर्यात की मात्रा में वृद्धि होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि तृतीय देशों से ग्राहक आपूर्ति के वर्तमान स्तर को बनाए रखना चाहते हैं।
- फ. प्रतिवादी ने भारतीय बाजार में भी ग्राहकों को बिक्री करने के लिए कोई मात्रा संबंधी वचनबद्धता नहीं की है।
- ब. बड़े हुए पाटन के दावे के लिए, घरेलू उद्योग अपने संभावना संबंधी विश्लेषण का औचित्य सिद्ध करने के लिए कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराने में असफल रहा है।
- भ. यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे थाइलैंड अपने उत्पादन का 72 प्रतिशत भाग निर्यात कर रहा है जबकि इसने जांच की अवधि में भारत को शून्य निर्यात किया था। यह उनके शंकास्पद "बाजार विश्लेषण", के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अस्पष्ट निष्कर्षों को दर्शाता है।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

94. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. संबद्ध देशों में उत्पादक पाटित कीमतों पर तृतीय देशों को अपने उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं।

- ख. कोरियन उत्पादक न केवल भारतीय बाजार में पाटन कर रहे हैं बल्कि वैश्विक बाजार में भी पाटन कर रहे हैं। वैश्विक रूप से सभी उद्योग कोरियन उत्पादकों द्वारा पाटन किए जाने पर चिन्तित हैं।
- ग. यूएसए ने सितंबर, 2017 में कोरिया से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू किया जिसे प्रशासनिक समीक्षा में 44 प्रतिशत के रूप में निर्धारित पाटन मार्जिन के साथ बढ़ाया गया है।
- घ. मैक्सिको ने भी 2018 में कोरिया गणराज्य से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू किया था।
- ङ. संबद्ध देशों में पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किया जाना ऐसे उत्पादकों को अपने तृतीय देश निर्यातों को भारत को विपथित करने का अवसर उपलब्ध कराएगा। तृतीय देश निर्यातों का महत्वपूर्ण हिस्सा भारत को निर्यात कीमतों की तुलना में निम्न है।
- च. तृतीय देशों को महत्वपूर्ण निर्यात क्षतिकारक कीमतों पर किए गए हैं। भारत संबद्ध देशों में उत्पादकों के लिए एक अनुकूल बाजार है, भारतीय बाजार को इन निर्यातों का विपथन क्षतिकारक कीमतों पर गहन आयातों का कारण बनेगा।
- छ. संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा किया गया उत्पादन संबंधित देशों में मांग की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से उच्च है।
- ज. संबद्ध देशों में उत्पादक अपने अतिरिक्त उत्पादनों का उपयोग करने के लिए बाजारों की खोज में रहते हैं और शुल्कों को समाप्त किया जाना इन उत्पादकों को अपने उत्पादन भारत को विपथन करने की अनुमति देगा।
- झ. संबद्ध देशों में उत्पादक महत्वपूर्ण रूप से निष्क्रिय क्षमताओं के साथ प्रचालन कर रहे हैं।
- ञ. संबद्ध देशों में उत्पादकों के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण भाग निर्यात प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है।
- ट. यूरोपियन संघ से उत्पादन का 36 प्रतिशत, कोरिया गणराज्य से उत्पादन का 75 प्रतिशत और थाइलैंड से उत्पादन का 72 प्रतिशत भाग निर्यात किया जा रहा है।
- ठ. यदि घरेलू उद्योग पर अपनी कीमतों का आयातों से मिलान करने का दबाव होता है तो घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित की गई आय में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आएगी।
- ड. शुल्कों के बावजूद आयातों में वृद्धि स्पष्ट रूप से इस संभावना को दर्शाती है कि यदि शुल्कों का विस्तार नहीं किया जाता है तो आयातों में और अधिक वृद्धि होगी।
- ढ. एसबीआर के लिए सबसे बड़े बाजार भारत, यूरोपीय संघ और चीन हैं।
- ण. चीन ने अपनी एसबीआर क्षमताओं में विस्तार किया है और जारी मालभाड़े संबंधी मुद्दे के कारण यूरोपियन बाजार के पास कोरियन उत्पादकों के लिए बहुत लाभकारी कीमत नहीं है।
- त. कोरियन उत्पादक भारत में सीमा शुल्क रियायतों का भी लाभ प्राप्त करते हैं और इसलिए कोरियन उत्पादकों के लिए शोषण के लिए बचा सबसे बड़ा बाजार भारतीय बाजार है।
- थ. घरेलू उद्योग की कीमतों और बिक्री लागत से निम्न कीमत पर महत्वपूर्ण आयातों के घरेलू उद्योग की कीमतों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की बहुत संभावना है।
- द. भारतीय बाजार एक कीमत संवेदी बाजार है। क्रयकर्ता निर्यातकों द्वारा उद्धरित की गई कीमतों के आधार पर बातचीत करते हैं। यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों को जारी नहीं रखा जाएगा तो आयात कीमत में गिरावट आएगी।
- ध. चूंकि, विचाराधीन उत्पाद को शामिल करने वाली जांचों का इतिहास स्थापित करेगा कि आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत से कम है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग हानियों का सामना कर रहा है।
- न. कुमहो के उत्तर से, यह देखा जा सकता है कि उनकी घरेलू बिक्रियों में गिरावट आई है। कोरिया गणराज्य में टायरों के घरेलू उत्पादन में महत्वपूर्ण गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप विचाराधीन उत्पाद की

घरेलू बिक्रियों में तीव्र गिरावट हुई है। हाल की अवधि में, देश में मांग द्वारा किसी सुधार को देखने की कोई संभावना नहीं है।

- प. कुमहो के उत्तर से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019 में भारत को निर्यातों में गिरावट आई है किन्तु उसके पश्चात इनमें वृद्धि हुई है। लागू किए गए शुल्कों के साथ भारत को निर्यातों में वृद्धि दर्शाती है कि यदि शुल्कों को समाप्त किया जाता है तो निर्यातों में वृद्धि होने की संभावना है।
- फ. कुमहो के उत्तर से, यह देखा जा सकता है कि जांच की अवधि में मालसूचियों में महत्वपूर्ण तेजी हुई है। घरेलू मांग में गिरावट के साथ निष्क्रिय मालसूचियों में वृद्धि यह दर्शाती है कि उत्पादक अपने अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग करने के लिए वैकल्पिक बाजार की खोज करेंगे।
- ब. कुमहो ने स्वीकार किया है कि भारत द्वारा पाटनरोधी शुल्क को लगाने के बाद से किसी विशिष्ट निर्यात बाजार का विकास नहीं किया गया है और अन्य बाजार में उनकी कोई मात्रा संबंधी प्रतिबद्धता नहीं है और वे भारतीय बाजार को निर्यात करना जारी रखेंगे।
- भ. कुमहो ने स्वीकार किया है कि उसने अपने ग्राहकों के साथ सौदा प्रति सौदा आधार पर बिक्रियों की कीमतों और शर्तों पर मोल तोल किया है, यह दर्शाता है कि अन्य बाजारों में किसी मात्रा संबंधी प्रतिबद्धताओं के बिना, भारतीय बाजार उत्पादकों के लिए एक अन्वेषण क्षेत्र बना रहेगा।
- म. इस अनुरोध पर कि अतिरिक्त क्षमता शुल्कों का विस्तार करने के लिए पर्याप्त नहीं है, कानूनी जरूरत “मुक्त रूप से निस्तारणीय उत्पादन क्षमताओं” की हैं। चाहे यह कल्पना की गई है कि घरेलू मांग स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है, बाकी क्षमता निर्यातकों के लिए मुक्त रूप से निस्तारणीय हैं।
- य. इस अनुरोध पर कि यूक्रेन-रूसी युद्ध के कारण कीमत में जांच के पश्चात की अवधि में बिक्री देखी गई है, हितबद्ध पक्षकार प्राधिकारी को यह विश्वास कराना चाहते हैं कि रूस-यूक्रेन विवाद एक स्थायी कारक है। जांच के पश्चात की अवधि में कीमतों में वृद्धि एक पूरी तरह से अस्थायी घटना है जो बहुत लंबी अवधि के लिए जारी नहीं रहेगी।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

95. वर्तमान जांच यूरोपियन संघ, कोरिया गणराज्य और थाइलैंड से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू शुल्कों की एक निर्णायक समीक्षा है। नियमों के तहत, प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारित किया जाना जरूरी है कि क्या मौजूदा शुल्क को समाप्त किए जाने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है।
96. प्राधिकारी ने 9क(5), नियम 23 और पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-II(vii) की शर्तों में महत्वपूर्ण क्षति के खतरे से संबंधित पैरामीटरों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर दिए गए अन्य संगत कारकों के तहत निर्धारित की गई जरूरतों पर विचार करते हुए पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना की जांच की है।
97. ऐसे संभावना संबंधी विश्लेषण को आयोजित करने के लिए कोई विशिष्ट क्रियाविधि उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध-II के खंड (vii) में, अन्य बातों के साथ ऐसे कारकों को भी उपलब्ध कराया गया है, जो क्षति के खतरे के लिए प्रासंगिक हैं और इन कारकों का एक निर्णायक समीक्षा में संभावना संबंधी विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, ये संभावना को निर्धारण के लिए संगत पैरामीटरों की विस्तृत सूची नहीं है।:
 - क. भारत में पाटित आयातों के वृद्धि की उल्लेखनीय दर महत्वपूर्ण रूप से बढ़े हुए आयातों की ओर संकेत करती है।
 - ख. निर्यातक की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि किन्हीं अतिरिक्त निर्यातों को अवशोषित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता की खोज में, भारतीय बाजारों को उल्लेखनीय रूप से बढ़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना की ओर संकेत करता है।
 - ग. क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर उल्लेखनीय ह्रासात्मक या न्यूनीकरण प्रभाव होगा और इससे और अधिक आयातों के लिए मांग में वृद्धि होने की संभावना होगी।

घ. वस्तुओं की मालसूची की जांच की जा रही है।

98. प्राधिकारी ने उक्त सूचीबद्ध पैरामीटरों के संबंध में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के आकलन के संगत विभिन्न संकेतकों की जांच की है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने ऐसे अन्य संगत कारकों की भी जांच की है जो पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की संभावना पर प्रभाव डाल सकते हैं।
99. यह देखा गया है कि वर्तमान जांच में केवल कोरिया गणराज्य से उत्पादक ने भाग लिया है। यूरोपीय संघ और थाइलैंड से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए प्राधिकारी ने कोरिया गणराज्य से क्षति की संभावना की जांच करने के लिए उत्तर प्रस्तुत करने वाले उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर विचार किया है। यूरोपियन संघ और थाइलैंड के लिए, असहयोग को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार किया गया है।
100. इस अनुरोध पर कि जांच-पश्चात अवधि की भी जांच किया जाना जरूरी है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच के पश्चात की अवधि की जांच के लिए सूचना अनिवार्य नहीं है। इस मामले में प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना की जांच करने के लिए विभिन्न कारकों का विश्लेषण किया है और इनका आगामी पैराओं में उल्लेख किया गया है।

ट. 3.1 भारत में वर्तमान पाटित आयातों का स्तर महत्वपूर्ण रूप से बढ़े हुए आयतों की संभावना की ओर संकेत करता है

101. आयातों में वृद्धि की दर की जांच करने के लिए, जो और अधिक वृद्धि की संभावना की ओर संकेत कर सकते हैं, प्राधिकारी ने कुल रूप में और भारत में उत्पादन और खपत दोनों के संबंध में, क्षति अवधि में आयातों की मात्रा की प्रवृत्ति की जांच की है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
1	संबद्ध देश	मी.टन	69,838	57,910	73,002	85,755
2	के संबंध में संबद्ध देशों से आयात -					
क	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	112	115
ख	मांग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	98	98
ग	कुल आयात	%	93.86%	95.90%	84.07%	79.42%

102. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयातों में पाटनरोधी शुल्कों के विद्यमान होने के बावजूद कुल रूप में वृद्धि हुई है और कुल रूप में और सापेक्ष रूप, दोनों में, ये महत्वपूर्ण बने हुए हैं। तथापि, कुल मांग के संबंध में संबद्ध देशों से आयातों में गिरावट आई है।

ट.3.2 क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर उल्लेखनीय ह्रासात्मक या न्यूनीकरण प्रभाव पड़ेगा और इससे अधिक आयातों की मांग में वृद्धि होगी।

103. जांच की अवधि में आयातों, उत्पादन की लागत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर यह जांच करने के लिए विचार किया गया है कि क्या आयातों के द्वारा घरेलू कीमतों पर ह्रासात्मक या न्यूनीकरण प्रभाव डालने की संभावना है।

क्र.सं.	विवरण	निम्न लागत		बिक्री कीमत से कम	
		मात्रा मी.टन में	पहुंच कीमत रुपए/मी.टन	मात्रा मी.टन में	पहुंच कीमत रुपए/मी.टन में
1	संबद्ध देशों से आयात	30,518	***	53,970	***
2	निम्न के संबंध में आयातों का हिस्सा-				

क	घरेलू बिक्रियां	***		***	
ग	कुल आयात	28.27%		49.99%	

स्रोत- अक्टूबर, 2020 से सितंबर, 2021 के दौरान सौदा-वार डीजी सिस्टम्स आंकड़े (पीओआई)

104. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयात महत्वपूर्ण हैं जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्रियों की लागत से निम्न हैं। इन आयातों की मात्रा पर विचार करते हुए, इस बात की बहुत संभावना है कि आयात ऐसी कीमत पर घटित होंगे जिनका घरेलू कीमतों पर ह्रासात्मक या न्यूनीकरण प्रभाव होगा और उनसे आगे के आयातों की मांग में वृद्धि होने की संभावना है।

ट.3.3 निर्यात उन्मुखीकरण

105. संबद्ध देशों में उत्पादकों के निर्यातोन्मुखी होने के संबंध में सूची नीचे दी गई है। प्राधिकारी ने कोरिया गणराज्य से उत्तर देने वाले उत्पादक के लिए जांच की अवधि के लिए सूचना की जांच की है और यूरोपीय संघ और थाइलैंड के मामले में, वर्ष 2020 के लिए रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की गई सूचना (स्रोत - आईसीआईएस रिपोर्ट) पर क्षति की संभावना की जांच करने के लिए विचार किया गया है।

क्र.सं.	विवरण	उत्पादन	निर्यात	निर्यात उन्मुखीकरण	निर्यात उन्मुखीकरण भारतीय मांग के प्रतिशत के रूप में	
		केटी	केटी		%	रेंज %
1	कुमहो पेट्रोकेमिकल कंपनी लि., कोरिया गणराज्य (सूचकांक)	***	***	70-80%	***	50-60
2	यूरोपीय संघ	1,040	370	36%	***	110-120
3	थाइलैंड	138	99	72%	***	30-40

106. यह देखा गया है कि कुमहो पेट्रोकेमिकल कंपनी लि. के उत्पादन का 70-80 प्रतिशत निर्यात किया गया है। यूरोपियन संघ और थाइलैंड के मामले में, यह देखा गया है कि उत्पादन के क्रमशः 116 प्रतिशत और 72 प्रतिशत का निर्यात के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया गया है। इसलिए, संबद्ध देशों में उत्पादक निर्यात प्रयोजन के लिए उनके उत्पादन का महत्वपूर्ण हिस्से का उपयोग कर रहे हैं।

ट. 3.4 निष्क्रिय या अप्रयुक्त क्षमताएं

107. संबद्ध देशों में उत्पादकों के साथ अधिशेष क्षमताओं के संबंध में सूचना नीचे दी गई है। उत्तर देने वाले उत्पादक के मामले में, प्राधिकारी ने उनके उत्तर के आधार पर जांच की अवधि के लिए सूचना की जांच की है और यूरोपियन संघ और थाइलैंड के मामले में, असहयोग को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2020 के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर क्षति की संभावना की जांच करने के लिए विचार किया गया है।

क्र.सं.	विवरण	उत्पादन	निर्यात	निष्क्रियता क्षमता	भारतीय मांग के प्रतिशत के रूप में निष्क्रिय क्षमता	
		केटी	केटी		%	रेंज %
1	कुमहो पेट्रोकेमिकल कंपनी लि., कोरिया गणराज्य (सूचकांक)	***	***	70-80%	***	50-60
2	यूरोपीय संघ	1,040	370	36%	***	110-120
3	थाइलैंड	138	99	72%	***	30-40

108. यह देखा गया है कि जांच की अवधि में कुमहो पेट्रोकेमिकल कंपनी लि. पूरी क्षमता के साथ प्रचालन कर रहा था। तथापि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कुमहो से निर्यातों का 70-80 प्रतिशत निर्यात किया गया है, यह निर्यातोन्मुखीकरण को दर्शाता है। यूरोपियन संघ और थाईलैंड के मामले में क्रमशः क्षमताओं का 170-180 प्रतिशत और 10-20 प्रतिशत निष्क्रिय पड़ा हुआ है। यह देखा गया है कि उत्पादकों ने अपने संबंधित देश में मांग से महत्वपूर्ण रूप से अधिक क्षमताएं स्थापित की हैं और वे अपनी क्षमताओं का उपयोग निर्यात प्रयोजन के लिए करने का प्रयास करेंगे।

ट.3.5 तृतीय देश से पाटन

109. तृतीय देश से पाटन के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	विवरण	पाटित कीमतों पर तृतीय देशों को निर्यात	कुल निर्यात	कुल निर्यातों में पाटित निर्यातों का हिस्सा	
		मी.टन	मी.टन	%	रेंज
1	कुमहो पेट्रोकेमिकल कं. लिमि., कोरिया गणराज्य	***	***	***	60-70
2	यूरोपियन संघ	1,39,820	2,48,643	56%	50-60
3	थाईलैंड	48,452	97,314	50%	50-60

स्रोत – कोरिया गणराज्य के लिए सूचना कुमहो द्वारा दायर किए गए उत्तर से और अन्य देशों के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से ली गई है।

110. यह देखा गया है कि तृतीय देशों को उत्तर प्रस्तुत करने वाले उत्पादकों के निर्यातों का 60-70 प्रतिशत हिस्सा पाटित आयातों पर है। इसी प्रकार, यूरोपीय संघ और थाईलैंड के मामले में तृतीय देशों को पाटित आयातों का हिस्सा कुल निर्यातों का क्रमशः 56 प्रतिशत और 50 प्रतिशत है।

ट.3.6 तृतीय देश क्षतिकारक निर्यात

111. तृतीय देश क्षतिकारक निर्यात के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	क्षतिकारक कीमत पर तृतीय देशों को निर्यात	कुल निर्यात	भारतीय मांग के प्रतिशत के रूप में क्षतिकारक कीमतों पर निर्यात	
		मी.टन	मी.टन	%	रेंज
1	कुमहो पेट्रोकेमिकल कं. लिमि., कोरिया गणराज्य	***	***	***	30-40
2	यूरोपियन संघ	1,61,214	2,48,643	***	40-50
3	थाईलैंड	45,039	97,314	***	10-20

स्रोत – कोरिया गणराज्य के लिए सूचना कुमहो द्वारा दायर किए गए उत्तर से और अन्य देशों के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से ली गई है।

112. यह देखा गया है कि उत्तर देने वाले उत्पादक के निर्यातों का महत्वपूर्ण हिस्सा ऐसी कीमतों पर है जो घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारक हैं। इसी प्रकार, यूरोपीय संघ और थाईलैंड के लिए तृतीय देशों को किया गया क्षतिकारक निर्यात क्रमशः ***प्रतिशत और ***प्रतिशत है।

ट.3.7 कीमत आकर्षकता

113. कीमत आकर्षकता के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	भारत से कम कीमत पर अन्य देशों को निर्यात	कुल निर्यात	भारत से कम कीमत पर अन्य देशों को निर्यात, भारतीय मांग का प्रतिशत	
				%	रेंज
1	कुमहो पेट्रोकेमिकल कं. लिमि., कोरिया गणराज्य	***	***	***	30-40
2	यूरोपीयन संघ	1,18,561	2,48,643	***	30-40
3	थाईलैंड	34982	97,314	***	10-20

स्रोत – कोरिया गणराज्य के लिए सूचना कुमहो द्वारा दायर किए गए उत्तर से और अन्य देशों के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से ली गई है।

114. यह देखा गया है कि उत्तर देने वाले उत्पादकों का तीसरे देशों को किये गये निर्यातों का लगभग 30-40 प्रतिशत ऐसी कीमतों पर है जो भारत को किए गए निर्यात की कीमत से कम हैं। इसी प्रकार, यूरोपीय संघ के मामले में निर्यातों का 30-40 प्रतिशत भारतीय कीमतों से कम कीमत पर है।

ट.3.8 अन्य देशों द्वारा लागू किए गए उपाय

115. यह देखा गया है कि भारत द्वारा पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने के पश्चात, मैक्सिकन मिनिस्ट्री ऑफ इकॉनामी ने भी कोरिया से आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लागू किए हैं। निश्चयात्मक शुल्क लागू करने वाला संकल्प आदेश 25 जनवरी, 2019 को जारी किया गया था और शुल्क अभी भी लागू हैं। यह भी देखा गया है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने भी कोरिया से यूएसए में विचाराधीन उत्पादों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू किए हैं। सितंबर, 2017 में सर्वप्रथम शुल्क लागू किए गए थे और अभी भी अस्तित्व में हैं। कोरिया गणराज्य से आयातों पर मैक्सिकन मिनिस्ट्री ऑफ इकॉनामी द्वारा लागू किये गये शुल्क की दर 0.1137 अमरीकी डॉलर प्रति कि.ग्रा. है और कोरिया गणराज्य से आयातों पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स द्वारा लागू शुल्क 44.3 प्रतिशत है।
116. क्षति की संभावना के लिए कारकों की समग्र जांच के संबंध में, यह देखा गया है कि शुल्क लागू रहने के बावजूद, संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में निरपेक्ष संदर्भ में और भारतीय उत्पादन के संबंध में वृद्धि हुई है। आयातों की काफी मात्रा बिक्री कीमत और घरेलू उद्योग के आवेदक की लागत से कम है, जो यह दर्शाता है कि यदि शुल्कों को समाप्त होने दिया गया, तो आयातों का उनकी कीमतों पर एक ह्रास/ दबाव का प्रभाव होगा।
117. यहां तक कि कुमहो के पास कोई निष्क्रिय क्षमताएं नहीं हैं, यह देखा गया है कि इसके उत्पादन की बहुत ही अधिक मात्रा निर्यात के प्रयोजन के लिए शामिल की गई है। यह भी नोट किया जाता है कि थाईलैंड और यूरोपीय संघ से उत्पादकों के पास पर्याप्त रूप में अप्रयुक्त क्षमताएं हैं और वे निर्यात के प्रयोजन के लिए अपने उत्पादन के एक बड़े हिस्से का उपयोग कर रहे हैं। संबद्ध देशों से अन्य देशों को निर्यातों का एक बड़ा हिस्सा पाटित कीमतों पर और ऐसी कीमतों पर है, जो भारत को निर्यात कीमत से कम कीमत पर हैं, जो निर्यातों के डाइवर्ट होने की संभावना को दर्शाता है।

ठ. प्रकटन के उपरांत टिप्पणियां

118. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन के उपरांत टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। उनमें उठाए गए मामले, जांच के दौरान पहले भी उठाए जा चुके हैं और उन्हें उपयुक्त रूप से शामिल किया जा चुका है। तथापि, स्पष्टता की दृष्टि से, हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच की जा रही है, जो इस प्रकार है :-

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

119. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- क. आईएसआरपीएल की भागीदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह मूल जांच के दौरान केवल उत्पादक था और प्राधिकारी ने उसके आंकड़ों के आधार पर वास्तविक क्षति जांच की मौजूदगी पर निष्कर्ष दिया था। अतः पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने के बाद उसके निष्पादन की जांच करना आवश्यक है ताकि पाटनरोधी शुल्कों के विस्तार की जरूरत की उद्देश्यपरक जांच हो सके।
- ख. शुल्क का भुगतान करने के संबंध में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध किसी सूचना के गोपनीय होने का दावा नहीं किया जा सकता, अतः आवेदक को सीआईआईएस रिपोर्ट और आईआईएसआर रिपोर्ट की पूरी सामग्री तथा व्यापार मानचित्र और यूरोस्टेट से प्राप्त की गई सूचना प्रकट करनी चाहिए।
- ग. घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया है कि व्यापार मानचित्र तथा यूरोस्टेट से प्राप्त आंकड़े विचाराधीन उत्पाद से संबंधित नहीं हैं और इसीलिए असंगत हैं।
- घ. क्षति अवधि के दौरान संयंत्रों के बंद होने की वजह से हुए नुकसान की मात्रा का ब्यौरा प्रकट किया जाना चाहिए ताकि क्षति का उद्देश्यपरक ढंग से विश्लेषण किया जा सकता है।
- ङ. घरेलू उद्योग की उच्च स्तर की लाभप्रदता को देखते हुए, प्रतिवादी यह समझने में असमर्थ है कि कैसे कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है और 20-30 प्रतिशत के बीच है।
- च. घरेलू उद्योग की विचाराधीन उत्पाद के लिए कीमत के संबंध में एक नीति है, जिसके अनुसार, उसने उद्धृत कीमतों में “सेवा की लागत” घटक के रूप में लागू पाटनरोधी शुल्कों को जोड़ा है, जबकि कीमत कटौती की गणना करने के लिए प्रयुक्त पहुंच मूल्य का निर्धारण सीआईएफ मूल्यों में केवल बीसीडी को जोड़कर किया गया है और इसमें पाटनरोधी शुल्क का घटक शामिल नहीं है। इन कारकों को देखते हुए, पहुंच मूल्य और एनएसआर की तुलना उद्देश्यपरक नहीं है क्योंकि कीमत कटौती घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के स्तर के बावजूद सकारात्मक रही।
- छ. यदि घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव था, तो यह केवल महामारी के कारण और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन बंद होने के कारण से हो सकता है।
- ज. मांग और आपूर्ति में 26 प्रतिशत का एक महत्वपूर्ण अन्तर मौजूद है, जिसे घरेलू उद्योग भर पाने में असमर्थ है।
- झ. घरेलू उद्योग को कोई भी क्षति ऑटोमोबाइल उद्योग की मांग में गिरावट आने के कारण से होनी चाहिए।
- ञ. पाटित आयातों में वृद्धि के संबंध में, भरोसेमंद विचाराधीन उत्पाद से संबंधित आयात के आकड़े न होने की वजह से घरेलू उद्योग द्वारा पाटन का कोई भी दावा अप्रमाणित है।
- ट. क्षेत्र से एलजी केम लिमिटेड के बाह्य हो जाने के कारण कोरिया गणराज्य की क्षमता में भारी गिरावट आई है, जो यह दर्शाती है कि कोरिया गणराज्य से निर्यातों में गिरावट की संभावना है।
- ठ. बढ़ती मालभाड़ा लागतें और शिपिंग कंटेनर की कमी के कारण शिपिंग बाधाओं में 200-400 प्रतिशत तक की आयात दरों में वृद्धि हुई है। इतनी अधिक कीमत कथित पाटित आयातों के कारण क्षति की कोई संभावना को नहीं दर्शाती।
- ड. मैक्सिम मिनिस्ट्री ऑफ इकॉनोमी और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स द्वारा विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में जांच की अवधि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच की जांच अवधि से भिन्न है। इसे विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्कों को लगाए रखना, जारी रखने के लिए एक मापदंड के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।
- ढ. अपोलो टायर्स लिमिटेड और जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने प्रकटीकरण विवरण जारी होने से पहले प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया था। तथापि, प्राधिकारी ने इस संबंध में प्रतिवादी की सदस्य कंपनियों से कोई स्पष्टीकरण मांगने के लिए कोई कमी का पत्र अथवा ईमेल नहीं भेजा है।

- ण. प्राधिकारी के उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपोलो के माध्यम से निर्यात सौदों के लिए कारखाना बाह्य कीमत की गणना की है। उपलब्ध तथ्यों को लागू करते समय, “प्रतिकूल” अर्थ निकालने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.8 के तहत यह प्रावधान है कि जब कोई अप्राप्त सूचना सामने आए तो प्राधिकारी को सबसे अधिक उपयुक्त तथ्यों का उपयोग करना चाहिए न कि प्रतिकूल तथ्यों का।
- त. प्राधिकारी को यह नोट करना चाहिए कि अपोलो टायर्स होल्लिंग प्रा. लि. एक असंगत व्यापारी है और कुम्हो का संबद्ध जांच में इसकी भागीदारी पर कोई नियंत्रण नहीं है। अपोलो टायर्स होल्लिंग प्रा. लि. के ज़रिए किए गए निर्यात की अपर्याप्त निर्यात मात्रा को उपलब्ध तथ्यों को लागू किए बिना नजरअंदाज किया जा सकता है।
- थ. यदि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करने का निर्णय लेते हैं, तो प्राधिकारी को निर्णायक समीक्षा के दौरान निर्धारित पाटन मार्जिन या क्षति मार्जिन पर भरोसा करना चाहिए।
- द. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में तथ्य और परिस्थितियां कोरिया गणराज्य से निर्यातों के पाटन और क्षति की संभावना का अलग आकलन करने की जरूरत दर्शाती है क्योंकि कुम्हो के अलावा, कोरिया गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं के केवल दूसरे उत्पादक अर्थात एलजी कैम. लि. ने एसबीआर कारोबार को मार्च, 2022 से बाहर करने का निर्णय लिया है।
- ध. प्राधिकारी ने क्षति की संभावना का आकलन करते हुए कुम्हो द्वारा अन्य देशों को किए गए निर्यातों पर अत्यधिक भरोसा किया है। अन्य देशों को निर्यात का पैटर्न केवल तभी संगत होगा जब उत्पादक/ निर्यातक के पास अप्रयुक्त अथवा निष्क्रिय क्षमताएं हों।
- न. कुम्हो भारत के अलावा कई देशों को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात कर रहा है। भारत के अलावा अन्य देशों से ग्राहक कुम्हो से आपूर्ति के मौजूदा स्तर को बनाए रखना चाहते हैं।
- त. अब घरेलू उद्योग भी पूरी तरह से स्थापित हो चुका है और लाभ अर्जित कर रहा है। यदि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का निर्णय लेते हैं, तो यह दो वर्षों की अवधि के लिए होना चाहिए।
- प. थाइलैंड ने जांच की अवधि के दौरान भारत को शून्य निर्यात किए हैं। इस प्रकार, यदि वह अधिक निर्यातोन्मुखी होता है तो यह स्पष्ट है कि यह भारत को एक आकर्षक बाजार के रूप में नहीं मानता।
- फ. अन्य क्षेत्रों में किए गए उपाय वर्तमान जांच के लिए असंगत हैं।
- ब. प्राधिकारी ने गलत अवलोकन किया है कि टायरों की कुल लागत में एसबीआर का हिस्सा 10 प्रतिशत से भी कम है। पेसेंजर और लाइट ट्रक टायरों के लिए, तैयार उत्पादों में शामिल विचाराधीन उत्पाद का संगत मूल्य करीब 15 प्रतिशत है।

8.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

120. घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि के दौरान निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- क. आवेदक की कीमत समायोजनों के संबंध में गंभीर चिंताएं हैं, जिन्हें सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत से कम किए जाने की जरूरत है।
- ख. प्राधिकारी से कुम्हो पाटन मार्जिन के संबंध में आवेदक के अनुरोधों पर विचार करने का अनुरोध है।
- ग. कोरिया गणराज्य से एक्रिलोनाइट्राइल बुटाडीन रबड़ के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा में, कुम्हो ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत, दोनों से पैकिंग व्यय के समायोजन का दावा किया था और प्राधिकारी द्वारा इसकी अनुमति दे दी गई थी।
- घ. घरेलू और निर्यात बाजारों में शामिल पैकिंग लागत में भिन्नता निर्यात द्वारा सामने नहीं लाई गई है। घरेलू और निर्यातों के मामले में पैकिंग लागत में काफी भिन्नता है।
- ङ. घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्रियों के मामले में एमबीएस कंटेनर के लिए पट्टा प्रभार में काफी अन्तर है। इन कंटेनरों को पट्टे पर प्रदान करने वाली एजेंसी आवेदक और कुम्हो, दोनों के लिए समान हैं।

- च. पट्टे के लिए दिनों के आधार पर कंटेनर पट्टा प्रभारों में काफी अंतर है। आवेदक यह महसूस करता है कि उपरोक्त तथ्य कुम्हो द्वारा प्राधिकारी को प्रकट नहीं किए गए हैं।
- छ. एलजी कैम लि. के पास संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक 160 केटी संयंत्र था और उसने केवल 80 केटी उत्पादन क्षमता ही डाइवर्ट की है। शेष 80 केटी क्षमता संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए जारी रही।
- ज. एलजी कैम लि. से मई 2022 तक काफी आयात रहे हैं। हितबद्ध पक्षकारों का दावा कि एलजी कैम लि. कारोबार से बाहर हो गया है और कोरिया से निर्यातों में वृद्धि होने की कोई संभावना नहीं है, आधारहीन है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य आगे नहीं लाए गए हैं।
- झ. वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन विगत जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन से अधिक है, यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से पाटन में तेजी आई है। अतः शुल्कों को बढ़ाया जाना चाहिए।
- ञ. वर्तमान मालभाड़ा मामले के कारण वर्तमान आयात कीमतों पर प्रभाव पड़ा है। एक बार मालभाड़ा का मामला निपट जाए तो यह संभावना है कि संबद्ध देशों में उत्पादक अपनी कीमतों में गिरावट लाएंगे और पाटन में आगे तेजी आने की संभावना है।
- ट. संबद्ध देशों के आयातों की मात्रा में शुल्क लगाए जाने के बावजूद वृद्धि हुई है। समान स्तर के शुल्कों पर विचार करते हुए, आयातों में आगे वृद्धि होने की संभावना है।
- ठ. व्यापार उपचारी उपायों के लगाए जाने/ बंद किए जाने का टायर उद्योग के निष्पादन के साथ कोई संबंध नहीं है। यह इस कारण से है क्योंकि टायर निर्यातक इन उपायों की लागत वहन नहीं करते और शुल्क के प्रभाव को अन्तिम उपभोक्ता पर डालते हैं।
- ड. आवेदक के निष्पादन में निरंतर सुधार भी विचाराधीन उत्पाद में आगे निवेश ला सकते हैं। विचाराधीन उत्पाद में निवेश से रोजगार की उत्पत्ति होगी, आयातों पर निर्भरता में कमी आएगी और भारतीय विदेशी मुद्रा के लिए बढ़ावा मिलेगा।
- ढ. कोविड-19 की वर्तमान स्थिति ने देश में स्वदेशी उत्पादन के महत्व को स्पष्ट रूप से दिखाया है।
- ण. बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, सियट टायर्स, अपोलो टायर्स और गुडईयर टायर्स सभी अपनी क्षमताएं बढ़ाना चाह रहे हैं। कोई भी प्रयोक्ता निवेश नहीं करेगा, यदि उसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद न हो।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

121. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के बाद के विवरण की जांच की है और यह नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियों की पुनरावृत्ति की गई है, जिन्हें उपयुक्त रूप से पहले ही जांचा जा चुका है और प्रकटीकरण विवरण के संगत पैरा में पर्याप्त रूप से शामिल किया जा चुका है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण विवरण के बाद की टिप्पणियों/ अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मामलों और प्राधिकारी द्वारा संगत पाए गए मामलों की इस प्रकार जांच की गई है।
122. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि आईएसआरपीएल के आंकड़ों की भी जांच आवश्यक है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 11(2) के तहत प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की क्षति की आशंका, घरेलू उद्योग की स्थापना की वास्तविक क्षति का निर्धारण करने की जरूरत है। अतः क्षति का आकलन निर्धारित घरेलू उद्योग तक सीमित रखने की जरूरत है। यह ईसी-वेड लिनेने में डब्ल्यूटीओ पैनल के जांच परिणामों के अनुसार भी है। घरेलू उद्योग वर्तमान जांच में मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जो नियमावली के नियम 2(ख) की अपेक्षाओं को पूरा करता है। अतः इस तर्क में कोई दम नहीं है कि आईएसआरपीएल के आंकड़ों की भी जांच करने की जरूरत है।
123. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर कि घरेलू उद्योग द्वारा अन्य देशों के संबंध में संबद्ध देशों के लिए प्रदान किए गए निर्यात संबंधी आकड़े अन्य उत्पादों के लिए भी हैं, अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि केवल कोरिया

- गणराज्य से उत्पादक ने ही भाग लिया है और यूरोपीय संघ तथा थाइलैंड से कोई भी भागीदारी नहीं है। किसी भी अन्य पक्षकार ने प्राधिकारी को अन्य देश के निर्यातों पर कोई भी संगत सूचना प्रदान नहीं की है। अतः प्राधिकारी ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना पर भरोसा किया है।
124. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस निवेदन के संबंध में कि मूल्य कटौती की गणना के लिए उपयोग किए गए पहुंच मूल्य में एडीडी घटक शामिल नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने एनएसआर और पहुंच मूल्य की तुलना करके और बिना मूल्य कटौती की जांच की है। इस खोज के प्रासंगिक भागों में जोड़ें। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जहां पहुंच मूल्य में एडीडी घटक जोड़ा गया था वहां भी कीमत में कटौती सकारात्मक रही है।
125. इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकरण ने अपोलो टायर्स लिमिटेड और जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कोई कमी पत्र नहीं भेजा है, यह नोट किया जाता है कि सभी इच्छुक पार्टियों का यह कर्तव्य है कि वे संबंधित रूप और अपेक्षित तरीके से पूरी जानकारी प्रदान करें। अधिकारी।
126. कुम्हो के लिए पैकेजिंग लागत और अन्य खर्चों के समायोजन के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने उचित सत्यापन के बाद, कुम्हो के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत दोनों से पैकेजिंग लागत के समायोजन की अनुमति दी है।
127. कुम्हो द्वारा अपोलो के ज़रिए किए गए निर्यातों पर उपलब्ध तथ्यों के संबंध में अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्धारित प्रक्रिया और लागू पाटनरोधी नियमों के अनुसार निर्धारण किया गया है।
128. यह तर्क दिया गया है कि एलजी कैम लि. मार्च, 2022 से कारोबार से बाहर हो गए हैं और इसीलिए कोरिया से भारत को निर्यातों का कोई डाइवर्सन होने की संभावना नहीं है। यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने एलजी के कारोबार से पूरी तरह से बाहर होने का कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग ने यह सूचना प्रदान की है कि एलजी कैम लि. ने एनबीआर को केवल कुछ ही क्षमताएं डाइवर्ट की हैं और कुछ क्षमताएं एसबीआर का उत्पादन जारी रख रही हैं। अतः हितबद्ध पक्षकारों के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
129. क्षतिरहित कीमत की गणना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षतिरहित कीमत का निर्धारण प्राधिकारी की सतत प्रक्रिया के अनुसार और नियमों के अनुसार किया गया है।
130. थाइलैंड से क्षति की संभावना नहीं होने के अनुरोध पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि थाइलैंड से अन्य देशों को क्षति कीमतों पर और भारत को निर्यात कीमत से कम कीमतों पर काफी निर्यात हो रहे हैं। यह तथ्य कि जांच की अवधि में थाइलैंड से कोई निर्यात नहीं है, यह केवल लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण से है। यह भी नोट किया जाता है कि थाइलैंड में उत्पादक निर्यातोन्मुखी हैं। अतः भारत को निर्यातों के डाइवर्ट होने की संभावना है।
131. अपोलो टायर्स लिमिटेड और जेके टायर लिमिटेड को शुल्क के प्रभाव की गणना के पूरक के लिए कोई अवसर नहीं दिए जाने पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इच्छुक पार्टियों ने अपने उपयोगकर्ता प्रश्नावली उत्तर के साथ कोई गणना प्रदान नहीं की थी। यहां तक कि जहां उपयोगकर्ताओं ने कर्तव्यों का प्रभाव प्रदान किया, वहां कोई वैकअप गणना प्रदान नहीं की गई थी।
132. यह तर्क दिया गया है कि कुल टायर लागत में एसबीआर के हिस्से के संबंध में प्राधिकारी की जांच गलत है, क्योंकि पैसेंजर कार टायर में हिस्सा 15-20 प्रतिशत है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसे सभी प्रकार के टायरों पर प्रभाव के संबंध में विचार करना अपेक्षित है न कि केवल पैसेंजर कार टायरों के लिए। प्रयोक्ता प्रश्नावली उत्तर से यह देखा गया है कि प्राधिकारी ने यह विचार किया है कि एसबीआर का हिस्सा 5 प्रतिशत से भी कम है। इस प्रकार यह देखा गया है कि टायर की कुल लागत में एसबीआर का हिस्सा अपर्याप्त है और पाटनरोधी शुल्कों का प्रभाव पर्याप्त नहीं होगा।

133. अन्य देशों को निर्यातों की जांच के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी की सतत प्रक्रिया के अनुसार सभी कारकों की जांच की गई है। अन्य देशों को निर्यात की पद्धति इस तथ्य को देखते हुए संभावना के विश्लेषण में काफी महत्वपूर्ण है कि उत्पादक काफी निर्यातोन्मुखी हैं। अन्य देश के पाटन की मात्रा घरेलू उद्योग के कीमत व्यवहार को दर्शाती है। इसके अलावा, भारत को निर्यात कीमत से कम कीमतों पर और क्षतिरहित कीमत से कम कीमत पर अन्य देशों को निर्यातों का हिस्सा भारत को निर्यातों के डाइवर्जन की संभावना और घरेलू उद्योग पर उसके परिणामी प्रभाव को दर्शाता है।
134. शट डाउन के चलते घरेलू उद्योग को मात्रा संबंधी हानि के प्रकटीकरण के ब्यौरा के लिए अनुरोध पर, प्राधिकारी ने सभी पक्षकारों के गोपनीय दावों की जांच की है और यह नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी कारोबार संबंधी संवेदनशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है। अतः प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक को लगातार क्षति नहीं हुई है।

ड. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

135. जांच की अवधि के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- क. देश में मांग और आपूर्ति अंतर है और आयात अनिवार्य हैं।
- ख. पाटनरोधी शुल्क को जारी रखा जाना ऑटोमोबाइल क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए सरकारी स्कीमों के विरुद्ध होगा।
- ग. पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना टायर उद्योग के निर्यातों को प्रभावित करेगा।
- घ. न्यूमेटिक ऑफ-रोड टायर्स के हाल के जांच परिणाम में प्राधिकारी ने निर्णय दिया है कि टायर उद्योग क्षति झेल रहा है। और 5 वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने से इसके समुत्थान की कोई गुंजाइश नहीं है।
- ड. 21,13,37,500 के टायर की अनुमानित मांग के साथ एक 10 कि.ग्रा. के टायर में 15 प्रतिशत खपत का विचार करते हुए शुल्क का प्रभाव भारतीय रुपए में 80 से 106 करोड़ रुपए होगा जो टायर कंपनियों के कुल लाभ का 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत होगा।
- च. जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा परिमाणित किया है, पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को अस्वीकृत किया जाना चाहिए क्योंकि इसने उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के एस.आई.ओ.एन मानदंडों को अपनाया है।
- छ. प्राधिकारी से तैयार उत्पादों में अन्तर्निहित विचाराधीन उत्पाद का सत्यापन करने के लिए प्रयोक्ता प्रश्नावली उत्तर का संदर्भ देने का अनुरोध किया जाता है।
- ज. यह चिन्ता व्यक्त की गई थी कि अधिकतर उद्योग अग्रिम प्राधिकरण के जरिए आयात कर रहे हैं और माल का निर्यात कर रहे हैं, जिसके कारण घरेलू उद्योग से उत्पाद क्रय नहीं किए जा रहे हैं। यह मुद्दा एक नीतिगत मामला है और डीजीटीआर इस मुद्दे का समाधान करने के लिए प्राधिकृत नहीं है।
- झ. घरेलू उद्योग ने तैयार उत्पाद की बिक्री कीमत पर शुल्क के प्रभाव का परिमाणन किया है। शुल्क के प्रभाव को उत्पाद के उत्पादन की लागत पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- ञ. मांग-आपूर्ति अंतर का आकलन करते समय अग्रिम लाइसेंस के तहत आयातों द्वारा पूरी की गई मांग को शामिल न करने के लिए कोई तर्कसंगत कारण उपलब्ध नहीं कराया गया है। किसी पाटनरोधी जांच में मात्रा प्रभाव का आकलन करते समय, समग्र आयात मात्रा जिसमें शुल्क मुक्त आयात भी शामिल हैं, की जांच करना प्राधिकारी का लगातार अभ्यास रहा है।
- ट. प्राधिकारी ने कोरिया गणराज्य से एसबीआर के आयातों पर प्रतिकारी शुल्क को लागू करने की सिफारिश की थी जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया था। यह इस दावे का समर्थन करता है कि पाटनरोधी शुल्क के लगातार संरक्षण की जरूरत नहीं है और यह सार्वजनिक हित में नहीं है।

- ठ. घरेलू उद्योग ने उस अवधि के लिए स्रोत का उल्लेख नहीं किया है जिसके लिए शुल्क के प्रभाव का परिकलन करने के लिए आंकड़ों पर विचार किया गया है।
- ड. प्रत्येक जांच में घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि किसी विशेष उत्पाद के लिए शुल्कों का प्रभाव न्यूनतम होना चाहिए तथापि, उन्हें एक साथ लेने से बोझ महत्वपूर्ण रूप से बढ़ जाता है।
- ढ. घरेलू उद्योग के कुल प्रचालनों पर शुल्क के प्रभाव को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कंपनी है और विचाराधीन उत्पाद समग्र राजस्व का केवल एक सीमित प्रतिशत का ठहरता है।
- ण. उचित प्रतिस्पर्धा के अभाव में, घरेलू उद्योग और समर्थक एक एकाधिकार बाजार का सृजन करेंगे।
- त. घरेलू उद्योग के अनुरोध के विपरीत, प्रयोक्ता उद्योग की लाभप्रदता केवल सीमित है।
- थ. प्रयोक्ता उद्योग ने टायर उद्योग के वास्तविक प्रतिनिधि आंकड़ों के आधार पर प्रभाव संबंधी विश्लेषण उपलब्ध कराया है और प्रयोक्ता उद्योग पर ऐसे प्रभाव का उद्देश्यपरक रूप से आकलन करने के लिए इस पर विचार किया जाना चाहिए।
- द. पिछले 16 वर्षों के दौरान, टायर उद्योग द्वारा प्रयुक्त किये गये कच्चे माल की महत्वपूर्ण मात्रा पाटनरोधी/रक्षोपाय शुल्क संरक्षण के अधीन हैं।
- ध. टायर उद्योग के सभी कच्चे माल पर लागू पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव लगभग 7.72 प्रतिशत ठहरता है।
- न. प्रयोक्ता उद्योग के लिए 2021-22 के लिए कर पूर्व लाभ औसत रूप से 3 प्रतिशत है और 0.57 प्रतिशत से 1 प्रतिशत के प्रभाव वाला पाटनरोधी शुल्क महत्वपूर्ण होगा।
- प. घरेलू उद्योग के अनुरोध पर कि प्रयोक्ता घरेलू उद्योग की लागत पर पाटित कीमतों पर कच्चे माल तक पहुंच प्राप्त नहीं कर सकते, घरेलू उद्योग ने किसी महत्वपूर्ण क्षति का दावा नहीं किया है।
- फ. पाटित वस्तुओं के आयातों के विरुद्ध घरेलू उद्योग का संरक्षण करने के लिए पाटनरोधी शुल्क एक व्यापार उपचार उपाय है, यदि पाटित वस्तुओं के आयात घरेलू उद्योग के लिए क्षति उत्पन्न कर रहे हैं और इसका, इसके निवेश की रक्षा करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता।
- ब. कुल मांग को “उपलब्ध मांग” और अनुपलब्ध मांग में श्रेणीबद्ध करने का कोई तथ्यात्मक या कानूनी आधार नहीं है।
- भ. संबद्ध वस्तु के कुल आयातों और कुल घरेलू बिक्रियों पर विचार करते हुए संबद्ध वस्तु की कुल मांग का निर्धारण करने का प्राधिकारी का सतत अभ्यास रहा है।
- म. अग्रिम प्राधिकरण के तहत आयात करने के लिए प्रयोक्ताओं पर कोई दबाव नहीं है और घरेलू उद्योग पर भी उन प्रयोक्ताओं को बिक्री करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है जो अग्रिम प्राधिकरण के धारक हैं।
- य. संबद्ध वस्तुओं के लिए भारतीय बाजार इस समय एक द्विअधिकार बाजार है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात संबद्ध वस्तुओं के लिए भारतीय बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करेगा।
- कक. शुल्क ने अपने प्रयोजन को पूरा किया है क्योंकि घरेलू उद्योग ने स्वयं स्वीकार किया है कि कोई क्षति नहीं हुई है और इसने वर्ष 2016 में स्थापित होने के बावजूद जांच की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण लाभ दर्ज किए हैं।
- खख. प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का औसत प्रभाव घरेलू उद्योग के कुल समेकित ईडीआईटीबीए के 0.5 प्रतिशत से भी कम है जो यह सूचित करता है कि यदि शुल्क को जारी रखा जाता है तो प्रयोक्ता अधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे।

ड.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

136. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- क. अभिव्यक्ति “सार्वजनिक हित” केवल उपभोक्ता उद्योग तक ही सीमित नहीं है और यह एक कहीं अधिक विस्तृत शब्द है, जो अपनी परिधि में घरेलू उद्योग और अन्ततः कुल मिलाकर जनता के हित को शामिल करता है।

- ख. शुल्कों का विस्तार यह सुनिश्चित करेगा कि पाटित आयातों के विरुद्ध भारत में भारतीय उत्पादकों को समान स्तर का क्षेत्र उपलब्ध कराया गया है।
- ग. सीवीडी जांच में भी, प्राधिकारी ने पाया कि घरेलू उद्योग क्षति का सामना कर रहा है और केवल जांच की अवधि के दौरान ही उद्योग लाभों को दर्शाने में समर्थ हुआ है।
- घ. यह उपभोक्ताओं के हित में है कि उनके पास उचित कीमतों पर उपभोक्ताओं को उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम एक प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग हो।
- ड. उत्पादक के लिए एक सुदृढ़, प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादन कुल मिलाकर जनता के हित में है। यह संभव नहीं होगा यदि घरेलू उद्योग को लम्बे समय तक क्षति जारी रहती है।
- च. शुल्क लागू किए जाने से पहले और बाद में डाउन स्ट्रीम उत्पाद की कीमतों पर विचार करते हुए शुल्क के प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए।
- छ. तैयार उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्कों का प्रभाव बहुत न्यूनतम होगा।

क्र.सं.	उत्पाद का नाम	उत्पाद कीमत रुपए प्रति यूनिट	शुल्क का प्रभाव- रुपए प्रति यूनिट	शुल्क का प्रभाव - %
1	ट्रक/बस के रेडियल टायर	Rs 28,000	Rs 9 per tyre	0.03%
2	ट्रक/बस के व्यास टायर	Rs 19,700	Rs 16 per tyre	0.08%
3	पैसेंजर कार टायर	Rs 5,545	Rs 3 per tyre	0.18%
4	मोटरसाइकिल टायर	Rs 4,000	Rs 2 per tyre	0.05%

- ज. टायर उद्योग के टर्न ओवर पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव मुश्किल से 0.0 प्रतिशत है।
- झ. टायर उद्योग में कर पूर्व लाभ और आधार भूत सीमा शुल्क एवं पाटनरोधी शुल्कों को लागू करने/बढ़ाने के बीच पूरी तरह से कोई अन्तःसंबंध नहीं है।
- ञ. उपभोक्ताओं की व्यवहार्यता अनुचित और पाटित कीमतों पर कच्ची सामग्री की पहुंच पर निर्भर नहीं हो सकती।
- ट. जहां संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों के पास अनुचित प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध संरक्षित किए जाने के लिए एक तर्कसंगत दावा है, वहीं उपभोक्ता पाटित कीमतों पर उत्पाद की उपलब्धता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता।
- ठ. कुल मांग में से, आयातों का लगभग 15-20 प्रतिशत अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत किया जा रहा है। शुल्क को लगातार लागू किए जाने के बावजूद, योजना के तहत आयात का होना तय है।
- ड. जैसाकि माननीय सेस्टेट द्वारा डीएसएम आइडेमिस्तु लिमि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में निर्णय दिया गया है, देश में मांग-आपूर्ति अंतर घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के निवारण की मांग करने से नहीं रोकता और पाटन को न्यायसंगत नहीं ठहराता।
- ढ. चाहे शुल्कों को लागू किया गया है, फिर भी उपभोक्ता शुल्कों के भुगतान के बिना निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गई किसी कीमत पर अग्रिम लाइसेंस के तहत आयात करने के लिए स्वतंत्र है।
- ण. टायर विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित सभी प्रमुख टायरों के लिए प्रमुख कच्चा माल प्राकृतिक रबड़ हैं न कि विचाराधीन उत्पाद।
- त. ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन की भारतीय टायर उद्योग की सिंहावलोकन रिपोर्ट में यह कहा गया है कि टायरों की कुल लागतों में एसबीआर का हिस्सा मुश्किल से 5 प्रतिशत है।
- थ. उत्पाद की कीमत सितंबर 2017 में 92-94 रुपए प्रति कि.ग्रा. के निचले स्तर से बढ़ी है और अक्तूबर, 2018 में 124-126 रुपए प्रति कि.ग्रा. के उच्च स्तर पर पहुंच गई। जब माल की कीमत में इतनी

महत्वपूर्ण बढ़ोतरी ने प्रयोक्ता उद्योग को परेशान नहीं किया तो 0-5 प्रतिशत के पाटनरोधी शुल्क का उपभोक्ता उद्योग पर मुश्किल से कोई प्रभाव पड़ सकता है।

- द. वर्ष 2017 में शुल्कों को लागू किए जाने के बाद भी, भारतीय घरेलू बाजार में आयातों का प्रवेश करना जारी है।
- ध. वित्त मंत्रालय द्वारा सीवीडी शुल्क को अस्वीकृत किए जाने पर, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है विशेषकर जब कोई भी सीवीडी सिफारिश को अस्वीकृत किए जाने का कारण नहीं जानता।
- न. यह अनुरोध कि मांग और आपूर्ति अंतर मौजूद है, घरेलू उद्योग ने आयातों पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवेदन दायर नहीं किया है जैसा कि विदेश व्यापार नीति के तहत अनुमति है।
- प. अग्रिम प्राधिकरण स्कीम के तहत आयातों के संबंध में घरेलू उद्योग का दावा है कि भले ही पाटनरोधी शुल्क लागू किए गए हैं तब भी प्रयोक्ता ड्यूटी-फ्री स्कीमों के अंतर्गत संबद्ध देशों से आयात कर रहे हैं।
- फ. प्रयोक्ता उद्योग द्वारा परिकलित किए गए अनुसार, टायर उद्योग पर शुल्क के प्रभाव में अंतर होने पर, टायर उद्योग का टर्न-ओवर लगभग 70,000 करोड़ है और यदि लाभ को 10,000 करोड़ के उच्च स्तर पर विचारित किया जाता है तो लागतों को 60,000 करोड़ के रूप में विचार करते हुए परिकलित किया जा सकता है।
- ब. जब शुल्क को लागू किये जाने ने टायर उद्योग को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं किया है तो यह दावा किसी कानूनी और तथ्यात्मक आधार के बिना है कि शुल्क को जारी रखना विपरीत प्रभाव उत्पन्न करेगा।
- भ. इस किए गए दावे के विपरीत कि शुल्क को लागू किया जाना भारत सरकार की योजना के विपरीत होगा, शुल्क को लागू किया जाना और उसे जारी रखना ऑटोमोबाइल क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए सरकार की योजना के लिए पूरी तरह से सहायक होगा।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

137. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से मत को आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली निर्धारित की। प्राधिकारी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर अदला-बदली, स्रोतों में परिवर्तन करने की उपभोक्ताओं की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, कारक जो पाटनरोधी शुल्क को लागू करने के कारण उत्पन्न नई स्थिति में समायोजन को त्वरित या विलंबित कर सकते हैं, के संबंध में सूचना की मांग की है।
138. प्रयोक्ता उद्योग द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि उनके विभिन्न कच्चे माल पर विभिन्न व्यापार उपचार उपाय लागू किए गए हैं जिसने उनकी लागत को प्रभावित किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद एसबीआर तक प्रतिबंधित हैं और इसलिए, अन्य उत्पादों पर लागू किए गए शुल्क प्रासंगिक नहीं हैं। यह भी देखा गया है कि टायर उद्योग के कच्चे माल पर लागू अधिकतर पाटनरोधी शुल्क रद्द कर दिए गए हैं और इस समय केवल एसबीआर ही पाटनरोधी शुल्क को आकर्षित कर रहा है। इसके अलावा, आवेदक ने विगत में लागू किए गए विभिन्न व्यापार उपचार उपायों सहित टायर उद्योग के निष्पादन की प्रवृत्ति उपलब्ध कराई है और दावा किया है। व्यापार उपचार उपायों और टायर उद्योग के निष्पादन – चाहे वह व्यक्ति हों (कच्चे माल में से एक के लिए) या समग्र रूप से (व्यापार उपचार उपायों को आकर्षित करने वाले सभी कच्चे माल पर), के बीच कोई अंतः संबंध नहीं है।
139. प्राधिकारी ने एक प्रयोक्ता प्रश्नावली नियत की है जिसमें उपभोक्ता द्वारा अंतिम लागत में विचाराधीन उत्पाद के कारण लागत और उपभोक्ता के तैयार उत्पाद पर सूचना देना अपेक्षित है। यह देखा गया है कि अपोलो टायर लिमि. और जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमि. ने प्रासंगिक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। ब्रिज स्टोन इंडिया प्राइवेट

लिमिटेड ने अपने लिखित अनुरोध में दावा किया है कि टायर की कुल लागत में एसबीआर का हिस्सा 15-20 प्रतिशत है, किन्तु उनके उत्तर से यह देखा गया है कि उनकी कुल लागत में एसबीआर का हिस्सा ***प्रतिशत (10 प्रतिशत से कम) है। सीईएटी लिमिटेड द्वारा दायर उत्तर से और एमआरएफ लिमिटेड से भी और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई आत्मा टायर इंडस्ट्री की सिंहावलोकन रिपोर्ट से भी समान प्रवृत्ति अवलोकित की गई है।

140. प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का विस्तार भारत में उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित कर सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपायों को लागू करने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों का विस्तार पाटन अभ्यासों द्वारा प्राप्त किए जा रहे अनुचित लाभों को समाप्त करेगा, घरेलू उद्योग की गिरावट को नियंत्रित करेगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को विस्तृत चयन की उपलब्धता को बनाए रखने में मदद करेगा। सामान्य तौर पर, पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित किया जा सके, जो कि देश के सामान्य हित में है।
141. यह दावा किया गया है कि देश में एक मांग और आपूर्ति अंतर है और भारतीय उद्योग मांग को पूरा करने में असमर्थ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में मांग-आपूर्ति अंतर पाटित आयातों से निवारण की मांग करने से घरेलू उद्योग को नहीं रोकता। जैसाकि डीएसएम आईडेमिस्तु लिमिटेड बनात निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में सेस्टेट द्वारा धारित किया गया है, मांग-आपूर्ति अंतर पाटन के औचित्य को सिद्ध नहीं करता। विदेशी उत्पादक हमेशा गैर-पाटित कीमतों पर उत्पाद की बिक्री द्वारा भारतीय मांग को हमेशा पूरा कर सकते हैं। पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने के बाद भी, आयात भारत में प्रतिबंधित नहीं हैं। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि भारतीय उद्योग की क्षमता 2,61,000 मी.टन की है और भारत में मांग 3,25,000 मी.टन से 3,35,000 मी.टन के बीच है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि गैर-विषयक देशों से महत्वपूर्ण आयात होते हैं जो होते रहेंगे।
142. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद में महत्वपूर्ण निवेश किए हैं और ऐसा सिर्फ हाल की अवधि में हुआ है कि यह लाभ दर्ज करने में सक्षम हुआ है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि एलजी केमिकल लिमिटेड एसबीआर व्यवसाय से बाहर हो गया है। यह उपलब्ध कराया गया है कि इसने एनबीआर लेटेक्स के अधिक आकर्षक व्यवसाय में प्रवेश किया है। यह उत्पादकों को उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश को सही ठहराने के लिए उन्हें एक समान अवसर उपलब्ध कराने की जरूरत को दर्शाता है।
143. घरेलू उद्योग की लगातार उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, यह जरूरी है कि घरेलू उत्पादक व्यवहार्य बने रहें जिसके न होने पर, उपभोक्ता अधिकाधिक पाटित आयातों पर निर्भर होते जाएंगे।

ढ. निष्कर्ष और सिफारिशें

144. दिए गए तर्कों, प्रदान की गई सूचना, किए गए अनुरोधों, तथा उपरोक्तानुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और घरेलू उद्योग के पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि :
 - i. आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग है और आवेदक नियमावली के तहत अपेक्षाओं को पूरा करता है।
 - ii. कोरिया गणराज्य और यूरोपीय संघ से संबद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन हुआ है, जबकि शुल्क लागू थे। पाटन और क्षति मार्जिन सकारात्मक है।
 - iii. पाटित आयातों की मात्रा में, शुल्क लागू रहने के बावजूद वृद्धि हुई है।
 - iv. आयातों से जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हो रही है और कीमत का प्रभाव मौजूदा शुल्कों के अभाव में अधिक होगा।
 - v. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
 - vi. संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में न तो ह्रास हो रहा है और न ही दबाव पड़ रहा है। घरेलू उद्योग के निष्पादन में जांच की अवधि में सुधार आया है।
 - vii. संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी रहा है।
 - viii. थाइलैंड और यूरोपीय संघ से उत्पादकों के पास अप्रयुक्त क्षमताएं हैं।

- ix. संबद्ध देशों से महत्वपूर्ण आयात हो रहे हैं, जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्रियों की लागत से कम हैं, जिनसे शुल्क समाप्त होने पर घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रास/ दबाव का प्रभाव पड़ने की संभावना है।
 - x. यह नोट किया जाता है कि केकेपीएल, यूरोपीय संघ और थाइलैंड के उत्पादकों द्वारा क्रमशः 70-80 प्रतिशत, 30-40 प्रतिशत और 70-80 प्रतिशत उत्पादन का निर्यात के प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है।
 - xi. केकेपीएल, यूरोपीय संघ तथा थाइलैंड के उत्पादकों द्वारा क्रमशः 60-70 प्रतिशत, 50-60 प्रतिशत और 50-60 प्रतिशत निर्यात अन्य देशों को पाटित कीमतों पर हैं।
 - xii. यह नोट किया जाता है कि उत्तर देने वाले उत्पादकों का तीसरे देशों को किये गये निर्यातों का लगभग 30-40 प्रतिशत ऐसी कीमतों पर है जो भारत को किए गए निर्यात की कीमत से कम हैं। इसी प्रकार, यूरोपीय संघ के मामले में निर्यातों का 30-40 प्रतिशत भारतीय कीमतों से कम कीमत पर है।
 - xiii. अन्य क्षेत्रों में संबद्ध वस्तुओं के पाटन की सतत प्रक्रिया रही है, जैसा कि लगाए गए शुल्कों और/ अथवा अन्य क्षेत्रों से शुल्कों के जारी रहने से स्पष्ट है और यह पूरी संभावना है कि संबद्ध देशों से आयातों में शुल्क समाप्त होने की स्थिति में वृद्धि होगी।
 - xiv. यह तथ्य कि पाटित आयात, शुल्कों को लगाए जाने के बाद भी जारी रहे, जो एक सशक्त संभावना को दर्शाता है कि यदि शुल्क हटाए जाते हैं तो आयातों में अधिक दर पर वृद्धि होगी।
 - xv. तदनुसार प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने/ उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
 - xvi. प्रयोक्ता उद्योग उन पर शुल्कों के किसी प्रतिकूल प्रभाव को स्थापित नहीं कर पाया है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों के जारी रहने से यह भारत में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों के हित में होगा।
 - xvii. विचाराधीन उत्पाद का टायर की कुल लागत में बहुत ही कम हिस्सा है और इसीलिए, अन्तिम उत्पाद पर शुल्कों का प्रभाव नगण्य होगा।
 - xviii. भारतीय बाजार में मजबूत प्रतिस्पर्धा है और पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से प्रयोक्ता उद्योग किसी जरूरत से वंचित नहीं होगा।
145. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरू करके अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था ताकि वे पाटन और क्षति के जारी रहने/ पुनरावृत्ति होने की संभावना के पहलुओं पर सूचना प्रदान कर सकें।
146. यह निष्कर्ष निकालते हुए कि यदि पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त होने दिया जाता है तो पाटन और क्षति के जारी रहने/ पुनरावृत्ति होने की संभावना है, अतः प्राधिकारी का यह विचार है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर शुल्क जारी रखने की जरूरत है। प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि शुल्क की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाए, जिससे कि उपरोक्तानुसार संभावना के विश्लेषण के संबंध में पाटन/ क्षति कम हो सके। संबद्ध देशों से भारत को शेष विश्व को पाटित और क्षति संबंधी आयातों की मात्रा पर विचार किया जाएगा।
147. उपरोक्त परिस्थितियों में, प्राधिकारी, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की मौजूदा मात्रा जारी रखने की सिफारिश करना उचित मानते हैं, जिससे संबद्ध देशों से पाटन और क्षति की संभावना का समाधान होगा और उसे कम किया जा सकेगा। इस प्रकार, प्राधिकारी दिनांक 30 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. 43/2017- सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत लगाए गए मौजूदा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं। अतः मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित धनराशि के समान पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	धनराशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4002 19	1500 सीरिज और 1700 सीरिज का इमल्शन स्टाइरिन बुटाडीन रबड़ (ई-एसबीआर)	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई देश	कुमहो पैट्रोकेमिकल कं. लिमिटेड	33.95	मी.टन	डॉलर
2	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई देश	कोई भी अन्य उत्पादक	64.00	मी.टन	डॉलर
3	-वही-	-वही-	पाटनरोधी शुल्क वाले देश के अलावा कोई अन्य देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी उत्पादक	64.00	मी.टन	डॉलर
4	-वही-	-वही-	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई भी देश	कोई अन्य उत्पादक	266.00	मी.टन	डॉलर
5	-वही-	-वही-	पाटनरोधी शुल्क वाले देश के अलावा कोई भी देश	यूरोपीय यूनियन	कोई अन्य उत्पादक	266.00	मी.टन	डॉलर
6	-वही-	-वही-	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई भी देश	कोई अन्य उत्पादक	243.60	मी.टन	डॉलर
7	-वही-	-वही-	पाटनरोधी शुल्क वाले देश के अलावा कोई अन्य देश	थाइलैंड	कोई अन्य उत्पादक	243.60	मी.टन	डॉलर

148. इस अधिसूचना के प्रयोजन से आयातों का पहुंच मूल्य, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत सीमा शुल्क द्वारा यथानिर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8 ख, 9 और 9क के तहत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमा शुल्क शामिल हैं।

ण. आगे की प्रक्रिया

149. केन्द्र सरकार द्वारा इन जांच परिणामों को स्वीकार किए जाने के बाद इनके खिलाफ कोई अपील, 1995 में यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा शुल्क टैरिफ नियमावली, 1995 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद कर और सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th July, 2022

FINAL FINDING**[Case No. ADD(SSR) 25/2021]**

Subject: Sunset Review Investigation concerning imports of “Styrene Butadiene Rubber” originating in or exported from European Union, Korea RP and Thailand.

F. No. 7/31/2021-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as ‘the Rules’ or ‘AD Rules’) thereof-

1. M/s. Reliance Industries Limited (hereinafter referred to as the "applicant" or “domestic industry”) filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") in accordance with Act and Rules for sunset review investigation of antidumping duty on imports of “Styrene Butadiene Rubber” (hereinafter referred to as the "subject goods" or "product under consideration") originating in or exported from European Union, Korea RP and Thailand (hereinafter referred to as the "subject countries").

A. BACKGROUND OF THE CASE

2. The original anti-dumping investigation concerning the imports of the subject goods from the subject countries was initiated by the Authority vide notification No. 14/10/2015- DGAD on 14th January 2016. In the same matter, the final finding was issued vide notification No. 14/10/2015-DGAD dated 12th July 2017 confirming imposition of definitive Anti-Dumping duties on imports of the subject goods from the subject countries, which were implemented vide Notification No. 43/2017-Customs (ADD) dated 30th August 2017. The said duties were levied for a period of 5 years.
3. In terms of Section 9A(5) of the Act read, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition. The Authority is required to review whether the expiry of anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
4. Further, Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:

"any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry"

5. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

6. In view of the duly substantiated application by the domestic industry with prima facie evidence of likelihood of dumping and injury filed on behalf of the domestic industry and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority initiated a sunset review investigation vide Notification No. F. No. 7/31/2021-DGTR dated 10th February 2022 to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
7. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning the subject goods issued vide Final Finding No. 14/10/2015-DGAD dated 12th July 2017, which were implemented vide Notification No. 43/2017-Customs (ADD) dated 30th August 2017.
8. Pending the outcome of the current investigation, Ministry of Finance vide Notification No. 17/2022-Customs (ADD) dated 30th May, 2022 extended the duties upto 31st October, 2022.

B. PROCEDURE

9. The procedure described below has been followed in this investigation:
 - i. The Authority notified to the Governments of the subject countries through its Embassies in India about receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the present investigation, in accordance with rule 5(5) of the Rules.
 - ii. The Authority issued a notification dated 10th February 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the sunset review of antidumping duties imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.
 - iii. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 10th February 2022 to the Embassies of the subject countries in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers/users and the other interested parties, as per the addresses made available by the domestic industry and requested them to make their submissions available within the prescribed time-limit in accordance with Rule 6(2) of the Rules.
 - iv. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries. Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
 - v. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
 - vi. The Authority sent exporters' questionnaires to the following known exporters in the subject countries in accordance with the Rule 6(4) of the Rules to elicit relevant information:
 - a. Versalis SPA, European Union
 - b. HIP-Petrohemija a.d. Pancevo European Union
 - c. Trinseo Europe GmbH, European Union
 - d. Synthos SA, European Union
 - e. Lanxess AG, European Union
 - f. Gum Base Co. S.p.A., European Union
 - g. Ravago Distribution Center, European Union
 - h. Kumho Petrochemical Co., Ltd., Korea RP
 - i. LG Chem Ltd., Korea RP
 - j. Wonchem, Ltd., Korea RP
 - k. Hansuk Chemicals Co Ltd., Korea RP

- l. Everlite Korea Co Ltd., Korea RP
- m. Heartychem Corp., Korea RP
- n. Bangkok Synthetics Co. Ltd, Thailand
- o. JSR BST Elastomer Co. Ltd., Thailand.
- vii. Following companies have filed the exporter questionnaire responses as producers/exporters of the product under consideration:
 - a. POSCO International, European Union.
 - b. POSCO International Corporation, Korea RP
 - c. Kumho Petrochemical Co., Ltd., Korea RP
- viii. The Authority notes that the Bangkok Synthetics Co., Ltd had replied to the initiation notification confirming their participation, however they did not file any questionnaire response.
- ix. The Authority forwarded a copy of the notification to the following known importers/ users of the subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the prescribed time limit in accordance with the Rule 6(4) of Rules:
 - a. JK Tyre & Industries Limited
 - b. Birla Tyre Limited
 - c. Apollo Tyres Limited
 - d. CEAT Limited
 - e. MRF Limited
 - f. Ralson (India) Limited
 - g. Poddar Tyres Limited
 - h. Oriental Rubber Industries
 - i. Hindustan Rubber Industries
 - j. Agarwal Rubber (ARL Tyres)
 - k. Phoenix Conveyor Belt India Private Limited
 - l. Tega Industries Limited
 - m. Exel Rubber Limited
 - n. Forech India Limited
 - o. Garware Fulflex India Private Limited
 - p. Paragon Polymer Product Private Limited
 - q. Midas Rubber (P) Limited
 - r. Sempertrans India Private Limited
 - s. Metro Tyres Limited
 - t. Balakrishna Industries Limited
 - u. ATC Tires Private Limited
 - v. Goodyear India Limited
 - w. Bridgestone India Private Limited
 - x. Avery Dennison (India) Private Limited
 - y. Bostik India Private Limited
 - z. Globus Rubchem Private Limited
 - aa. Hind Elastomers Private Limited
 - bb. KLJ Polymers and Chemicals Limited
 - cc. MRL Tyres Limited
 - dd. Perfetti Van Melle India Private Limited
 - ee. Flexilis Private Limited
 - ff. Chowdhary Rubber & Chemical Private Limited
 - gg. Tulsiram Hanumanbagas Gilada
 - hh. TVS Srichakra Tyres Limited
 - ii. Maxxis Rubber India Private Limited
- x. The following importers/users have responded by filing questionnaire response

- a. JK Tyre & Industries Limited
 - b. Apollo Tyres Limited
 - c. CEAT Limited
 - d. MRF Limited
 - e. Bridgestone India Private Limited
 - f. Rishiroop Polymers Private Limited
- xi. Legal submissions have been filed by the responding interested parties. Further, legal submissions have also been filed by Automotive Tyre Manufacturers' Association ("ATMA") on behalf of the participating users, and European Commission.
 - xii. A list of all the interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to email the non-confidential version (NCV) of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to the ongoing global pandemic.
 - xiii. The Authority called upon DG Systems to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the past three years and the period of investigation, which has been received by the Authority. The Authority has relied upon DG Systems data for computation of the volume and value of imports and its analysis after due examination of the transactions.
 - xiv. Verification of the information and data submitted by the domestic industry and the responding producer was carried out to the extent deemed necessary. Only such verified information, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of this final finding. Additional/supplementary information was sought from the domestic industry and other interested parties to the extent deemed necessary.
 - xv. Non-Injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') based on the optimum cost of production and the cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules. Such non-injurious price has been worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to address injury to the domestic industry.
 - xvi. The Authority held an oral hearing on 5th May, 2022 to provide an opportunity to the interested parties to present information orally in accordance with Rule 6(6). Oral hearing was held through video conferencing in view of the special circumstances arising out of the COVID-19 pandemic. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions in order to enable the opposing interested parties to file rejoinders thereafter.
 - xvii. The period of investigation ("POI") for the purpose of the present review is from October 2020 to September 2021 (12 months). The injury analysis period includes the period of investigation and the preceding three years of 2018-19, 2019-20 and 2020-21.
 - xviii. The submissions made by the interested parties during the course of the investigation, have been addressed in this final finding, to the extent considered relevant by the Authority.
 - xix. The Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information have been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.
 - xx. A disclosure statement containing the essential facts in this investigation which would have been formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 19.07.2022 and the interested parties were allowed time up to 25.07.2022 to comment on the same. The comments on

Disclosure Statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this final finding notification.

- xxi. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has treated such parties as non-cooperative and recorded its finding on the basis of 'facts available'.
- xxii. The exchange rate for the period of investigation has been taken by the Authority is USD = Rs 74.53.
- xxiii. '***' in this final finding represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION ("PUC") AND LIKE ARTICLE

C.1 Submissions made by the other interested parties

- 10. The other interested parties have contended that solution SBR (S-SBR) must be explicitly excluded from the scope of the sunset review investigation.

C.2 Submissions made by the domestic industry

- 11. The following submissions have been made by the domestic industry during the course of the investigation: -
 - a. Present application being an application for sunset review, the scope of the product under consideration remains the same as was defined by the Authority in its previous finding.
 - b. The Authority in the original investigation concluded that goods produced by the domestic industry is a like article to the goods that is imported into the domestic market.
 - c. There has been no development in the technology and the product produced by the domestic industry continues to remain like article.

C.3 Examination by the Authority

- 12. On the submission regarding the exclusion of solution SBR from the scope of the product under consideration, the Authority notes that there is no ambiguity on the scope of product under consideration. It has been clearly defined in the initiation notification that solution SBR grades are outside the scope of the investigation.
- 13. The present investigation is a sunset review investigation and the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation. The product under consideration determined in the original anti-dumping investigation is reproduced hereunder –

a) The product under consideration in the present investigation is Styrene Butadiene Rubber, (SBR) of 1500 and 1700 series only of synthetic rubbers derived from two monomers styrene and butadiene. These materials have good abrasion resistance and aging stability when protected by additives. Solution SBR grades are outside the scope of investigation.

b) Compared to natural rubber, SBR has better process ability, homogeneity, heat aging and abrasion resistance, but is inferior in terms of elongation, hot tear strength, hysteresis, resilience and tensile strength. The major demand of SBR is in the automotive sector in manufacture of tyres.

c) The product is classified under Customs Tariff heading No. 400219. However, the said Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

14. The Authority, therefore, holds that the PUC in the present investigation shall be the same as in the original investigation.
15. The Authority notes that the subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from the subject countries in terms of chemical characteristics, product specifications, technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially interchangeable. Accordingly, the Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are 'like article' to the subject goods being imported from the subject countries.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submissions made by the other interested parties

16. The following submissions have been made by the other interested parties during the course of the investigation: -
 - a. There has been a change in the constitution of the domestic industry in the present investigation as Indian Synthetic Rubber Private Limited has refrained from participating as a domestic industry.
 - b. Rule 5 is not applicable in a sunset review investigation and domestic producers have to become domestic industry to support the application.
 - c. Indian Synthetic Rubber Private Limited should have participated in the present investigation as the injury analysis in the original case was done on the basis of their data.
 - d. Anti-dumping investigation on imports of Seamless tubes, pipes & hollow profiles from China PR initiated in January 2010 was terminated because complete costing and injury information was not submitted by the major domestic producers in India. The present application should be terminated on similar grounds.
 - e. Investigation concerning imports of Polyester Staple Fibre from China PR, Indonesia, Malaysia and Thailand was terminated as other producers of the subject goods in India were doing well. The present case should be terminated on the same grounds.

D.2 Submissions made by the domestic industry

17. The following submissions have been made by the domestic industry during the course of the investigation: -
 - a. The domestic industry has not imported the subject goods from the subject countries.
 - b. The domestic industry is neither related to the exporter of the subject goods from the subject countries nor the importers of the subject goods in India.
 - c. Present application is filed under Rule 23 and meets all statutory criteria laid down. Reliance Industries Limited accounts for around 50% of the production in India and thus it constitutes domestic industry under Rule 2(b).
 - d. There is no obligation that the domestic producer that participated in the original investigation should file the SSR application.
 - e. Facts of the present investigation are completely different from the facts of the investigation of imports of Seamless tubes, pipes & hollow profiles from China PR. In that case, the domestic industry was not the major producer and the partial data filed by the major producer showed that it was not suffering injury. In the present investigation, the domestic industry is the major producer.

D. 3 Examination by the Authority

18. Rule 2(b) of the Rules defines domestic industry as under:

“(b) ‘domestic industry’ means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

19. The present application has been filed by M/s Reliance Industries Limited (RIL). The domestic industry has not imported the subject goods from the subject countries, and is not related to any exporter in the subject countries or importer in India. The application has been supported by M/s Indian Synthetic Rubber Private Limited, which has also provided information regarding its capacity, production and domestic sales.
20. The other interested parties have contended that M/s Indian Synthetic Rubber Private Limited which participated in the original investigation and supported the present investigation, should have filed its data as a domestic industry. The Authority notes that Rules do not mandate that the domestic industry in the original investigation should participate in the review investigation as well. In any case it is seen that the domestic industry accounts for a major proportion of the total domestic production. The applicant is an eligible domestic industry within the meaning of the Rule2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule5(3) of the Rules, even though standing within the meaning of Rule5(3) is not required to be established in a sunset review initiated under Rule 23.
21. The Authority, therefore, holds that the applicant constitutes domestic industry under Rules 2(b) of the Rules.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

E.1 Submissions made by other interested parties

22. The following submissions have been made by the other interested parties during the course of the investigation:
 - a. Updated information filed by the domestic industry is incomplete as it does not contain information on market share of the domestic industry, volume of imports, demand, NIP range, sales of other producers and price underselling range.
 - b. The domestic industry had, in the oral hearing stated that the interested parties would come to know about the increase in import volume when the disclosure statement is issued. This shows it has the information on import volumes but is withholding the same from the interested parties.
 - c. There is a lack of revised data on critical parameters, such as price undercutting, price underselling, price depression/ suppression, import statements, import prices of the PUC from the subject countries.
 - d. As per Trade Notice No. 1/2013, any information available on payment of a fee cannot be claimed to be confidential. Accordingly, domestic industry must disclose all the contents of the ICIS Report and the IISR Report.
 - e. The domestic industry has failed to disclose complete contents of Trade map and Eurostat data which raises a reasonable doubt that it has selectively put forth data that favors its position.
 - f. The domestic industry has claimed confidentiality over details of the volume losses during the injury period due to the shutdown of their plants.
 - g. The domestic industry has failed to provide the revised application as per the period of investigation determined by the Authority.
 - h. Product quality offered by the domestic industry is inferior quality in comparison to imports from the subject countries and it does not manufacture as per specifications required.

E.2 Submissions by the domestic industry

23. The following submissions have been made by the domestic industry during the course of the investigation.
- a. On the submission that the domestic industry is withholding information regarding import data, the domestic industry submits that it has full information about the market on the basis of its market intelligence. There are very limited consumers and the domestic industry tracks requirements of each consumer and is well aware of how these are being met.
 - b. On the submission that all the contents of the ICIS Report and the IISR Report must be disclosed, the domestic industry submits that there is an express prohibition in sharing this information. The confidentiality rules clearly provide that if the information provided by third party with the clear condition that the same shall not be disclosed further, the Authority shall consider the same as confidential.
 - c. The submission that the Trade map and Eurostat data has not been provided, it is submitted that the data has been provided in the non-confidential version of the application.
 - d. Information on loss of production due to plant shutdown is a business sensitive information which cannot be disclosed.
 - e. There is no legal requirement to submit a revised application for the revised period of investigation. The application recedes in the background once the DGTR initiates the investigation and the determination is made by DGTR based on information received from various parties, and not based on the application.
 - f. Producers who participated in the original investigation but did not participate in the present investigation should be considered non-cooperative and residual category of duties should be recommended.
 - g. Transaction wise import data is not being provided by the DGCI&S. The Authority is requested to kindly disclose the volume and value of imports to enable the domestic industry to offer meaningful submissions.

E.3 Examination by the Authority

24. The Authority notes that the Authority has initiated the sunset review investigation after prima facie satisfaction that there is sufficient evidence of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
25. The Authority notes that the domestic industry had provided DGCI&S transaction wise import data for the period upto June 2021 along with the application. Thereafter, the DGCI&S data was not being provided to any authorised party. The domestic industry claimed that it was unable to provide the import data and related information such as market share, export price, landed price etc. for the updated period of investigation. The Authority called for DG systems data and has considered the same for the purpose of this analysis.
26. It has been contended that the product quality offered by the domestic industry is inferior. The Authority notes that the other interested parties have not provided any evidence in support of their submission. The domestic industry has been in operation for a substantial time now and has also undertaken significant exports. Therefore, the contention that the product supplied is of inferior quality cannot be accepted. The fact that the qualities may be different does not imply that the imported product and the domestic product are not like articles.
27. The other interested parties have contended that the domestic industry has not submitted any application for the revised period of investigation. It is noted that the domestic industry had initially filed the application based on July 2020 to June 2021 as the period. However, in keeping with the amended finance notification 10/2021 dated 1st February 2021 on the POI, the Authority considered POI from October 2020 to September 2021. It is also noted that the domestic industry was thereafter required to submit its own data for the revised period,

which it has duly provided, and the non-confidential version of the same was circulated to all the interested parties. There is no statutory requirement of filing the application post initiation of investigation in case the Authority has modified the period of investigation.

28. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties as per Rule 6(7) and Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September 2018 read with Trade Notice 01/2020 (as extended by the Authority till further notice).

29. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provide as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

30. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regards to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

31. According to Section 9A (1)(c) of the Customs Tariff Act, 1975, ‘Normal value’ in relation to an article means:

- (i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when *meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

F.1 Submissions made by the domestic industry

32. The following submissions have been made by the domestic industry during the course of the investigation:

- a. Dumping from the subject countries has intensified in the current investigation.
- b. Continued and intensified dumping itself establishes that producers will dump their goods with the expiry of duties.
- c. Producers in the subject countries are not only dumping in the Indian market, but also other countries.
- d. Kumho's butadiene capacity is sufficient only to the extent of 30% of its requirement for various product and balance 70% is purchased from the market.
- e. Value reported by Kumho should be examined if it appropriately reflects market values.
- f. Dumping margins determined by the Authority in previous investigations were too low and the Indian industry has remained handicapped in defending its interest in view of confidentiality claims by the exporter.
- g. Adequate disclosures should be made by the exporter regarding consumption prices, norms and costs of raw material, basis of power and steam costs and its appropriateness, research & developments costs, SGA costs, conversion costs and allocation and apportionment of expenses, in order to enable the domestic industry to defend its interests.
- h. Mere claim by Kumho that such costs reported are as per records maintained by the company does not suffice.
- i. Kumho has a related party Korea Energy Power Plant which is engaged in business of power generation, which has not been disclosed in questionnaire response.
- j. In case a producer has procured raw material or utilities from a related party, the transfer price must conform to the market price. Kumho petrochemicals have not provided any information in this regard and chose to remain completely silent.
- k. Dumping margin determined by USDOC in anti-dumping investigation of SBR for LG Chem Ltd was around 9.66% and for residual category was ~~for~~ 44.30%. By comparison, dumping margin determined for LG Chem and Kumho as well as residual category was miniscule in the original investigation conducted in India.
- l. There appears to be no reason for such a significant difference in the margins when the export prices to India were in fact higher than the export price to USA.
- m. The domestic industry had in original investigation, submitted that adjustment of duty drawback should not be allowed for responding producers from Korea but it was allowed. USDOC in its determination did not allow such adjustment as it lacked sufficient information to determine eligibility.

F. 2 Submissions made by the other interested parties

33. The following submissions have been made by other interested parties during the course of the investigation:

- a. The domestic industry has claimed exaggerated adjustments in the export price.
- b. All elements of cost involved in the production and sales of the subject goods have been disclosed by the respondent in its questionnaire response.

- c. Price difference between purchased and produced butadiene is around 5% only and it clear that the cost of captively consumed butadiene is reflective of the market price.
- d. Out of total butadiene consumption in the Ulsan Synthetic Rubber Plant only 39% is used in the production of SBR.
- e. Respondent has disclosed about the relationship status of Korea Energy Power Plant in its response.
- f. As can be seen from the annual report of the respondent, it has not purchased from Korea Energy Power Plant.
- g. The respondent had not participated in the US DOC investigation and the margins determined were not on the basis of its data.
- h. Respondent had not claimed duty drawback in the current investigation and therefore claims on duty drawback of the domestic industry must be rejected.
- i. Share of exports to India of Apollo Tyres Holding Pte Ltd. is insignificant in total volume of exports to India.

F.3 Examination by the Authority

34. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

- i. *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
- ii. *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*
 - a. *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - b. *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*

35. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers from the subject countries and their importers have filed exporter's questionnaire response along with their related exporters or importers:

- a. POSCO International Corporation, Korea RP
- b. Kumho Petrochemical Co., Ltd., Korea RP
- c. POSCO International, European Union.

Determination of Normal Value and Export Price for cooperating producers and exporters

Korea RP

A) Kumho Petrochemical Co., Ltd

Determination of normal value

36. Kumho Petrochemical Co., Ltd. ('KKPC') is a producer of the subject goods in Korea RP. It has been noted by the Authority that KKPC has sold the subject goods directly to unrelated customers in the domestic market

during the POI. The Authority further notes that the domestic sales are in sufficient volume when compared with exports to India. The Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of sales of the subject goods. The Authority examined whether the profit-making transactions are more than 80% or not. In the present case, more than 80% of the domestic sales are profitable and hence all the domestic sales have been considered to determine the normal value.

37. KKPC has claimed adjustments for inland transportation, credit cost and bank charges and same have been allowed by the Authority. Accordingly, normal value at ex-factory level has been determined and the same is shown in the dumping margin table below.

Determination of net export price

38. During the period of investigation, KKPC has exported the subject goods to India directly and also through unrelated traders, POSCO International Corporation and Apollo Tyres Holdings Pte. Ltd. POSCO International Corporation has resold the subject goods directly to unrelated Indian customers. POSCO International Corporation has also sold some small quantities to its related company, POSCO International Italy S.R.L, who in-turn has sold the subject goods to unrelated Indian customers. KKPC, POSCO International Corporation and POSCO International Italy S.R.L. have provided relevant information in the requisite Exporters questionnaire formats. Apollo Tyres Holdings Pte. Ltd. has not participated in the subject investigation.
39. During the period of investigation, KKPC has exported ***MT of the subject goods to India directly, ***MT of the subject goods through POSCO International Corporation and ***MT of the subject goods through Apollo Tyres Holdings Pte. Ltd.
40. KKPC has claimed adjustments on account of inland freight, ocean freight, port & other related expenses, overseas insurance, customs broker fees, sales commission, fumigation expenses, export insurance, packaging expense, credit cost and bank charge and the same have been allowed by the Authority. The Authority has also examined the profitability of POSCO International Corporation & POSCO International Italy S.R.L and noted that both the traders have earned profit on export of the subject goods to India. Since Apollo Tyres Holdings Pte. Ltd. has not provided the relevant information, the Authority has considered facts available for the calculation of ex-factory price for the export transactions made through Apollo Tyres Holdings Pte. Ltd. Accordingly, the export price for KKPC has been determined based on the weighted average export price to India price of the all channels of exports to India i.e. cooperative as well as non-cooperative, and the same is shown in the dumping margin table below.

B) Other producers from Korea RP

Determination of normal value

41. Normal value for non-cooperative producers/exporters from Korea RP has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table.

Determination of net export price

42. In the absence of cooperation from any other producers/exporters from Korea RP, the Authority has determined the net export price on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. and is shown in the dumping margin table below.

European Union**Determination of normal value**

43. The Authority notes that none of the producers/exporters from European Union has participated in the present investigation. Thus, for all producers/exporters, the Authority has determined normal value at ex-factory level on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The Authority has considered prices of product under consideration as published by IHS Markit. These prices are at delivered basis and adequate adjustments have been made in order to arrive at ex-factory level. Separate normal value has been calculated for 1500 and 1700 series. The weighted average normal value so determined is mentioned in the dumping margin table.

Determination of net export price

44. In the absence of cooperation from any producers/exporters from European Union the Authority has determined the net export price from the DG systems data. Since this data is on CIF basis, adequate adjustments have been made to arrive at Ex-factory level. Separate export price has been determined for 1500 and 1700 series. The weighted average ex-factory export price as determined, is shown in the dumping margin table below.

Thailand**Determination of normal value**

45. The Authority notes that none of the producers/exporters from Thailand has participated in the present investigation. Thus, for all producers/exporters, the Authority has determined normal value at ex-factory level on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The Authority has considered prices of product under consideration as published by Independent Commodity Intelligence Services. These prices are at CFR basis and adequate adjustments have been made in order to arrive at ex-factory level. Separate normal value has been calculated for 1500 and 1700 series. The weighted average normal value so determined is mentioned in the dumping margin table.

Determination of net export price

46. Since there are no exports from Thailand to India in the period of investigation, the net export price has not been determined.

G. Dumping Margin

47. Considering the normal value and export price determined as explained above, the dumping margin is calculated and shown below. It is seen that the dumping margin is positive in respect of the responding producer from Korea RP and for exports from EU.

S.No.	Particulars	Normal value	Net export price	Dumping margin		
		USD/KG	USD/KG	USD/KG	%	Range%
A	Korea RP					
1	Kumho Petrochemical Co., Ltd	***	***	***	***	0-10
2	Any other producer	***	***	***	***	0-10

S.No.	Particulars	Normal value	Net export price	Dumping margin		
		USD/KG	USD/KG	USD/KG	%	Range%
B	European Union					
1	Any producer	***	***	***	***	20-30

H. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1 Submissions made by other interested parties

48. The submissions of the interested parties with regard to injury and causal link are as under:

- a. Regardless of the adverse impact of Covid-19, the domestic industry has recorded improvements in its production quantity, domestic sales, average selling price and other economic parameters.
- b. In spite of operating in start-up conditions, the domestic industry has made significant improvements in majority of the economic parameters.
- c. As reported in the Annual Report of 2020-21, there has been an increase of 77.28% in margins for SBR in FY 2020-21 since the previous financial year.
- d. For the purpose of injury analysis, the Authority is bound to take into consideration economic parameters and performance of both RIL and ISRPL, as both the entities are domestic producers.
- e. In the anti-subsidy investigation, the Authority found a positive subsidy margin which shows that injury is not on account of dumped imports but on account of subsidies.
- f. Analysis of the performance parameters do not make out a case for any material injury to the domestic industry.
- g. Injury caused due to imports from the other non-subject countries should be examined.
- h. There has been a consistent improvement in capacity utilization, production and sales of the Indian industry producers.
- i. Capacity utilization, production and domestic sales of the domestic industry have more than doubled in the period of investigation as compared to 2015-16.
- j. The domestic industry has earned profits in the period of investigation. Any injury that may have been caused to it during the original investigation period has now been remedied.
- k. Updated application does not contain the data for injury indicators separately for 1500 and 1700 series.
- l. The domestic industry has a pricing policy for the product under consideration in which it adds the applicable anti-dumping duty to the quoted prices as 'Cost to Serve' component. This means that the domestic selling price (NSR) of the domestic industry includes the component of duty which is why price undercutting is positive.
- m. The domestic industry's claim of increase in imports is not supported by any evidence.
- n. Landed value claimed by the domestic industry in written submission is lower than actual landed value of the exports made by the respondent during the period of investigation.
- o. ISRPL has not participated in the investigation which shows that it is doing well and they do not desire continuation of duty.
- p. The Authority had considered ISRPL's data for the purpose of injury analysis in the original case and must consider their data in the present case as well.
- q. There is only a minuscule increase of 2% in imports from the subject countries, whereas there has been a substantial increase of 210% in imports from the non-subject countries.
- r. The domestic industry has admitted that the imports have not had any suppressing or depressing effect on its prices.
- s. The domestic industry has admitted that it has seen a growth in majority of the factors.

- t. Consideration of a 22% Return on Capital Employed for NIP is not in line with the returns as per industry norms. Returns in capital intensive industry like synthetic rubber cannot be so unusually high.
- u. The domestic industry is unable to meet the demand and the imports are inevitable.
- v. Another producer ISRPL who started commercial production in February 2014 also took few initial years to achieve break-even point and only after that it started earning profits.
- w. The domestic industry was in the phase of establishing itself during 2017-18 to 2018-19 in the PUC market. It has now got established in the market and is earning profits from 2020-21 onwards.
- x. The imports were not undercutting the prices of the domestic industry in the period 2017-18, 2018-19 and 2019-20.

H.2 Submissions made by the domestic industry.

49. The submissions of the domestic industry with regard to injury and causal link are as under:

- a. The domestic industry's performance has improved in the period of investigation due to a number of factors, including Covid effects.
- b. Landed prices of the imports has shot up which has allowed the domestic industry to increase its prices once disruptions settle down landed price is expected to decline once again which will push down the prices of the domestic industry.
- c. The domestic industry was exporting around 15-20% of the production as it was unable to get orders nor able to fetch remunerative prices in the domestic market.
- d. The domestic industry has been able to sell more in the domestic market now with an increase in the import price and resultantly its domestic sales, market share, production and capacity utilization improved.
- e. Imports from the subject countries have increased in absolute terms as well as relative terms in the period of investigation.
- f. Imports are undercutting the prices of the domestic industry.
- g. Imports have not had any suppressing or depressing effect on the prices of the domestic industry.
- h. Production and capacity utilization of the domestic industry has increased over the injury period with a marginal decline in the period of investigation.
- i. The domestic sales of the domestic industry have increased over the injury period.
- j. The domestic industry has made profits in the period of investigation which is a temporary situation due to the effect of Covid. Covid has impacted the industry differently in different periods within the present period of investigation.
- k. The domestic industry has earned cash profits and a positive return on capital employed in the period of investigation.
- l. The domestic industry has witnessed a growth in majority of the economic factors in the period of investigation.
- m. Despite antidumping duty, the volume of imports from the subject countries is far higher than the volume of imports from the non-subject countries.
- n. On the submission that the domestic industry charges duty in its prices, the Authority in the original investigation had found that the domestic industry had suffered losses due to dumped imports. Therefore, it was imperative that the industry recovers from the adverse effects of dumping.
- o. On the submission of return on NIP, the Authority cannot and should not discriminate capital intensive and non-capital-intensive industries. The interested parties wish India out of the map of capital goods intensive industries.
- p. The yearly profitability of the domestic industry since the imposition of duties is on record. It can be seen that despite adding duties to quoted prices, the domestic industry had suffered losses.
- q. On the submission that the plant of the domestic industry was stopped due to Covid, the domestic industry has not claimed any injury due to fall in production.

- r. On reference to annual report stating that demand is directly linked to the product under consideration, statements made in the annual report are in comparison with the estimates and projections of the company. It can be seen that the demand of the subject goods has continuously increased. Further, the increase in demand in the period of investigation was far steeper.
- s. The low import price is partly due to dumped imports and partly due to subsidized imports.

H.3 Examination by the Authority

- 50. The Authority notes that cumulative assessment of injury to the domestic industry on account of dumping from the subject countries was already examined in the original investigation wherein it was examined that the conditions specified in the Rules for cumulative assessment were satisfied. Therefore, the Authority proceeded to the cumulatively examine injury due to dumped imports from the subject countries. The present investigation being a sunset review investigation with anti-dumping measures already in force, it is not necessary that all the conditions required for cumulative assessment may be satisfied. In line with the consistent practice of the Authority and the fact that cumulative examination was undertaken in the original case, the Authority has undertaken cumulative assessment in the present investigation as well.
- 51. Rule 11 of the Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve an examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all the relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles...”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.
- 52. The Authority has taken note of the various submissions made by the domestic industry and the other interested parties on injury and causal link and has analyzed the same considering the facts available on record. The injury analysis made by the Authority ipso facto addresses submissions made by the domestic industry and the other interested parties.
- 53. The Authority, after initiation of the investigation, had sent letters to all the domestic producers requiring them to provide their production and sales data. M/s. ISRPL had provided the required data and stated that they are currently not suffering injury from subject imports in view of the anti-dumping duty in place.
- 54. The other interested parties have submitted that the data of ISRPL is also required to be examined. The Authority notes that as per Rule 11(2) of the Rules, the Authority is required to determine injury to the domestic industry, threat of injury to the domestic industry, material retardation to the establishment of the domestic industry. Therefore, the evaluation of injury is required to be restricted to the defined domestic industry. This is also consistent with the findings of the WTO Panel in EC-Bed Linen. The domestic industry in the present investigation is M/s. Reliance Industries Limited, which satisfies the requirement of Rule 2(b). Therefore, there is no merit in the argument that the data of ISRPL is also required to be examined.
- 55. On the submissions of the domestic industry and the other interested parties regarding return on capital employed, the Authority as per its consistent practice has allowed 22% as return on capital employed for the purpose of determination on non-injurious price.

56. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority has examined the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury.

H.3.1 Assessment of Demand

57. The Authority has determined the demand or the apparent consumption of the product in India, as the sum of domestic sales of the sole Indian Producer, and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

S.No.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	109	109	121
2	Sales of other producers	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	99	96	113
3	Imports from subject countries	MT	69,838	57,910	73,002	85,755
4	Import from other countries	MT	4,566	2,478	13,829	22,217
5	Total demand	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	97	106	125

58. It is seen that the demand for the subject goods declined in the year 2019-20 but has increased thereafter. The demand has increased over the injury period.

H.3.2 Volume effect of dumped imports

Import volume and share of subject countries

59. The effects of the volume of dumped imports from the subject countries as well as imports from other countries have been examined by the Authority as follows.

S.No.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Subject countries	MT	69,838	57,910	73,002	85,755
a	European Union	MT	22,991	15,241	19,518	26,628
b	Korea RP	MT	45,875	42,651	53,467	59,127
c	Thailand	MT	972	17	17	-
2	Other countries	MT	4,566	2,478	13,829	22,217
3	Total	MT	74,404	60,387	86,832	1,07,973
4	Subject countries imports in relation to -					
a	Indian production	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	83	112	115
b	Demand	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	85	98	98
c	Total imports	%	93.86%	95.90%	84.07%	79.42%

60. It is seen that: -

- a. Imports from the subject countries have declined in 2019-20 but increased in 2020-21 and further in period of investigation. The imports from subject countries have increased from base year as well as previous year.

- b. Imports have also increased in relation to production and total imports. Imports in relation to consumption has declined marginally as compared to base year but has remained at same levels in 2020-21 and period of investigation.
- c. Imports from the subject countries constitute 79% of the total imports into India.

H.3.3 Price effect of dumped imports

61. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in normal course.
 62. Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject countries has been examined with reference to price undercutting and price suppression/depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of sales and Net Sales Realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports from the subject countries.
- a. Price undercutting**
63. In order to determine, whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the price undercutting has been worked out by comparing the landed price of imports with the selling price of the domestic industry during the injury period. The price undercutting has been determined separately for each grade produced by the domestic industry and thereafter for the product under consideration as a whole.

S.No.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
A	Subject countries as a whole - Total-SBR					
1	Net Sales Realisation	₹/MT	***	***	***	***
2	Landed Price	₹/MT	1,19,711	98,288	97,914	1,28,132
3	Price Undercutting	₹/MT	***	***	***	***
4	Price Undercutting	%	(0-10)%	(0-10)%	0-10%	0-10%
5	Landed Price with ADD	Rs/MT	1,26,123	1,03,720	1,03,671	1,34,408
6	Price Undercutting with ADD	Rs/MT	***	***	***	***
7	Price Undercutting with ADD	%	(10-20) %	(5-15%)	(5)-5%	0-10%
B	Subject Countries as a whole – SBR 1500					
8	Net Sales Realisation	₹/MT	***	***	***	***
9	Landed Price	₹/MT	1,22,044	98,440	99,968	1,33,407
10	Price Undercutting	₹/MT	***	***	***	***
11	Price Undercutting	%	(0-10)%	(0-10)%	0-10%	0-10%
12	Landed Price with ADD	Rs/MT	1,28,640	1,03,788	1,04,883	1,39,013
13	Price Undercutting with ADD	Rs/MT	***	***	***	***
14	Price Undercutting with ADD	%	(5-15%)	(5-15%)	(0-10)%	0-10%
C	Subject Countries as a whole – SBR 1700					
15	Net Sales Realisation	₹/MT	***	***	***	***
16	Landed Price	₹/MT	1,16,322	98,059	93,266	1,17,241
17	Price Undercutting	₹/MT	***	***	***	***
18	Price Undercutting	%	(10-20) %	(5-15%)	10-20 %	15-25%
19	Landed Price with ADD	Rs/MT	1,22,466	1,03,618	1,00,929	1,24,900
20	Price Undercutting with ADD	Rs/MT	***	***	***	***
21	Price Undercutting with ADD	%	(10-20) %	(10-20) %	0-10%	5-15%

64. It is seen that the landed price of imports from the subject countries was below the selling price of the domestic industry and price undercutting is positive.

b. Price suppression/depression

65. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority notes the changes in the costs and prices over the injury period.

S.N.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	81	67	84
2	Selling price	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	85	95	129
3	Landed price	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	82	82	107

66. It is seen that the domestic industry has increased its prices more than cost during the period of investigation. The imports are neither suppressing nor depressing the prices of the domestic industry.

H.3.4 Impact on economic parameters of the domestic industry

67. Annexure - II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Anti-Dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity: factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a. Capacity, production, capacity utilization and domestic sales.

68. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry over the injury period.

S.N.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Capacity	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	100	100	100
2	Production	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	106	100	106
3	Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	106	100	106
4	Domestic Sales	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	109	109	121
5	Export sales	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	92	83	22

69. It is seen that: -

- a. Capacity of the domestic industry has remained constant over the injury period.
- b. Production and capacity utilization of the domestic industry increased in the year 2019-20, declined thereafter in the period 2019-20 but has increased in the period of investigation.
- c. Domestic sales of the domestic industry increased till the year 2019-20, declined marginally in the year 2020-21 and increased in the period of investigation.

b. Market share

70. The effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined.

S.N.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Market share of the domestic industry	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	112	103	97
2	Market share of other producers	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	101	90	91
3	Market share of imports from subject countries	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	85	98	98
4	Market share of imports from other countries	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	56	285	390

71. It is seen that-

- a. Market share of the domestic industry increased in the year 2019-20 but declined thereafter. The market share of other producers has followed a similar trend.
- b. Market share of the subject countries declined in the year 2019-20 but increased thereafter.
- c. Market share of imports from other countries has increased over the period.
- d. The market share of the Indian industry has declined.

c. Profit or loss, cash profits and return on investment.

72. Performance of the domestic industry has been examined in respect of profits, cash profits and return on capital employed.

S.No.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	81	67	84
2	Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	85	95	129
3	Profit / Loss	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	(100)	(66)	48	96
4	Profit / Loss	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	(100)	(72)	53	117
5	Cash Profit	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	(100)	(63)	103	192
6	Profit before interest and tax (PBIT)	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	(100)	(61)	109	195
7	Return on Investment (ROI)	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	(100)	(58)	103	163

73. It is seen that the performance of the domestic industry has improved during 2020-21 and further during period of investigation in terms of profitability, profits, cash profits and return on capital employed.

d. Inventory

74. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given below: -

S.No.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Opening Inventory	MT	***	***	***	***
2	Closing Inventory	MT	***	***	***	***
3	Average Inventory	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	124	98	117

75. It is seen that the inventory with the domestic industry increased over the injury period.

e. Employment, wages and productivity

76. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages and productivity is as follows:

S.No.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	No of employees	Nos	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	95	95	85
2	Salary & wages	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	92	69	82
3	Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	106	100	106
4	Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	111	106	125

77. It is seen that employment levels of the domestic industry and the wages paid have declined continuously over the injury period. Productivity of the domestic industry has moved in line with the production.

f. Growth

78. Examination of growth parameters of the domestic industry during the injury period is shown below.

S.No.	Particulars	UOM	2019-20	2020-21	POI
1	Production	Y/Y	6%	-5%	6%
2	Sales	Y/Y	9%	0%	11%
3	Profit/(loss) per unit	Y/Y	34%	174%	99%
4	Inventory	Y/Y	24%	-21%	19%
5	Market share	Y/Y	12%	-9%	-5%
6	Profit before tax	Y/Y	28%	173%	121%
7	Cash profit	Y/Y	37%	264%	87%
8	PBIT	Y/Y	39%	279%	80%
9	ROI	Y/Y	42%	279%	58%

79. It is seen that the majority of the parameters show a positive growth in the period of investigation.

g. Ability to raise fresh capital.

80. The domestic industry has submitted that it has no plans to raise any fresh capital investment.

h. Magnitude of dumping.

81. It can be seen that the dumping margin is positive from both Korea RP and European Union.

I. CAUSAL LINK

82. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the AD Rules could have contributed or are likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry.

a. Volume and price of imports from third country

83. It is seen that imports from Russia are above de-minimis limits. The Authority notes that the present investigation is a sunset review investigation and the scope of the subject countries cannot be expanded. It is also seen that the volume of exports from Russia is significantly lower than the volume of exports from the subject countries. Had there been a threat of injury from Russian imports, these volumes would have increased by now due to anti-dumping duty on the subject countries' imports. In any case, the domestic industry has not claimed injury.

b. Contraction in demand and / or change in the pattern of consumption

84. The demand of the product under consideration declined in the year 2019-20 but has increased thereafter. The demand of the subject goods has increased over the injury period. There is no contraction in demand in the injury period.

c. Trade restrictive practices

85. The Authority notes that there is no trade restrictive practice, which could have caused injury to the domestic industry.

d. Development of technology

86. The Authority notes that technology for production of the product has not undergone any change. Further, the responding producer has also not stated that there is any development in technology.

e. Export performance

87. The Authority has relied on segregated data for domestic and export operations, to the extent the same could be, therefore, export performance could not have caused impact on the domestic profitability of the domestic industry. In any case, it is seen that the domestic industry has made profits in the export operations.

f. Performance of other products

88. The Authority has considered the data relating to the performance of the subject goods only. Therefore, performance of other products produced and sold by the domestic industry are not a possible cause of the injury to the domestic industry, if any.

I.1 Overall conclusions on continuation of injury, and causal link

89. The examination of the imports of the subject goods from subject countries and their impact on the performance of the domestic industry shows that the volume of dumped imports from the subject countries has increased but have not had any suppressing/depressing effect on the domestic industry. Production, capacity utilisation and domestic sales of the domestic industry have increased over the injury period. The performance of the domestic industry in terms of profitability, profits, cash profits and return on capital employed has also improved over injury period. Therefore, the Authority concludes that the domestic industry has not suffered continued injury.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

90. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing accountant for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.
91. Based on the landed price and NIP determined as above, the proposed injury margin for producers/exporters as determined by the Authority is provided in the table below.

S.No.	Particulars	NIP	Landed price	Injury margin		
		USD/KG	USD/KG	USD/KG	%	Range%
A	Korea RP					
1	Kumho Petrochemical Co., Ltd	***	***	***	***	0-10
2	Any other producer	***	***	***	***	10-20
B	European Union					
1	Any producer	***	***	***	***	20-30

92. It is seen that the injury margin in respect of the participating producer is positive. Further, injury margin is positive in respect of imports from European Union.

K. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY**K.1 Submissions by the other interested parties**

93. The following submissions have been made by other interested parties during the course of investigation:
- Information regarding exports to third countries at dumped and injurious price, price attractiveness of Indian market and export orientation of producers in the subject countries has not been updated.
 - Information on third country exports provided in the application is regarding SBR as a whole and not for product under consideration only.
 - Information for capacity, production and demand provided in the application regarding exports from Korea RP is for SBR as a whole.
 - LG Chem Ltd. has decided to exit from the SBR business as of March 2022. As LG Chem Ltd. exports will be stopped, total exports to India from Korea RP will reduce significantly.
 - None of the factors relied upon by the Authority for likelihood analysis as per Annexure II (vii) of anti-dumping rules are satisfied.
 - Information provided by respondent in the questionnaire response clearly shows that there is no unutilized capacity for the product under consideration.
 - The Authority is required to look into the period of investigation and the post period of investigation data and assesses whether there is a possibility/ likelihood of dumping and consequent injury if duty is discontinued.

- h. It has been held by Hon'ble CESTAT in the matter of Indian Spinners Association v. Designated Authority that mere existence of excess capacities is not sufficient for the extension of anti-dumping duties.
- i. There is no continued injury being caused due to imports and therefore, existence of surplus production capacity cannot be considered as posing likelihood of recurrence of injury.
- j. There is a substantial decline in capacity in Korea which indicates that exports from Korea are likely to decline.
- k. Excess capacity, if any, with the Korean producer will not be diverted to India but would be used to meet its domestic demand.
- l. In post-period of investigation, prices for product under consideration have increased globally in the backdrop of the Russia-Ukraine war which has affected global supply chains.
- m. North America is price-wise much more attractive for the exporters than India, as the prices have seen a spike, without any anticipated downward trend.
- n. Analysis on third country exports from the subject countries should be rejected as the domestic industry has itself admitted that it has not segregated non-product under consideration exports.
- o. The domestic industry has not provided any methodology for calculation of normal value and export price in each of the subject country for third country analysis.
- p. There has been a substantial increase in prices of SBR to the extent of 48% from the subject countries collectively. Therefore, following the same rationale for the post-period of investigation period, a case of likelihood of continuation of dumping and consequent injury is not made out.
- q. Mere dumping in the absence of any likelihood of recurrence of injury is insufficient to merit an extension of the anti-dumping duty.
- r. Even if there is a likelihood of diversion of exports from third countries it will not lead to injury as the current prices have not caused injury.
- s. The exports to India account for a very low share in total sales of the respondent. With the exit of LG Chem Ltd., respondent will also have to substantially fulfil the void in Korea's domestic demand and exports to India will decline.
- t. There is no significant inventory with the respondent and exports to India have also declined.
- u. There is no likelihood of increase in respondent's volume of exports to India as customers from third countries want to maintain its existing level of supply.
- v. The respondent has not made any volume commitments to sell to consumers in Indian market as well.
- w. For claim of increased dumping, the domestic industry has failed to provide any reliable data to justify their likelihood analysis.
- x. It is not clear as to how Thailand is exporting 72% of its production when it has made zero exports to India in the period of investigation. This shows the dubious conclusions made by the domestic industry on the basis of their questionable "market analysis".

K.2 Submissions made by the domestic industry

94. The following submissions have been made by the domestic industry during the course of the investigation: -
- a. Producers in the subject countries are exporting their product to third countries at dumped prices.
 - b. Korean producers are not only dumping in the Indian market but are dumping in the global market. Industry globally is concerned over dumping by Korean producers.
 - c. USA had imposed anti-dumping duty on the imports of the subject goods from Korea in September 2017 which has been extended in the admin review with a dumping margin determined as 44%.
 - d. Mexico had also imposed anti-dumping duty on imports from Korea RP in 2018.
 - e. Expiry of anti-dumping duties will provide producers in the subject countries an opportunity to divert their third country exports to India. Significant share of third countries exports is at prices lower than export prices to India.

- f. There are significant exports to third countries at injurious prices. India is a favourable market for the producers in the subject countries, diversion of these exports to the Indian market would lead to intensified imports at injurious prices.
- g. Production undertaken by the producers in the subject countries is significantly higher than the demand in the respective countries.
- h. Producers in the subject countries are always in a lookout for markets to utilize their surplus productions and cessation of duties will allow these producers to divert their production to India.
- i. Producers in the subject countries are operating with significantly idle capacities.
- j. A significant share of production of the producers in the subject countries is being used for export purposes.
- k. 36% of production from European Union, 75% of production from Korea RP and 72% of production from Thailand is being exported.
- l. If the domestic industry is forced to match its prices with the imports, the return earned by the domestic industry will decline significantly.
- m. Increase in imports inspite of duties in place clearly shows the likelihood that the imports will further increase if the duties are not extended.
- n. Biggest market for the SBR are India, European Union and China.
- o. China has expanded its SBR capacities and due to the ongoing freight issue, European market does not have very remunerative prices for Korean producers.
- p. Korean producers also enjoy advantage of custom duty concessions in India and therefore, biggest market left for Korean producers to exploit is the Indian market.
- q. Significant imports below the cost and selling price of the domestic industry are very likely to have an adverse impact on the prices of the domestic industry.
- r. Indian market is a price sensitive market. Consumers negotiate on the basis of prices quoted by the exporters. If the present anti-dumping duties are not continued, the landed import price will decline.
- s. As history of investigations involving product under consideration would establish, price of imports has been below cost of sales of the domestic industry which has resulted in the domestic industry suffering losses.
- t. From the response of Kumho, it can be seen that their domestic sales have declined. There has been a significant decline in the domestic production of tyres in Korea RP, which has resulted in sharp decline in domestic sales of product under consideration. The demand in the country is not likely to witness any improvement in the recent period.
- u. From the response of Kumho, it can be seen that exports to India declined in the year 2019 but increased thereafter. Increase in exports to India with duties in place, shows that the exports are likely to increase if the duties expire.
- v. From the response of Kumho, it can be seen that the inventories in the period of investigation have shot up significantly. Increase in idle inventories with a decline in domestic demand further shows that the producers will look for alternative market to utilise their surplus production.
- w. Kumho has admitted that no specific export markets have been developed since the levy of antidumping duty by India and they have no volume commitments in other markets and will continue to export to Indian market.
- x. Kumho has admitted that it negotiates price and terms of sales with its customers on a transaction-by-transaction basis. This shows that with no volume commitments in other markets, Indian market will continue to be a hunting ground for the producers.
- y. On the submission that excess capacities is not sufficient to extend the duties, legal requirement is “freely disposable production capacities”. Even if it is assumed that domestic demand is not freely available, rest of the capacity is freely disposable to the exporters.
- z. On the submission that post period of investigation has seen an increase in price due to Ukraine Russia war, interested parties wishes the Authority to believe that the Russia-Ukraine conflict is a permanent

feature. Increase in prices in the post period of investigation is a completely temporary phenomena which is not going to last for a very long period.

K. 3 Examination by the Authority

95. The present investigation is a sunset review of duties imposed on the imports of the subject goods from European Union, Korea RP and Thailand. Under the Rules, the Authority is required to determine whether cessation of existing duty is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
96. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury considering the requirement laid down under Section 9A (5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure - II (vii) of the Anti-dumping rules, and other relevant factors brought on record by the interested parties.
97. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia, factors which are relevant for threat of injury and the same factors may be used for likelihood analysis in a sunset review as well. Further, these are non-exhaustive list of parameters relevant to determination of likelihood:
- a. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.
 - b. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.
 - c. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
 - d. Inventories of the article being investigated.
98. The Authority has examined various indicators relevant to the assessment of likelihood of injury to the domestic industry, having regard to the above listed parameters. Further, the Authority has also examined other relevant factors which could have a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.
99. It is seen that only producer from Korea RP has participated in the present investigation. There is no response from European Union and Thailand. Therefore, the Authority has considered information provided by the responding producer for examining likelihood of injury from Korea RP. For European Union and Thailand, in view of non-cooperation, the Authority has considered information on record.
100. On the submission that post period of investigation is also required to be examined, the Authority notes that examination of the post period of investigation information is not mandatory. In this case, the Authority has analysed various factors in order to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, and the same is mentioned in the forgoing para.

K.3.1 The level of current dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation

101. In order to examine the rate of increase in imports which could indicate the likelihood of further increase, the Authority has examined the trend of volume of imports over the injury period, both in absolute terms and in relation to production and consumption in India.

S.No.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Subject countries	MT	69,838	57,910	73,002	85,755
2	Subject countries import in relation to -					
a	Indian production	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	83	112	115
b	Demand	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	85	98	98
c	Total imports	%	93.86%	95.90%	84.07%	79.42%

102. It is seen that imports from the subject countries have increased in absolute terms despite Anti-Dumping duties in existence and continue to remain significant both in absolute and relative terms. However, the imports from the subject countries have declined in relation to the total demand.

K.3.2 Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices and would likely increase demand for further imports

103. The Authority has considered the imports in the period of investigation, cost of production, and selling price of the domestic industry in order to examine if imports are likely to have depressing or suppressing effect on the domestic prices.

S.No.	Particulars	Below cost		Below selling price	
		Volume in MT	Landed price Rs./MT	Volume in MT	Landed price Rs./MT
1	Imports from subject countries	30,518	***	53,970	***
2	Share of imports in relation to				
A	domestic sales	***		***	
c	total imports	28.27%		49.99%	

Source – Transaction wise DG Systems data for October 2020 to September 2021 (POI).

104. It is seen that there are significant imports from the subject countries which are below the selling price and cost of sales of the domestic industry. Considering the volume of these imports, it is likely that imports are will occur at a price that will have depressing or suppressing effect on the domestic prices and would likely increase demand for further imports.

K.3.3 Export orientation

105. Information with respect to export orientation of the producers in the subject countries is given below. The Authority has examined the information for period of investigation for the responding producer from Korea RP, and in case of European Union and Thailand, the information placed on record for the year 2020 (Source- ICIS report) has been considered to examine likelihood of injury.

S.No.	Particulars	Production	Exports	Export orientation	Export orientation as % of Indian demand	
		KT	KT		%	Range%
1	Kumho Petrochemical Co., Ltd, Korea RP (Index)	***	***	70-80%	***	50-60
2	European Union	1,040	370	36%	***	110-120
3	Thailand	138	99	72%	***	30-40

106. It is seen that 73% of production of Kumho Petrochemical Co., Ltd have been exported. In case of European Union, and Thailand, it is seen that 116% and 72% of production have respectively been used for export purpose. Therefore, the producers in the subject countries are utilizing a significant share of their production for export purpose.

K. 3.4 Idle or unutilised capacities

107. Information with respect to surplus capacities with the producers in the subject countries is given below. In case of responding producer, the Authority has examined the information for period of investigation on the basis of their response, and in case of European Union and Thailand, in view of the non-cooperation, the information provided by the domestic industry for the year 2020 has been considered to examine likelihood of injury.

S.No.	Particulars	Capacity	Production	Idle capacity	Idle capacity as % of Indian demand	
		KT	KT	KT	%	Range
1	Kumho Petrochemical Co., Ltd, Korea RP	***	***	***	NIL	NIL
2	European Union	1,604	1,040	564	***	170-180
3	Thailand	175	137	38	***	10-20

108. It is seen that Kumho Petrochemical Co., Ltd was operating at full capacity in the period of investigation. However, considering the fact that 70-80% of exports from Kumho have been exported, it shows export orientation. In case of European Union and Thailand, 170-180% and 10-20% of capacities are lying idle respectively. It is seen that the producers have set up capacities significantly higher than the demand in their respective country and will try to utilise their capacities for export purpose.

K.3.5 Third country dumping

109. Information with respect to third country dumping is given below.

S.No.	Particulars	Exports to third countries at dumped price	Total exports	Share of dumped exports in total exports	
		MT	MT	%	Range
1	Kumho Petrochemical Co., Ltd, Korea RP	***	***	***	60-70
2	European Union	1,39,820	2,48,643	56%	50-60
3	Thailand	48,452	97,314	50%	50-60

Source – For Korea RP the information has been taken from the response filed by Kumho and for other countries as per the information provided by the domestic industry.

110. It is seen that 60-70% share of exports of the responding producer to third countries are at dumped prices. Similarly, in case of European Union and Thailand the share of dumped exports to third countries in total exports are 56% and 50% respectively.

K.3.6 Third country injurious exports

111. Information with respect to third country injurious exports is given below:

S.No.	Particulars	Exports to third countries at injurious price	Total exports	Exports at injurious prices as % of Indian demand	
		MT	MT	%	Range
1	Kumho Petrochemical Co., Ltd, Korea RP	***	***	***	30-40
2	European Union	1,61,214	2,48,643	***	40-50
3	Thailand	45,039	97,314	***	10-20

Source – For Korea RP the information has been taken from the response filed by Kumho and for other countries as per the information provided by the domestic industry.

112. It is seen that a significant share of exports of the responding producer to third countries are at prices which are injurious to the domestic industry. Similarly, in case of European Union and Thailand the injurious exports to third countries are 49% and 14% respectively.

K.3.7 Price attractiveness

113. Information with respect to price attractiveness is given below:

S.No.	Particulars	Exports to other countries below price to India	Total exports	Exports to other countries below price to India % of Indian demand	
		MT	MT	%	Range
1	Kumho Petrochemical Co., Ltd, Korea RP	***	***	***	30-40
2	European Union	1,18,561	2,48,643	***	30-40
3	Thailand	34982	97,314	***	10-20

Source – For Korea RP the information has been taken from the response filed by Kumho and for other countries as per the information provided by the domestic industry.

114. It is seen that 30-40% of exports of the responding producer to third countries are at prices which are lower than the export price to India. Similarly, 30-40% of exports in case of in case of European Union and 10-20% exports in case of Thailand are at prices below Indian prices.

K.3.8 Measures imposed by the other countries

115. It is seen that post imposition of anti-dumping duties by India, the Mexican Ministry of Economy have also imposed the anti-dumping duties against the imports from Korea. The resolution imposing the definitive duty was issued on 25 January 2019 and the duties are still in force. It is also seen that U.S. Department of Commerce has also imposed anti-dumping duties on the imports of product under consideration into USA from Korea. The duties were first imposed in September 2017 and are still in existence. The rate of duty imposed by the Mexican Ministry of Economy on imports from Korea RP is 0.1137 USD per KG and the duty imposed by U.S. Department of Commerce on imports from Korea RP is 44.3%.
116. On overall examination of factors for likelihood of injury, it is seen that despite imposition of duties, the volume of dumped imports from subject countries has increased in absolute terms and in relation to Indian production. Significant quantities of imports are below the selling price and the cost of the domestic industry

which shows that if the duties are allowed to expire, the imports will have a suppressing/depressing effect on its prices.

117. Even though Kumho does not have any idle capacities, it is seen that a very high share of its production has been undertaken for export purpose. It is also noted that the producers from Thailand and European Union have substantial unutilized capacities and are utilizing a significant share of their production for export purposes. A significant share of exports of the subject countries to third countries are at dumped prices and at prices which are lower than the export price to India, which shows likely diversion of exports.

L. POST-DISCLOSURE COMMENTS

118. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. The issues raised therein have already been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. However, for the sake of clarity, the submissions by the interested parties are being examined as below:

L.1 Submissions made by other interested parties

119. The following submissions have been made by the other interested parties on the disclosure statement: -
- a. Participation of ISRPL is significant because it was the only producer during the original investigation and the Authority had concluded existence of material injury based on its data. Therefore, examination of its performance post imposition of anti-dumping duties is essential to objectively examine the need for extension of ADD.
 - b. Any information available to the public on payment of a fee cannot be claimed to be confidential. Thus, the domestic industry must disclose complete contents of the ICIS Report and IISR Report as well as the information procured from Trade Map and Eurostat.
 - c. The domestic industry had admitted that data from Trade map and Eurostat is not specific to product under consideration and hence is unreliable.
 - d. Details of volume losses of the domestic industry during the injury period owing to shutdown of their plants should be disclosed so that injury can be analysed objectively.
 - e. Given the high level of profitability of the domestic industry, respondent fails to understand how price underselling is positive and in the range of 20-30%.
 - f. The domestic industry (DI) has a pricing policy for the PUC according to which it adds the applicable ADD to the quoted prices as 'Cost to Serve' component; whereas, the landed value used for computation of price undercutting is determined by addition of only BCD to the CIF values and does not include the ADD component. Given these factors, the comparison of the landed value and the NSR is not objective as the price undercutting would remain positive regardless of the level of DI's profitability.
 - g. If at all there was any impact on the domestic industry, it can only be attributed to the pandemic and consequent stoppage in production.
 - h. There exists a significant demand-supply gap to the tune of 26%, which the domestic industry is unable to fulfil.
 - i. Any injury to the domestic industry must be attributed to the decline in the demand of the automobile industry.
 - j. In absence of reliable product under consideration specific import data on increase in dumped imports, any claim of dumping by the domestic industry is unsubstantiated.
 - k. There is substantial decline in the capacity of Korea RP due to exit of LG Chem Ltd from the sector which indicates that exports from Korea RP are likely to decline.
 - l. The soaring freight costs and shipping disruptions due to the lack of shipping containers has increased import rates by 200-400%. Such high prices do not indicate any likelihood of injury on account of the alleged dumped imports.

- m. The period of investigation by Mexican Ministry of Economy and U.S. Department of Commerce on imports of product under consideration is different from the period of investigation of the present SSR investigation. The same cannot be used as a yardstick to continue the imposition of ADDs on the PUC.
- n. Apollo Tyres Limited and JK Tyre & Industries Limited had filed questionnaire response way before the issuance of the disclosure statement. However, the Authority has not sent any deficiency letter or an email seeking any clarification from the respondent's member companies on this account.
- o. The Authority has calculated ex-factory price for export transaction made through Apollo on the basis of facts available. There is no legal basis for drawing 'adverse' inference while applying facts available. Article 6.8 of the Anti-dumping Agreement provides that when faced with missing information, the Authority should use most appropriate facts and not adverse facts.
- p. The Authority should note that Apollo Tyres Holdings Pte. Ltd is an unrelated trader and Kumho has no control over its participation in the subject investigation. Insignificant export quantity of export made through Apollo Tyres Holdings Pte. Ltd can be ignored without applying facts available.
- q. If the Authority decides to recommend continuation of anti-dumping duty, the Authority should rely on dumping margin or injury margin determined during the sunset review.
- r. Facts and circumstances in the present sunset review necessitate separate assessment of likelihood of dumping and injury for exports from Korea RP because apart from Kumho, the only other producer of subject goods in Korea RP i.e., LG Chem Ltd. has decided to exit the SBR business as of March 2022.
- s. The Authority has excessively relied on Kumho's exports to third countries while assessing likelihood of injury. Export pattern to third countries would become relevant only when there are unutilized or idle capacities with the producer/exporter.
- t. Kumho is exporting subject goods to many countries other than India. Customers from countries other than India want Kumho to maintain the existing level of supply.
- u. The domestic industry is also now firmly established and earning profits. If the Authority decides for continuation of anti-dumping duty, it should be for a period of 2 years.
- v. Thailand made zero exports to India during the period of investigation. Thus, even if it may have a high export orientation, it is evident that it does not consider India as a lucrative market.
- w. Measures taken in other jurisdictions are irrelevant for the present investigation.
- x. The Authority has made incorrect observations that share of SBR in total cost of tyres is less than 10%. For Passenger and Light truck tyres, the relative value of PUC incorporated in finished products is around 15%.

L. 2 Submissions made by the domestic industry

120. The following submissions have been made by the domestic industry during the course of the investigation: -
- a. The applicant has serious concerns with regard to price adjustments that are required to be reduced from normal value and export price.
 - b. The Authority is requested to consider applicant's submissions on Kumho dumping margin.
 - c. In sunset review of anti-dumping duty on imports of Acrylonitrile Butadiene Rubber from Korea RP, Kumho had claimed adjustment of packing expense from both the normal value and the export price and the same was allowed by the Authority.
 - d. The difference in the packing cost involved in domestic and export markets have not been brought on record by the exporter. Packing cost varies significantly in case of domestic and exports.
 - e. Lease charge for MB 5 container in case of domestic sale and export sales vary significantly. The agency providing these containers on lease is similar for both the applicant and Kumho.
 - f. There is a significant difference in the container lease charges for depending upon the days for lease. The applicant feels that the above facts have not been disclosed to the Authority by Kumho.
 - g. LG Chem. Ltd. had a 160 KT plant for the production of subject goods and has diverted only 80KT of the production capacity. The remaining 80 KT capacity continues to remain deployed for the production of subject goods.

- h. There are significant imports from LG Chem Ltd till May 2022. Claims of interested parties that LG Chem Ltd has exited business and there is no likelihood of increase of exports from Korea are baseless. No evidence has been brought forward by the interested parties in support of their claim.
- i. Dumping margin in the present investigation is more than the dumping margin determined in the previous investigation. This shows that the dumping from the subject countries has intensified. Therefore, duties should be increased.
- j. The current import prices have been impacted by the ongoing freight issue. Once the freight issue settles, it is very likely that the producers in the subject countries will drop down their prices and dumping is likely to intensify further.
- k. Volume of imports from the subject countries have increased despite imposition of duties. Consideration of same level of duties is likely to lead to further increase in imports.
- l. Imposition/discontinuation of trade remedial measures have had absolutely no correlation with performance of the tyre industry. This is because tyre manufacturers do not bear the cost of these measures and pass on the duty impact to the eventual end consumers.
- m. Continued improvement in the performance of the applicant may also lead to further investments in the product under consideration. Investments in the product under consideration will lead to generation of employment, reduced dependency on imports and boost for Indian foreign exchange.
- n. The current situation of Covid-19 has clearly shown the importance of indigenous production in the country.
- o. Balkrishna Industries, CEAT Tyres, Apollo Tyres and Goodyear Tyres are all looking to expand their capacities. No user will make investments if it does not anticipate good performance.

L. 3 Examination by the Authority

- 121. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the domestic industry, and the other interested parties and notes that some of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the disclosure statement. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.
- 122. The other interested parties have submitted that the data of ISRPL is also required to be examined. The Authority notes that as per Rule 11(2) of the Rules, the Authority is required to determine injury to the domestic industry, threat of injury to the domestic industry, material retardation to the establishment of the domestic industry. Therefore, the evaluation of injury is required to be restricted to the defined domestic industry. This is also consistent with the findings of the WTO Panel in EC-Bed Linen. The domestic industry in the present investigation is M/s. Reliance Industries Limited, which satisfies the requirement of Rule 2(b). Therefore, there is no merit in the argument that the data of ISRPL is also required to be examined.
- 123. On the submission of the other interested parties that export data provided by the domestic industry for the subject countries with respect to other countries pertains to the other products as well, the Authority notes that only producer from Korea RP has participated and there is no participation from European Union and Thailand. No other party has provided any relevant information to the Authority on third country exports. Therefore, the Authority has relied on information available on record.
- 124. With regard to the submission of the other interested parties that the landed value used for computation of price undercutting does not include the ADD component, the Authority notes that it has examined the price undercutting by comparing the NSR and the landed value, both with and without ADD in the relevant parts of this finding. The Authority notes that the price undercutting has been positive even where the landed value had ADD component added to it.

125. With regard to the submission that the Authority did not send any deficiency letter to Apollo Tyres Limited and JK Tyre & Industries Limited, it is noted that it is the duty of all the interested parties to provide complete information in relevant form and manner required, to the Authority.
126. On the submission of the domestic industry regarding adjustment of packaging cost and other expenses for Kumho, the Authority notes that it has allowed the adjustment of packaging cost both from normal value and export price for Kumho, after due verification.
127. On the submission on application of facts available in respect of exports made by Kumho through Apollo, the Authority notes that the determination has been done as per the prescribed practice and applicable AD Rules.
128. It has been contended that LG Chem Ltd. has exited the business with effect from March 2022 and therefore there is no likelihood of diversion of exports to India from Korea. It is noted that the interested parties have not provided any evidence of LG's complete exit from the business. On the contrary, the domestic industry has provided the information that LG Chem Ltd. has diverted only certain capacities to NBR and certain capacities continue to produce SBR. Therefore, the contention of the interested parties cannot be accepted.
129. On the submission of the other interested parties on the calculation of the non-injurious price, the Authority notes that the non-injurious price has been determined as per the consistent practice of the Authority and in accordance with rules.
130. On the submission of no likelihood of injury from Thailand, the Authority notes that there are significant exports from Thailand to third countries at injurious prices and prices lower than export price to India. The fact that there are no imports from Thailand in the period of investigation is only because of the anti-dumping duty in force. It is also noted that producers in Thailand are export-oriented. Therefore, there is a likelihood of diversion of exports to India.
131. On the submission on no opportunity being given to Apollo Tyres Limited and JK Tyre Limited to supplement their calculation of impact of duties, the Authority notes that the interested parties had not provided any calculation with their user questionnaire response. Even where the users provided the impact of duties, no backup calculations were provided.
132. It has been contended that the examination of the Authority on share of SBR in the total tyre cost is incorrect as the share in passenger car tyres is 15-20%. The Authority notes it is required to consider the impact on all types of tyres and not just passenger car tyres. It is from the user questionnaire response that the Authority has considered that the share of SBR is less than 5%. It is thus seen that the share of SBR in the total cost of tyre is insignificant and the impact of anti-dumping duties will not be significant.
133. On the submission of examination of exports to third countries, the Authority notes that all the factors have been examined as per the consistent practice of the Authority. Export pattern to third countries is of significant importance in the likelihood analysis considering the fact that the producers are heavily export oriented. The degree of third country dumping shows the pricing behavior of the domestic industry. Further, the share of exports to third countries at prices below export price to India and below non-injurious price shows the likely diversion of exports to India and the consequential impact on the domestic industry.
134. On the submission of details of disclosure of volume losses of the domestic industry owing to shut down, the Authority has examined the confidentiality claims of all the parties and notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential. In any case, the Authority has concluded that the domestic industry has not suffered continued injury.

M. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES**M.1 Submissions by the other interested parties**

135. The following submissions have been made by the other interested parties during the course of the investigation: -

- a. There is a demand and supply gap in the country and the imports are inevitable.
- b. Continuation of anti-dumping duty would be contrary to Government Schemes for promotion of domestic manufacturing in the automobile sector.
- c. Continuation of anti-dumping duty will impact the exports of the tyre industry.
- d. The Authority has in recent finding of Pneumatic off-road tyres held that tyre industry is suffering injury. Continuation of anti-dumping duty for further period of 5 years will leave no scope of recovery.
- e. Impact of duty considering 15% consumption in a 10KG tyre with estimated demand of tyre of 21,13,37,500 will be INR 80 to 106 cr which will be 10% to 15% of total profits of tyre companies.
- f. Impact of anti-dumping duty as quantified by the domestic industry should be rejected as it has taken SION norms of high value items.
- g. The Authority is requested to refer to user questionnaire response to verify the percentage of product under consideration incorporated in finished products.
- h. There were concerns that majority industry are importing through advance authorization and exporting the goods, due to which products are not being purchased from the domestic industry. Such issue is a policy issue and DGTR is not the Authority to address the issue.
- i. The domestic industry has quantified the impact of duty on the selling price of the end product. The impact of duty should be quantified on the cost of production of the product.
- j. There is no logical reason provided to exclude demand met by the imports under advance licence while assessing the demand-supply gap. It has been a consistent practice of the Authority to examine overall import volumes, including the duty-free imports, such as the imports under advance license, while assessing the volume effect in any anti-dumping investigation.
- k. The Authority had recommended imposition of countervailing duty on imports of SBR from Korea RP which was not implemented by the Ministry of Finance. This supports the claim that continued protection of anti-dumping duty is not warranted and is not in public interest.
- l. The domestic industry has not mentioned the source of the period for which the data has been considered for calculating the impact of duty.
- m. The domestic industry in every investigation makes a claim that the impact of duties would be minimal for a particular product, however taking them together the burden adds up to be significant.
- n. Impact of duty on the domestic industry's total operations should be ascertained. The domestic industry is a multi-product company and the product under consideration forms only a limited percentage of overall revenue.
- o. In the absence of a fair competition, the domestic industry and the supporter will create a monopolistic market.
- p. Contrary to the submission of the domestic industry, the profitability of user industry is only modest.
- q. User industry has provided the impact analysis on the basis of the actual representative data of the tyre industry and the same should be considered to objectively assess the impact on the user industry.
- r. During the last 16 years, a significant number of raw materials used by the tyre industry have been under anti-dumping/safeguard duty protection.
- s. The impact of anti-dumping duty imposed on all the raw materials of tyre industry comes out to be around 7.72%.
- t. Profit before tax for 2021-22 for the user industry is 3% on an average and an anti-dumping duty having impact of 0.5% to 1% will be significant.
- u. On the submission of the domestic industry that users cannot have access to raw material at dumped prices at its cost, the domestic industry has not claimed any material injury.

- v. Anti-dumping duty is a trade remedy measure to protect the domestic industry against import of dumped goods if the imports of dumped goods are causing injury to the domestic industry and cannot be used to protect its investment.
- w. There is no legal or factual basis for categorization of total demand into 'available demand' and 'non-available' demand.
- x. It is the consistent practice of the Authority to determine the total demand of the subject goods considering the total imports and total domestic sales of the subject goods.
- y. There is no compulsion on users to import under advance authorization and there is also no restriction on the domestic industry to sell to users who are holders of advance authorization.
- z. Indian market for the subject goods is currently a duopoly. The import for the subject goods from the subject countries will ensure healthy competition in the Indian market for the subject goods.
- aa. Duty has served its purpose as the domestic industry has itself admitted that there is no injury and it has recorded significant profits during period of investigation in spite of establishing itself in 2016.
- bb. Average impact of anti-dumping duty on the user industry is less than 0.5% of the total consolidated EDITBA of the domestic industry signifying that the users will be more negatively impacted if the duty is continued.

M.2 Submissions by the domestic industry

136. The following submissions have been made by the domestic industry during the course of the investigation: -

- a. The expression 'public interest' does not limit itself to consumer industry's interest alone and is a much wider term, which covers in its ambit the interest of the domestic industry and ultimately the public at large.
- b. Extension of duties will ensure that a level playing field is provided to the Indian producers in India against the dumped imports.
- c. Even in the CVD investigation, the Authority found that the domestic industry was suffering injury and it is only in the period of investigation that the domestic industry has been able to post profits.
- d. It is in the consumers' interest to have a competitive domestic industry capable of supplying the product to the consumers at fair prices.
- e. It is in the interest of the public at large to have a strong, competitive domestic production of the product. This will not be possible if injury to the domestic industry continues in the long run.
- f. Impact of the duty should be assessed considering the prices of downstream product before and after the duty.
- g. Impact of anti-dumping duties on the end product shall be very minimal.

S.No.	Name of product	Product price Rs per unit	Impact of duty – Rs per unit	Impact of duty - %
1	Truck/Bus Radial Tyre	Rs 28,000	Rs 9 per tyre	0.03%
2	Truck/Bus Bias Tyre	Rs 19,700	Rs 16 per tyre	0.08%
3	Passenger Car Tyre	Rs 5,545	Rs 3 per tyre	0.18%
4	Motorcycle Tyre	Rs 4,000	Rs 2 per tyre	0.05%

- h. Impact of anti-dumping duty on the Tyre industry turnover is hardly 0.01%.
- i. There is absolutely no correlation between profit before tax of the tyre industry and the imposition/enhancement of basic customs duty and anti-dumping duties.
- j. Viability of the consumers cannot be dependent on access to raw material at unfair and dumped prices.

- k. While the domestic producers for the subject goods have a legitimate claim to be protected against unfair competition, the consumers cannot claim a right to availability of the product at dumped prices.
- l. Out of the total demand around 15-20% of the imports are being done under the advance authorization scheme. Imports under the scheme are bound to happen irrespective of continued imposition of duty.
- m. Demand-supply gap in the country does not bar the domestic industry from seeking redressal from dumped imports and does not justify dumping as has been held by Hon'ble CESTAT in the matter of DSM Idemitsu Limited vs Designated Authority.
- n. Even if the duties are imposed, users are free to import under advance license at any price offered by the exporter without payment of duties.
- o. For all the major tyres produced by the tyre manufacturers, the major raw material is natural rubber and not the product under consideration.
- p. In Automotive Tyre Manufacturer's Association's Indian Tyre Industry overview report, it has been stated that the share of SBR in the total cost of Tyres is hardly 5%.
- q. Price of the product has moved from as low as Rs 92-94 per KG in September 2017 and as high as Rs 124-126 per KG October 2018. When such significant movement in the price of goods did not bother the user industry, an anti-dumping duty of 0-5% should hardly have any significant impact on the user industry.
- r. Even after the imposition of duties in 2017, the imports have continued to enter the Indian domestic market.
- s. On the submission of rejection of CVD duty by the Ministry of Finance, there is no relationship between the two particularly when no one knows the reasons for rejection of the CVD recommendation.
- t. On the submission that there is a demand and supply gap, the domestic industry has not filed application for ban on imports, as permitted under Foreign Trade Policy.
- u. The domestic industry's claim regarding imports under advance authorization scheme is that even if anti-dumping duties are imposed, the users have been importing from the subject countries under duty free schemes.
- v. On the difference in the impact of duty on tyre industry as calculated by the user industry, tyre industry turnover is about 70,000 crores and even if profit is considered at high level of 10,000 crores, the calculations can be done by considering costs as 60,000 crores. Results would remain almost the same.
- w. When imposition of duty has not adversely impacted the tyre industry, it is without any legal and factual basis that continuation of duty shall cause adverse effects.
- x. Contrary to the claim made that imposition of duty will be against the Government of India scheme, imposition and continuation of duty would be totally in aid to Government's Scheme for promotion of domestic manufacturing in automobile sector.

M.3 Examination by the Authority

- 137. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with regard to the present investigation, including possible effect of anti-dumping duty on their operations. The Authority sought information on, inter-alia, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the consumers to switch sources, effect of anti-dumping duty on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of anti-dumping duty.
- 138. It has also been contended by the user industry that several trade remedial measures have been imposed on their different raw materials which have impacted their costs. The Authority notes that the product under consideration in the present application is restricted to SBR and therefore duties imposed on other products are not relevant. It is also seen that majority of the anti-dumping duties imposed on the raw materials of tyre industry have been rescinded and at present only SBR is attracting anti-dumping duty. Further, the domestic

industry has provided trend of performance of tyre industry along with different trade remedial measures imposed in past and has claimed that there is no correlation between trade remedial measures and performance of the tyre industry - either individually (for one of the raw materials) or collectively (for all raw materials attracting trade remedy measures).

139. The Authority prescribed a user questionnaire in which the users are required to give information on cost on account of product under consideration in the final cost and price of consumer's end products. It is seen that Apollo Tyres Limited and JK Tyre & Industries Limited have not provided the relevant information. Bridgestone India Private Limited has claimed in their written submission that the share of SBR in the total cost of Tyre is 15-20%, but it is seen from their response that the share of SBR in their total cost is ***% (less than 10%). Similar trend has been observed from the response filed by CEAT Limited and MRF Limited as well and from the ATMA Tyre Industry Overview Report provided by the domestic industry.
140. The Authority recognizes that the extension of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, extension of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti -dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.
141. It has been contended that there is a demand and supply gap in the country and the Indian industry is unable to meet the demand. The Authority notes that the demand-supply gap in the country does not bar the domestic industry from seeking redressal from dumped imports. As held by the CESTAT in the matter of DSM Idemitsu Limited vs. Designated Authority, demand-supply gap does not justify dumping. The foreign producers can always meet the Indian demand by selling the product at un-dumped prices. Even after the imposition of anti-dumping duty, the imports are not restricted in the country. Further, it is also seen that the Indian industry has a capacity of 2,61,000 MT and the demand in India is the range of 3,25,000 MT to 3,35,000 MT. In this regard, it is noted that there are significant imports from the non-subject countries which will continue to happen.
142. The Authority notes that Indian industry has made significant investments in product under consideration and it is only in the recent period that it has been able to record profits. This shows the need to provide a level playing field to the producers to justify significant investments undertaken by them.
143. To ensure continued availability of a domestic product, it is necessary that the domestic producers remain viable at fair prices failing which the users would become increasingly dependent on the dumped imports.

N. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

144. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made and the facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:
 - i. The applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the requirements under the rules.
 - ii. There is continued dumping of the subject goods from Korea RP and European Union, despite duties being in force. The dumping and injury margins are positive.
 - iii. The volume of dumped imports have increased in absolute terms despite imposition of duties.

- iv. The imports are undercutting the price of the domestic industry in the period of investigation and the price effects would have been higher in the absence of existing duties.
 - v. Production, capacity utilisation, sales of the domestic industry have increased during the POI.
 - vi. The subject imports are neither suppressing nor depressing the prices of the domestic industry. The domestic industry's performance has improved in the period of investigation because of the anti-dumping duty in place.
 - vii. Dumping of the subject goods has continued.
 - viii. Producers from Thailand and European Union have unutilized capacities.
 - ix. There are significant imports from the subject countries below the selling price and cost of sales of the domestic industry which are likely to cause suppressing/depressing effect on the prices of the domestic industry on cessation of duties.
 - x. It is noted that 70-80%, 30-40% and 70-80% production has been utilised for export purpose by KKPC, European Union and Thailand producers respectively.
 - xi. It is noted that 60-70%, 50-60 and 50-60% exports by KKPC, European Union and Thailand producers respectively to third countries are at dumped prices.
 - xii. It is noted that 30-40% of exports of the responding producer to third countries are at prices which are lower than the export price to India. Similarly, 30-40% of exports in case of in case of European Union and 10-20% exports in case of Thailand are at prices below Indian prices.
 - xiii. There is persistent practice of dumping of the subject goods in other jurisdictions as evidenced from duties imposed and/or continuation of duties from other jurisdictions, and it is highly likely that the imports from the subject countries would increase on the event of cessation of duties.
 - xiv. The fact that the dumped imports continued even after imposition of duties shows a strong likelihood that if the duties are revoked the imports will increase at a much higher rate.
 - xv. The Authority accordingly concludes that there is likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of duties.
 - xvi. The user industry has not been able to establish any adverse impact of duties on them. It is noted that the continuation of anti-dumping duties on the imports of the subject goods would be in the interest of domestic producers of the subject goods in India.
 - xvii. The product under consideration has a very low share in the total cost of tyre and therefore, the impact of duties on the end product will be negligible.
 - xviii. There is healthy competition in the Indian market and continuation of anti-dumping duty would not deprive the user industry of any requirements.
145. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury.
146. Having concluded that there is likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury if the existing anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that continuation of duty is required on the import of PUC from the subject countries. The Authority examined as to what quantum of duty be recommended which would mitigate the dumping/injury on account of likelihood analysis as conducted above.

The volume of dumped and injurious imports from subject countries to India and to the rest of the world have been considered.

147. Under the aforesaid circumstances, the Authority considers it appropriate to recommend continuation of existing quantum of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries which would address and mitigate the likelihood of dumping and injury from the subject countries. The Authority, thus, considers it necessary to recommend continuation of existing definitive anti-dumping duty imposed vide Notification No. 43/2017-Customs (ADD) dated 30th August 2017. Therefore, considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, anti-dumping duty equal to the amount indicated in Col 7 of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of subject goods, from the subject countries for a further period of three (3) years.

Duty Table

S.N.	Heading/ Subheading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4002 19	Emulsion Styrene Butadiene Rubber (E-SBR) of 1500 Series and 1700 Series	Korea RP	Any country including Korea RP	Kumho Petrochemical Co., Ltd	33.95	MT	\$
2	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	Any other producer	64.00	MT	\$
3	-do-	-do-	Any country other than countries attracting anti-dumping duty	Korea RP	Any producer	64.00	MT	\$
4	-do-	-do-	European Union	Any country including European Union	Any other producer	266.00	MT	\$
5	-do-	-do-	Any country other than countries attracting anti-dumping duty	European Union	Any other producer	266.00	MT	\$
6	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Any other producer	243.60	MT	\$
7	-do-	-do-	Any country other than countries attracting anti-dumping duty	Thailand	Any other producer	243.60	MT	\$

148. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

O. FURTHER PROCEDURE

149. An appeal against these findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

ANANT SWARUP, Designated Authority